विषय सूची

क्र.सं.		पृष्ठ
1.	भारतीय रेल में सुशासन की रणनीति ***कामेश्वर चौधरी,*** *आईआरएसएस (सेवानिवृत्त)* पूर्व भंडार नियंत्रक, पूमरे/उरे	02
2.	निवारक जाँच- सुशासन का एक साधन ***हरानन्द****, मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब*	08
3.	रामलीला ***हरानन्द****, मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब*	09
4.	फील्ड यूनिट के द्वारा भंडार सामग्रियों का संचालन व संबंधित अभिलेख का रख-रखाव ***महेश कुमार,*** *उप मुसताधि/भंडार*	10
5.	मेकेनाईज्ड क्लीनिंग, ओ.बी.एच.एस., सीटीएस संविदाओं के कार्य संचालन में पाई गई कमियां ***एस.पी.एस. यादव,*** *उप मुसताधि/विद्युत*	17
6.	निविदा एवं संविदा प्रबंधन ***जे.के. सिंह,*** *उप मुसताधि/इंजी.* ***जेड.ए. मल्लिक,*** *सताधि/इंजी.*	21
7.	केस अध्ययन (यातायात)	42
8.	केस अध्ययन (लेखा एवं कार्मिक)	52
9.	केस अध्ययन (अभियंत्रण)	58
10.	केस अध्ययन (भंडार, चिकित्सा एवं सुरक्षा)	62
11.	केस अध्ययन (विद्युत)	66
12.	महत्वपूर्ण प्रणाली सुधार पत्र	69

CONTENTS

Sl.No.		Page No.
1.	Strategy for Good Governance in Indian Railways ***Kameshwar Choudhary****, IRSS (Retd.)* *Former Controller of Stores (ECR/NR)*	02
2.	Preventive Check as a tool of good goverance ***Harananda****, Chief Security Commissioner/RPF*	08
3.	Handling of stores and maintenance of records thereof by field units ***Mahesh Kumar,*** *Dy CVO/S*	10
4.	Shortcomings in execution of the Mechanised cleaning, OBHS, CTS Contracts ***S.P.S. Yadav,*** *Dy CVO/Elect.*	17
5.	Laid down provisions for weighment of rakes ***Shikha Srivastava,*** *Dy CVO/Traffic*	20
6.	Tender & Contract Management ***J.K. Singh,*** *Dy CVO/Engg.* ***Z.A. Mallick,*** *VO/Engg.*	21
7.	Case Studies (Traffic)	42
8.	Case Studies (Accounts & Personnel)	52
9.	Case Studies (Engineering)	58
10.	Case Studies (Stores, Medical & Security)	62
11.	Case Studies (Electrical)	66
12.	Important System Improvement Letters	69

भारतीय रेल में सुशासन की रणनीति

- कामेश्वर चौधरी,
आइआरएसएस(सेवानिवृत्त)
पूर्व भंडार नियंत्रक, पूमरे/उरे

'समृद्धि और विकास जनता की खुशियों को तब तक सुनिश्चित नहीं करेगा, जब तक सुशासन न हो' -गुरचरन दास

सार्वजनिक कार्यक्षेत्रों में सभी कार्यों का प्रबंधन शासन के अंतर्गत आता है जो प्रत्येक नागरिक और समाज को, उनके सामर्थ्य को उन्नत करने और अवसर प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करता है। नागरिकों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ राष्ट्रधन के निष्पक्ष वितरण के लिए समान अवसर मुहैया कराने हेतु सरकार संगठित समाज का छोटा परंतु सबसे मजबूत अंग है। क्लिंटन-गोर की रिपोर्ट - 'फ्रॉम रेड टेप टू रिजल्ट्स' ने मुख्य रूप से एक ऐसी सरकार के बारे में बताया जो कम लागत पर बेहतर कार्य करता हो। राज्य जनता के आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक विकास के लिए उत्तरदायी है। यह अवसर मुहैया कराने वाले बाजारों को नियंत्रित करता है। शासन के कार्यों में आम लोगों की भागीदारी के लिए समाज जनता के विचारों को लामबंद करता है।

भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय रेल 'साम्राज्य के अंतर्गत साम्राज्य' है जिसकी केन्द्र सरकार के समानांतर अपनी बजटीय प्रक्रिया है। भारत के कोने-कोने में भारतीय रेल की व्यापक उपस्थिति है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। यह देश के नागरिकों का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारतीय रेल प्रतिदिन लगभग 13000 ट्रेनें चलाती है जिसमें 23 मिलियन यात्री सफर करते हैं जो 65000 रुट किमी के रेल नेटवर्क द्वारा 8000 स्टेशनों को जोड़ती है। यह लगभग 10000 लाख टन माल की ढुलाई करती है। तंगहाल अवस्था में परिचालित और कम निवेश होने के बावजूद यह राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 1% का योगदान करती है। बहरहाल, यह अपने वेतन बिल का भुगतान तो करती ही है, नियमित रुप से भारत सरकार को लाभांश भी अदा करती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकास के लिए भारतीय रेल को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है क्योंकि भारतीय रेल के विशाल नेटवर्क के कारण यदि इसका विवेकपूर्ण तरीके से लाभ उठाया जाए तो यह आंतरिक इलाकों में भी पर्याप्त विकास कर सकता है।

STRATEGY FOR GOOD GOVERNANCE IN INDIAN RAILWAYS

- Kameshwar Choudhary, IRSS(Retd)
Former Controller of Stores (ECR/NR)

"Prosperity and growth will not ensure happiness to people, unless there is good governance"-----Gurcharan Das

Governance includes management of all affairs in the public arena that encourages individual citizen and society to raise their capabilities and provide opportunities. The Government is the small but strongest part of society organized to ensure safety and security of citizens and also provide equal opportunity for equitable distribution of wealth of the nation. Clinton-Gore Report "From Red Tape to Results" highlighted 'Creating a Government that works better and costs less'.The State is responsible for economic, legal and political development of people. It regulates Markets that provide opportunities.The civil society mobilises public opinion for participation of people in the affairs of Governance.

Indian Railways under The Government of India is the 'empire within empire' having its own Budgetary process parallel to the Central Government. IR has wide presence in the nook and corner of the country. It is the lifeline of Indian economy. It is the highest employer of citizens of the country. IR runs about 13000 trains daily moving 23 million passengers connecting 800 stations by 65000 route KM rail network. IR hauls about 1008 million Tons of Goods traffic. It contributes to about 1% to national GDP despite stressed operations and under- investment. It, however, pays its own wage bill and regularly pays dividend to GOI. Shri Narendra Modi, the Prime Minister of India has identified Railways as a thrust area of development as 'IR has a deep network, if tapped judiciously, can create substantial improvement in the hinterland'.The governance

इसीलिए भारतीय रेल के शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अत्यन्त महत्व है।

भारतीय रेल 7 उत्पादन इकाइयों (डीएलडब्ल्यू, डीएमडब्ल्यू, सीएलडब्ल्यू, आईसीएफ, आरसीएफ, आरबीएल, आरडब्ल्यूएफ) एवं कोर (विद्युतीकरण के लिए), रेलटेल तथा आईआरपीएमई (सिगनलिंग एवं टेलीकॉम परियोजनाएँ) जैसी परियोजना इकाइयों सहित 16 क्षेत्रीय मुख्यालयों के माध्यम से परिचालन कर रहा है। नीति और समन्वय के लिए इसका प्रमुख रेल बोर्ड है जो 70 मंडलों के माध्यम से देश भर में लम्बी दूरी की परिवहन सेवाएँ देने के लिए सुसंगठित है। हालांकि यात्री और माल भाड़ा दोनों की बढ़ती मांग और फंड की कमी के कारण आगे का पथ विषम है। उदाहनार्थ, एक स्टील प्लांट के उत्पादन में प्रत्येक टन की वृद्धि के लिए रेल की माल ढुलाई में 4.65 टन की वृद्धि होती है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में खनिज, कोयला, उर्वरक एवं खाद्यान्न की बढ़ती मांग के कारण क्षमता की कमी का दायरा और बढ़ा है। समाज की आकांक्षाओं और अर्थव्यवस्था की उम्मीदों की पूर्ति करने के लिए भारतीय रेल को जीवंत बनाने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता है जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

बहरहाल, केवल धन उपलब्ध कराने से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। समय और लागत सीमा के अन्दर परियोजनाओं के लक्ष्य की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंधन तथा आपूर्ति श्रृंखला में लीकेज एवं बर्बादी को रोकना प्रमुख चिंता है। यद्यपि ट्रेन परिचालन का प्रबंधन, परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण, परियोजनाओं का खाका बनाना, आपूर्ति श्रृंखला तथा लॉजिस्टिक्स एवं वित्त व कार्मिक जैसे संसाधनों का प्रबंधन भारतीय रेल के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन भारतीय रेल के इंटरफेस के दो स्तर हैं- बाह्य ग्राहक एवं व्यवसायिक संस्थाएं। इसका पहला इंटरफेस ट्रेनों के यात्रियों के साथ है जो इसके ग्राहक हैं तथा जिसे आर-2 सी इंटरफेस कहा जाता है। दूसरी श्रेणी का इंटरफेस रेल एवं उन व्यवसायिक समुदायों के बीच है जो सामग्रियों की आपूर्ति कर निर्माण कार्यों के अलावा विभिन्न कार्य एवं सेवाएं मुहैया कराते हैं। तकनीकी प्रकृति के इन निर्माण कार्यों यथा लीजिंग, हायरिंग, क्लीनिंग एवं साफ-सफाई सेवाओं को आर-2 बी इंटरफेस के रूप में रखा जा सकता है। संविदाओं (लगभग रु. 50,000/- करोड़) के माध्यम से रेल के द्वारा क्रय से परामर्शी सेवाओं सहित सामग्री, निर्माण कार्य एवं सेवाएँ उपलब्ध कराने में विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक समुदायों के लिए पर्याप्त व्यवसाय के अवसर प्राप्त होते हैं। परिचालन और

of Indian Railway, therefore, gains paramount importance for development of the backbone of Indian economy.

Though Indian Railways (IR) has been operating through 16 zonal headquarters, supported by seven production Units (DLW, DMW,CLW,ICF,RCF,RBL,RWF) & project Units like CORE (for Electrification) and Rail Tel and IRPMU (for Signaling & Telecom Projects). For policy and coordination, it is headed by Railway Board and is well organised to deliver the long distance upcountry transportation services through 70 Divisions. However, owing to growing demand of both passenger and freight traffic and scarcity of funds, there is bumpy path ahead. For example, incremental increase of one Ton production capacity of Steel plant, the demand of Rail freight (for supply of raw materials and movement of finished goods) is increased by 4.65Tons. Besides, requirement of economy for movement of minerals, coal, fertilizers and grains etc. the demand has been growing in terms of volume widening the capacity constraints. In order to make IR vibrant to meet aspirations of society and expectations of Indian economy, large investment is required for which Govt is committed.

However, money alone may not serve the purpose.The management of resources to meet targets of projects within time and cost limits and prevention of leakage and wastages in supply chain are major concerns. Whereas management of train operations maintenance of assets, project planning, supply chain & logistics, and that of resources like Finance and personnel are within IR's own domain, there are two levels of interface of IR with external customers and business entities. First interface of IR is with passengers of trains as customers of services (Rail to customers) being called as R2C interface.The second category of interface is between Railway and Business communities who supplies materials,and provide various works and services including

संरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए तथा परियोजनाओं के परिचालन में लागत और समय पर नियंत्रण करना भारतीय रेल की सबसे बड़ी चुनौती है। लीकेज तथा गैर जरूरी व्यय पर रोक के लिए सुशासन आवश्यक है। आर–2 सी अधिकार क्षेत्र में जनशिकायतों का निवारण एवं आर–2 बी अधिकार क्षेत्र में विवाद का समाधान, सुशासन के लिए आवश्यक है। इसीलिए सुशासन के लिए निम्नलिखित रणनीतियों को बनाने की जरूरत है–

(क) नीतिगत ढाँचे का निर्माण : अधिकांश रेल कर्मचारी कानून के प्रति निष्ठा रखने वाले नागरिक होते हैं। साफ तथा सुस्पष्ट नीतियों एवं अनुदेशों के होने से वे इनका काफी हद तक अनुपालन करना चाहेंगे। हठीले, डिफॉल्टर और काम से जी चुरानेवाले बहुत कम होते हैं। इसीलिए वरीयता के आधार पर सही एवं स्पष्ट नीतिगत ढाँचे जारी करने पर बल देना अनिवार्य है। प्रत्येक विभाग में विभिन्न कार्यों के लिए विद्यमान संचालन नियमावली एवं संहिताओं के बावजूद काफी संख्या में अनुपालन के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। यद्यपि बजट का बड़ा भाग गुड्स, निर्माण–कार्य एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है फिर भी, इन कोडों (संहिताओं) को निर्माण कार्य की संविदा के लिए निर्माण–कार्य परिभाषित करना बाकी है। इसके परिणामस्वरूप एक ही सामग्री भंडार और निर्माण कार्य संविदाओं के माध्यम से खरीदी जाती है जिससे रेल को अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है। भारत सरकार को व्यवसाय नियम, 1961 (अगस्त, 1994 से पहले क्रय नीति निर्धारण के लिए पूर्ति विभाग नोडल विभाग था) के तहत सार्वजनिक क्रय हेतु, नीति बनाने के लिए किसी स्वतंत्र संगठन की घोषणा करनी है जिसके अभाव में विभिन्न मंत्रालय अभी क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए क्रय नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं। एमएसएमई, डीईआईटी, फार्मेसी आदि विभागों ने अपनी आवश्यकताओं हेतु क्रय के लिए बिना संबद्ध मंत्रालयों से परामर्श किये क्रय नीतियाँ निर्धारित कर ली हैं। कभी–कभी इन नीतियों में किये गये प्रावधान न केवल एक दूसरे का उल्लंघन करते हैं, बल्कि क्रय कमियों में भ्रम पैदा करते हैं। किसी अन्य विभाग द्वारा जारी की गयी ऐसी किसी भी नीति की रेल बोर्ड द्वारा रेल के हित को ध्यान में रखते हुए रेलवे कर्मियों को समुचित दिशा–निर्देश हेतु जारी करने की आवश्यकता है।

construction works. These works of technical nature and services of leasing, hiring, cleaning and sanitation services may be referred as R2B interface. Railways' procurement through contracts (about Rs.50000 cr) provides substantial business opportunity for different types of Business communities in providing materials, works and services including consulting services.

Meeting of operational and safety requirements,and controlling cost and time over-run of projects are the biggest challenge for IR. Good governance also calls for prevention of leakage and wasteful expenditure. Redressal of public grievance in R2C domain and dispute resolution in R2B domain are required to be addressed for good governance. It is, therefore, necessary to devise following strategies for good governance.

a) Design of policy frame work : Most of Railway employees are law abiding citizens. Provided with clear and unambiguous policies and instructions, they will like to follow them to the maximum extent possible. Wilful Defaulters and truants are very few. It is, therefore, imperative to address the issue of proper and clear policy framework on priority. Inspite of working manual and Codes existing for different functions in each department, ample number of instructions are being issued for compliance. Though major part of budget is spent on Goods, Works and Services, these codes have yet to define "works "for the purpose of entering into contracts. This results into same goods procured through different routes of Stores and works contracts causing significant extra cost to Railways. Government of India is yet to declare any independent organization under Allocation of Business Rules, 1961(earlier Deptt of Supply was nodal for policy of procurement prior to Aug.1994) for framing policy for Public Procurement pending which different Ministries are now issuing procurement policies to promote sectoral interests. The policies issued by MSME, DeIT, and Deptt of Pharmacy etc have done so without consulting stake holding ministries responsible for procurement for their requirements. Sometimes provisions of these policies not only contravene each other but also create confusion to procurement professionals. Any such policies brought out by any other Depts. need to be examined by Railway Board with considered and holistic decision in the interest of Railways for issue of suitable guidelines to Railway personnel's.

(ख) प्रक्रियाओं का मानकीकरण: यद्यपि रेलवे की अधिकतर व्यय राशि आउटसोर्सिंग संविदाओं के माध्यम से खर्च होती है फिर भी, विभिन्न जोनों के बोली दस्तावेज मानकीकृत नहीं हैं। इसमें सामंजस्य बिठाने की जरुरत है। भंडार संविदाओं को आईआरएस मानक शर्तों तथा निर्माण संविदाओं को सामान्य संविदा शर्तों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेवा संविदाओं के शर्तों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इसके अभाव में सफाई, स्वास्थ्य, रक्षा, खानपान सेवाओं की संविदाएं निमार्ण कार्य की संविदा शर्तों के आधार पर निर्णीत कर दी जाती है। सिविल इंजीनियरी निर्माण कार्यों के लिए बड़े मूल्य की टर्नकी संविदाओं का निर्धारण रेल बोर्ड द्वारा जारी सामान्य संविदा शर्तों (जीसीसी) के आधार पर कर दी जाती हैं जो इन्कोटर्म्स द्वारा नियंत्रित आयातित प्रकृति के मल्टी-करेंसी संविदा शर्तों को संज्ञान में नहीं लेती है। अतएव, यह भारतीय रेल पर निर्भर करता है कि सभी जोनल रेलों पर एकरूपता से लागू किये जाने के लिए सामग्रियों, विभिन्न प्रकृति के निर्माणकार्य और सेवाओं के लिए बोली दस्तावेज को मानक स्वरूप प्रदान करें।

(ग) निष्पादन की स्वतंत्र निगरानी: यद्यपि प्रत्येक विभाग परिचालन के निष्पादन की अलग से समीक्षा कर रहा है तथापि बड़े मूल्य की/महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी रेल बोर्ड में शीर्ष स्तर पर मल्टी डिसिप्लीन टॉस्क फोर्स (क्रिटिकल) के साथ किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा की जानी चाहिए। नीतियों के अनुपालन पर निगरानी किया जाना अपेक्षित है परंतु विपथन, विचलन और विलंब की भी आईटी आधारित निगरानी की आवश्यकता है। एक निश्चित सीमा रेखा के बाद आउटसोर्सड् संविदाओं के मूल्य, गुणवत्ता और समय-सीमा की स्वतंत्र निगरानी शीर्ष स्तर पर अपेक्षित है जो अर्थव्यवस्था और सेवाओं की प्रभावकारिता को बनाये रखने में काफी मददगार साबित होगी।

(घ) निवारक सतर्कता: सरकारी निर्माण-कार्य में भ्रष्टाचार सरकार और समाज के लिए चिंता का प्रमुख क्षेत्र है। भ्रष्टाचार दो प्रकार के हो सकते हैं:-

i) आवश्यकता आधारित भ्रष्टाचार: यह अधिकांशत: आर 2 सी अधिकार-क्षेत्र में होता है जहाँ रेल को क्षमता की कमी के बावजूद उपभोक्ताओं को संतोषप्रद सेवाएं मुहैया करानी है।

b) Standardization of processes: Though major expenditure of Railways goes through outsourcing contracts, the Bidding Documents of different zones are not standardized. They need to be harmonized. Stores Contracts are governed by IRS standard conditions and construction Contracts are governed by General Conditions of contracts. The conditions of service contracts are yet to be finalized. In absence of this, contracts of cleaning, sanitations, catering services are concluded with conditions based on works contracts. The procurement of large value Turnkey contracts are being made with GCC issued by Railway Board for civil engineering construction works, which do not take care of nature of multi- currency contracts of imported nature governed by INCOTERMS. Hence it is incumbent on IR to standardize the Bidding Documents for Goods, Works and Services of different nature to be uniformly applied in all zonal Railways.

c) Independent Performance Monitoring:Though each dept has been reviewing performance of operations separately, the monitoring of performance of high value/critical projects should be done by independent units with multi discipline task force at the apex level in Railway Board. Compliance of policies is required to be watched, but also IT based monitoring of aberrations, deviations and delay need to be seen closely. An independent monitoring of Price, Quality and Time cycle of outsourced contracts beyond certain threshold is required at the apex level which will go in a long way in maintaining economy and effectiveness of the services.

d) PreventiveVigilance: Corruption in public works is a major area of concern for Govt as well as civil society. The corruption may be of 2 types-

i) Need based corruption-This happens more in R2C domain where Railway has to face customers of services due to need of consumers and lack of capacity of Rlys to provide satisfactory services due to constrains of capacity. The quantum and monetary value may be small but it has adverse effect on the Image of Railways in public.

ii) लालच आधारित भ्रष्टाचार:- यह अधिकाशंत: आर 2 बी अधिकार क्षेत्र होता है और इसमें भ्रष्टाचार के बड़े मामले शामिल होते हैं। इसके कारण लागत और सेवाओं की गुणवत्ता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए कानून और विनियम पर्याप्त नहीं है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) काफी समय से मौजूद रहे हैं। हाल ही में लाये गए आरटीआई एक्ट और व्हिसिल ब्लोअर एक्ट का हठीले डिफॉल्टर की कठोर आदतों और विकृत मनोवृत्ति के चलते भ्रष्टाचार नियंत्रण पर काफी कम प्रभाव पड़ा है।

यूएन कन्वेंशन (1996) का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में जागरूकता बढ़ाकर भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना था। हाल ही में, समाज के सक्रियतावादी पहल ने भी भ्रष्टाचार के निवारक का कार्य किया है। निविदाओं तथा संविदाओं की नियमित समीक्षा और विश्लेषण कर भ्रष्टाचार निवारक उपाय किये जा सकते हैं।

भंडार निविदाओं में शुरू की गयी इलेक्ट्रॉनिक टेंडर प्रक्रिया और ई-नीलामी से विवेकाधिकार की गुंजाईश कम हुई है। प्रोक्यूरमेंट सिस्टम का विस्तार केवल ई-टेंडरिंग में ही नहीं अपितु निर्माण-कार्य और सेवा संविदाओं के क्षेत्र में भी अपेक्षित है क्योंकि पारदर्शिता-प्रोत्साहन में लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी का दूरगामी प्रभाव रहा है।

बर्लिन का एक संगठन 'ट्रांसपेरेंसी-इंटरनेशनल' ग्राउंड स्तर पर सर्वे करने के बाद विभिन्न देशों की भ्रष्टाचार संबंधी सूची प्रकाशित करता है। इस सूची में विश्व के 175 देशों में भारत का 85वाँ स्थान है। इस संस्था ने भारत सरकार की कई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के साथ सत्यनिष्ठा समझौता को शामिल करने के लिए समझौता ज्ञापन तय किया है। वर्ष 2005 में ओएनजीसी के शुरुआत करने के बाद सेल तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों तथा निजी क्षेत्र में सीमेन्स ने भी इसकी शुरुआत की। मुख्य सतर्कता आयुक्त ने उच्च मूल्य की निविदाओं में सत्यनिष्ठा समझौता शामिल करने के लिए परामर्श जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने भी बोली दस्तावेज में शामिल किये जाने के लिए एक ड्राफ्ट सत्यनिष्ठा समझौता परिचालित किया है। यह रेलवे के लिए परामर्शयोग्य हो सकता है कि एक सीमा के बाद रु. 10 करोड़ के मूल्य वाले रेल निविदाओं के लिए सीवीसी द्वारा अनुशंसित और रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित आईईएम (इंडिपेंडेंट एक्सटरनल मॉनिटर) को शामिल कर अपने बोली दस्तावेज में सत्यनिष्ठा समझौता को शामिल करें। इससे किसी भी स्तर पर अथवा किसी

ii) Greed based corruption- This happens more in R2B domain and involves big ticket cases. This has wider implication on cost and Quality of services.

Laws and Regulations are not adequate to curb corruption. Prevention of corruption Act and IPC have been in place for long. RTI Act and Whistle Blower Act which have been newly introduced have very marginal effect on curbing corruption because of hard habits and perverted attitudes of wilful defaulters.

UN Convention (1996) was dedicated for Prevention of corruption by involving all sections of society to raise public awareness. Of late, activist like approach of civil society has also created deterrent for corruption. Prevention measures can be taken by regular review and analysis of Tenders and Contracts. Electronic Tendering and e Auction introduced in Stores Tenders have reduced discretions in substantial ways. The procurementsystem not only need to be extended beyond e. tendering but is also required in the areas of works and service contracts, as Leveraging Technology has long term effect in encouraging transparency.

Berlin based organization, Transparency International annually publishes the Corruption perception Index (CPI) of different countries after survey at ground. Out of 175 countries the of world, India falls at 85thposition in CPI.TI has concluded MOU with many PSUs of GOI for including Integrity Pact(IP) .ONGC was first to start in 2005 followed by SAIL and other PSUs Siemens have are first to follow in Pvt Sector. CVC has issued advisory for including Integrity Pact in high value Tenders. Ministry of Finance has also circulated a draft IP to be incorporated in the Bidding Documents. It may be advisable for Railways to include IP in their Bidding Documents involving IEMs (Independent External Monitors) recommended by CVC and approved by Railway Board for Railways Tenders beyond the threshold, value of Rs.10 crore.This will create

भी विभाग में क्रय में शामिल व्यक्तियों में विश्वास पैदा होगा और व्यवसाय समुदाय में विश्वास में बढ़ोत्तरी होगी।

(ङ) शिकायत निवारण प्रणाली:- आर 2 सी तथा आर 2 बी में शिकायतों के स्वत: निवारण की क्रियाविधि, जो कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अनुशंसित है, को रेल की छवि सुधारने के लिए प्रतिष्ठापित करने की आवश्यकता है। सिटिजन चार्टर कन्सेप्ट को अभी भी रेल में शामिल किया जाना है। निविदा प्रक्रिया में विरोध और चुनौती के तरीके एवं संविदाओं के निर्धारण के पश्चात् असफल बोलीदाताओं की डीब्रिफिंग मानक पद्धतियाँ हैं, जिनका पालन अंतरराष्ट्रीय बोली में किया जाता है। प्रस्तावित सरकारी क्रय विधेयक 2012 जिसे अभी संसद द्वारा पारित किया जाना है, के द्वारा विधेयक में स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान किया गया था।

(च) प्रशिक्षण एवं जागरूकता:- लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना बहुत कठिन कार्य है। कार्मिकों की मानसिकता और रेलों की कार्य संस्कृति को बदलना आसान नहीं है। सूक्ष्य कौशल तथा कार्यक्षेत्र की जानकारी दोनों ही क्षेत्रों में रेलकमियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी संगठन की कार्य संस्कृति वैसे ही रातोंरात नहीं बदल सकती जैसे रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हो गया था। आधारभूत सहयोग और सही प्रशिक्षण के बिना निचले स्तर पर शक्ति के हस्तांरण से इच्छित/वांछित परिणाम नहीं मिल सकता। रेल के मिशन और दृष्टि के साथ उसे समकालिक बनाने के लिए व्यक्तिगत विश्वास और सोच को बदलने की जरूरत है। संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य को निर्दिष्ट करना आवश्यक है। उपयुक्त प्रशिक्षण द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नेतृत्व को विकसित करना होगा ताकि सही ट्रैक पर रेलों को ले जाने की प्रवृत्ति, जानकारी व कौशल को बढ़ाया जा सके।

सारांश में, प्रक्रियाओं का अनुपालन, विनियमन तथा कार्यों के पर्यवेक्षण के द्वारा रेल को बदलने के लिए दूरगामी रणनीतियों की आवश्यकता है। स्वतंत्र नीतिगत ढांचे, निष्पादन-मूल्यांकन और शिकायत निवारक प्रणाली के लिए संस्थानों को नामित कर भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। विश्वास, चिंतन प्रक्रिया, कार्य पर प्रभाव डालने के लिए सूचना व आधारभूत सहयोग और नियमित प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को साक्त करने से रेल को सुशासन के पथ पर चलाने में काफी मदद मिलेगी।

confidence in persons involved in procurement at any stage or in any department and will further build trust in Business communities.

e) Grievance Redressal System:As also recommended by Administrative Reform Commission,for all Government Departments, the mechanism for independent redressal of grievances both in R2C and R2B spaces need to be institutionalized so as to build image of Railways. The Citizen Charter concept is also yet to penetrate deep in Railways. Protest and Challenge mechanism in Tendering process and Debriefing of unsuccessful Bidders after award of contracts are standard practices followed in international Bidding. The proposed Public Procurement Bill 2012, which is yet to be passed by Parliament had clearly made such provision in the Bill. Such concepts should, however, be started in procurement system so as to attract trust of Bidding communities.

f) Training and Awareness: Behavioral changes in people is very difficult task. The mind set of personnel and the working culture of Railways are hard to be transformed. The capacity building of Railway personnel both in soft skill and domain knowledge needs special focus. As Rome was not built in a day, the working culture of any organization cannot change overnight. External pressures and irrational whims influence the actions of Decision makers. Devolution of power at lower level without infrastructure support and proper trainings may not yield desired results. Individual Belief and thinking require transformation to synchronize with the mission and vision of Railways. Action has to be directed to the organizational goal and leadership is to be developed to take control of situation by appropriate training to enhance knowledge, skill sets and attitude for keeping Railways on right track.

To sum up, long term strategies are required for transforming Railways by setting up mechanism for compliance, regulations, and proper oversight of functions. Corruptions can be minimized by designating institutions for independent policy framework, performance evaluation and Grievance redressed system. Empowering employees by infra and info structure support and regular training programmer for influencing belief, thinking process and action will go a long way in Railways on the path of good governance.

निवारक जाँच - सुशासन का एक साधन

- हरानन्द
मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब

करीब सौ साल पहले, मैक्स वेवर ने कहा था- ''औचित्य स्थापन व बुद्धिपूर्ण व्याख्या तथा इससे भी कहीं बढ़कर सांसारिक मोहभंग से हमारे वर्तमान समय की नियति चित्रित होती है। वास्तव में, तर्क और प्रश्न तब आनुषंगिक होते है, जब लोग (हमारे मामलें में - ग्राहक) वैधानिक अधिनियमों (हमारे मामलों में - उपभोक्ता संरक्षण और सूचना का अधिकार अधिनियम), सक्रिय मीडिया, सामाजिक मीडिया तथा सूचना प्रौद्योगिकी के अन्य शक्तिशाली संचार उपकरणों के माध्यम से सशक्त बनते हैं। सामंती बाधाएँ टूटती हैं और अनुक्रियाशीलता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा के नये युग का उन्मेष होता है।

एक लोकतांत्रिक सरकार जिसका लक्ष्य सुशासन है, उसे सब के लिए स्वतंत्रता और न्याय, पारदर्शिता, समान अवसर, विधि-नियम और इसकी प्रतिपादन प्रणाली के प्रभावी परिचालन आदि को सुनिश्चित करना होगा।

एक वृहद् विषमरूपीय भारतीय नौकरशाही जो उपर्युक्त लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, वह उन सभी प्रकार के बुद्धि-केन्द्र का एक समृद्ध भंडार है जो वर्तमान उपभोक्तावादी और पूँजीवादी समाज में विद्यमान है। इनमें से कुछ निष्ठावान और समर्पित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी हैं जिन्हें नवधनाढ्य बनने की कोई लालसा नहीं है जबकि दूसरी ओर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो लालची हैं और अपने तुच्छ धन संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्था का शोषण करने पर आतुर हैं।

स्पष्टत:, व्यक्तियों का एक बड़ा समूह नियमों और विनियमों - एक संहिता जो निर्धारित पैरामीटर के अंतर्गत कार्यक्षेत्र को रूपरेखा प्रदान करता है, उसके तहत काम करता है। इस प्रकार की पृष्ठभूमि के बावजूद निवारक जाँच करने बाली एजेंसियों की भूमिका प्रशासनिक अनिवार्यता हो जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि निवारक जाँच भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का एक प्रभावी साधन है।

वर्षों पुरानी कहावत- 'इलाज से परहेज अच्छा' की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिपादन प्रणाली के सभी जगहों पर नियमित और बारम्बार जाँच से नीतियों एवं परिभाषित लक्ष्य के त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी

Preventive check as a tool of good governance

- Harananda
Chief Security Commissioner/RPF

More than hundred years ago, Max Weber had said - "The fate of our times is characterized by rationalization and intellectualization and, above all, by the disenchantment of the world." Actually, reasoning and questioning go together when the public (customers in our case) get empowered through a string of legal enactments (in our case - the Consumer Protection and the Right to Information Act), proactive media, social media and other powerful communication tools of Information Technology. The feudal barriers are broken - the new era of responsiveness, accountability and probity dawns.

A democratic government which aims at good governance has to ensure liberty and justice for all, transparency, equal opportunities, Rule of law and effective functioning of its delivery mechanisms - to name a few.

A large heterogeneous Indian bureaucracy which exists to implement the above mentioned goals is a rich reservoir of all types of brains which exist in the present consumerist and capitalist society. - some are sincere and dedicated, fair and transparent with no lust of becoming a nouveauriche while on the other end of the spectrum are a large number of greedy men eager to exploit the system for their petty pecuniary goals.

Obviously, such a broad-spectrum large group of persons work within framework of rules and regulations - a code which outlines the areas of functioning within laid down parameters. It is against such a backdrop that the role of agencies that have to conduct preventive checks becomes an administrative imperative. Needless to say that prevention is an effective tool to check corruption.

The age old maxim that "prevention is better than cure" needs no elaboration. Regular and frequent checks at all the points of delivery mechanisms will always yield a good harvest of speedy,

क्रियान्वयन से अवश्य ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यह अन्तर्निहित अनुशासन की आधारशिला प्रदान करता है। अनुशासन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

''हितार्थे शासनम् इति अनुशासनम्'' जिसका अभिप्राय है - अनुशासन कल्याण के लिए शासन है।

हमारी तरह के किसी भी सेवा संगठन में ऊर्ध्व और क्षैतिज - दोनों स्तर पर निवारक जाँच हेतु क्रिया-विधि निर्धारित की गयी है। यह सुनिश्चित करना प्रत्येक रेलकर्मी का कर्त्तव्य है कि आँख और कान खुले रखें- आखिरकार, सनातन सतर्कता ही स्वतंत्रता का मूल्य है।

हमारे पूर्वज 'सर्वेभवन्तु सुखिन:' की बात करते थे जो तबतक संभव नहीं है जबतक हर व्यक्ति हाथ से हाथ मिलाकर यह सुनिश्चित न कर ले कि सुशासन का लाभ आम आदमी तक पहुँचे।

हम सभी जेफ्रि जकर का यह कथन सदैव याद रखें कि- ''वैसे लोग और संस्थान जो अंत में त्रुटियों को स्वीकार करने से इंकार करते हैं, स्वयं को ही अवमानित करते हैं।''

रामलीला

- **हरानन्द**, मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब

रामलीला मैदान में
दशानन का जब वध हुआ
भारी भीड़ के साथ
सभी झूमे
मैं भी था.
फिर रात गहरायी
पसरा सन्नाटा
मेरे अन्त:पुर का
रावण जागा-
दसों दिशाओं में
फैल गये इच्छाओं के विषधर,
कांपा अधर,
कुछ भी नहीं बदला.
वही तामसी अंधेरा-

दूर तक
नाकाम हो गयीं
सारी कोशिशें
देवत्व को पाने की.
जिजीविषा
वन फूलों में भटकती रही.
काश ! तोड़ पाता मैं
यह लौह कारा -
निर्बाध
निर्द्वंद्व
निर्विघ्न
जीता मैं।

fair and effective implementation of policies and defined goals. It lays the foundation of an inbuilt discipline. "Discipline" or "Anushashan" has been defined as :-

"Hitarthe Shashanam Iti Anunshashanam" which means "discipline is governing for welfare."

In any service organisation like ours, mechanisms have been laid down for preventive checks at all levels - vertical and horizontal. It is the duty of every railway-man to ensure that eyes and ears are open - after all, eternal vigilance is the price of liberty.

Our ancestors talked of "Sarve Bhavantu Sukhinah" which is not possible unless everyone joins hands to ensure that the benefits of good governance reach the Common Man.

Let us always remember what Jeffrey Jucker had said- "People and institutions that refuse to admit error eventually discredit themselves."

If a county is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher.

- Dr. A.P.J. Abdul Kalam

फील्ड यूनिट के द्वारा भंडार सामग्रियों का संचालन व संबंधित अभिलेख का रख-रखाव

- महेश कुमार
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार

सतर्कता अन्वेषण के दौरान यह पाया गया है कि भंडार सामग्रियों का संचालन करने वाले फील्ड यूनिट कर्मियों द्वारा नए व निर्मुक्त भंडार की प्राप्ति, लेखाकरण एवं निर्गम के लिए सही पद्धति नहीं अपनाई जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में संबंधित अभिलेख का भी सही ढंग से रख-रखाव नहीं किया जाता है। मंडल के अधिकारियों द्वारा खंडशः निर्देश जारी किए गए हैं जो एक मंडल के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न मंडलों में समरूप नहीं है।

अन्वेषण के दौरान यह पाया गया है कि हालिया समय में कार्यकारी अधिकारियों, विशेष कर विद्युत तथा दूरसंचार व संकेत विभाग के द्वारा अनुरक्षण व कार्यसंविदा के तहत प्राप्त नई सामग्रियों व निर्मुक्त भंडार के लिए मंडल मुख्यालय में केन्द्रीकृत भंडार के संचालन पर जोर दिया जाता रहा है। केन्द्रीकृत भंडार के कर्मियों व अन्य अधीनस्थों जो नई भंडार सामग्रियाँ प्राप्त करते हैं तथा निर्मुक्त सामग्रियाँ केन्द्रीकृत भंडार को भेजते हैं, उनके मध्य भंडार सामग्रियों के लेन-देन की प्रक्रिया तथा इससे संबंधित अभिलेखों के रख-रखाव के संबंध में स्पष्टता का अभाव है।

अलग-अलग समय पर उपरोक्त विषय को विभिन्न विभागाध्यक्षों के समक्ष उठाया गया है। कुछेक अवसरों पर विभाग के द्वारा यह सूचित किया गया है कि केन्द्रीकृत भंडार संचालक को छोड़कर मेक-शिफ्ट भंडार संचालकों द्वारा भंडार सामग्रियों का विशुद्ध आकलन नहीं रखा जाता है। सतर्कता अन्वेषण के क्रम में क्षेत्र इकाई (फील्ड यूनिट) द्वारा भंडार के अदान-प्रदान का लेजर/अभिलेख नहीं रखने, कार्य निविदा के तहत प्राप्त सामग्रियों को केन्द्रीयकृत भंडार द्वारा संबंधित अधीनस्थ यूनिट को वर्षों तक नहीं भेजने, संवेदक को लोन पर बिना कॉन्ट्रेक्ट में प्रावधान के सामग्रियाँ निर्गत करने तथा निर्गत सामग्री के लिए राजस्व का न वसूला जाना, स्थानान्तरण पर भंडार का प्रभार नहीं देने एवं नए पदग्राही के द्वारा बिना भंडार का प्रभार लिए भंडार का संचालन प्रारंभ करने आदि के तथ्य संज्ञान में आये हैं। ये अनियमितताएँ रेलवे सामग्रियों के गबन में सहायक कारक हो सकती हैं।

इसलिए यह आवश्यक है कि नए एवं निर्मुक्त भंडार सामग्रियों की प्राप्ति, लेखाकरण एवं उनके निर्गम के लिए तथा इससे संबंधित अभिलेख के रख-रखाव

Handling of stores and maintenance of records thereof by field units

- Mahesh Kumar
Dy. Chief Vigilance Officer/S

During course of vigilance investigations, it has been observed that subordinates holding stores in field units do not follow correct procedures for receipt, accountal and issue of new as well as released stores. Records are also not maintained properly in this regard. Piecemeal instructions have been issued by divisional executives which are not uniform within the division among various departments and across the divisions.

It has been observed during investigations that in recent times stress has been laid by executive departments especially Electrical and S&T to maintain centralized stores at divisional headquarters for new materials meant for maintenance and works contract as well as released materials. There has been lack of clarity in the process of transaction of stores and maintenance of records there to among the subordinates of centralized stores and other subordinates drawing new materials and sending released materials to the centralized stores.

The above issue has been raised with PHODs at different point of time. On some occasion, it has been intimated by executive departments that very strict accountal of stores is not kept by subordinates of make-shift stores i.e. those other than the in-charges of centralized stores. Instances of not keeping any ledger/record for transaction of stores by field unit subordinates, non-dispatch of materials received against works contracts by the centralized stores to the concerned subordinate for years, issuing materials to contractors on loan without provision in contract & not realising revenue for issued material, not handing over the charge of stores on transfer and handling of stores by the new incumbent without taking charge of stores et al have been noted during vigilance investigations. These irregularities may act as contributory factors in misappropriation of railway material.

It is, therefore, necessary to adopt a uniform system for receipt, accountal and issue of stores and maintenance of record

के लिए समरूप प्रणाली अपनायी जाए। क्षेत्र इकाई (फील्ड यूनिट) के अधीनस्थों को भंडार सामग्रियों के संचालन तथा सही रूप से इस कार्य से संबंधित अभिलेख का रख-रखाव करने के प्रति सर्तक रहने के सुझाव दिए जाएँ। भंडार सामग्रियों के संचालन एवं संबंधित अभिलेखों के रख-रखाव के तौर-तरीके जो भंडारधारकों व अन्य संबंधित कर्मियों द्वारा अपनाए जाने हैं, इस लेख में नीचे विस्तृत रूप में दिए गए हैं।

1. डी.एम.टी.आर. का रख-रखाव -

क. अग्रदाय व अधिशेष भंडार सहित सभी सामग्रियों की प्राप्तियाँ एवं निर्गम मैटेरियल अकाउन्ट नोट बुक (संदर्भ: इन्जी कोड पारा ई 1416) या दैनिक सामग्री आदान-प्रदान पंजिका (डी.एम.टी.आर.) में प्रविष्ट किए जाएँ।

ख. दैनिक सामग्री आदान-प्रदान पंजिका (डी.एम.टी.आर.) हर प्रकार के भंडार के आदान-प्रदान का प्रथमतया आधारिक दस्तावेज है। भंडार मद के प्रत्येक आदान-प्रदान को निश्चित तौर पर डी.एम.टी.आर में क्रम सं. के साथ अंकित किया जाना चाहिए। प्राप्ति एवं निर्गम दोनों के लिए अलग-अलग क्रम सं. निरंतरता के साथ संधारित किए जाएँ।

निर्धारित प्रारूप में एक मुद्रित सजिल्द पंजिका का उपयोग डी.एम.टी.आर. के रूप में किया जाए जिसमें पर्याप्त समयावधि के लिए आदान-प्रदान का अभिलेख रखा जा सके। डी.एम.टी.आर. का प्रारूप भारतीय रेल सिंगनल मैनुअल-। की अनुसूची-एच के पारा 6.15.1 या फार्म ई-1416 के अनुरूप होना चाहिए।

ग. इकाई के कनीय वेतनमान अधिकारी के द्वारा डी.एम.टी.आर. पंजिका के प्रथम पृष्ठ पर पंजिका में उपलब्ध कुल पृष्ठों की संख्या का प्रमाण पत्र अंकित होना चाहिए।

घ. किसी भी तिथि के लेन-देन के अंत में प्राप्ति एवं निर्गम दोनों तरफ अंतिम प्रविष्टि के बाद एक रेखा खींची जानी चाहिए। उक्त तिथि को कम प्रविष्टि (प्राप्ति अथवा निर्गम तरफ) के लिए खाली स्थान को तिरछी रेखा खींचकर काट देना चाहिए। इस प्रकार, दूसरे दिन की प्राप्ति तथा निर्गम दोनों तरफ की प्रविष्टि पृष्ठों के समान स्तर से प्रारंभ की जा सकेगी।

ङ. डी.एम.टी.आर. की अविच्छिन्न प्रविष्टियों या किसी तिथि की अंतिम प्रविष्टि व स्टॉकधारक के हस्ताक्षर करने के बीच कोई खाली स्थान न रखा जाए। ऐसे खाली स्थान बाद की तिथियों में भंडार के लेन-देन में हेराफेरी करने के लिए प्रबल खतरा साबित हो सकते हैं। अगर भूलवश ऐसे खाली स्थान

thereof for new as well as released stores. Field unit subordinates are to be advised to remain vigilant and careful in handling the stores and maintaining records properly. Areas where special attention is to be paid by the Sr. Subordinates and other related officials handling stores and the manner in which the records are to be maintained are detailed below in this article.

1. Maintenance of DMTR -

a. All actual receipts and issues of stores including imprest and surplus stores should, in the first instance, be entered in Material Account Note Book (ref: Engg Code Para E 1416) or Daily Material Transaction Register (DMTR).

b. Daily Material Transaction Register (DMTR) is the first hand and basic record for any transaction of stores. Each and every transaction of stores must be entered in the DMTR with a Srl. No. Continuity of the Srl. No. should be maintained in the DMTR separately for "Receipt" and "Issue" side without any break.

A well-bound printed register as per standard format which can record transaction for a considerably long period should be used as DMTR. The format for DMTR may be as per annexure H of para 6.15.1 of Indian Railway Signal Manual - I or form E1416.

c. The first page of the DMTR should contain a certificate from the Junior Scale Officer of the unit indicating the total number of pages available in it.

d. At the end of transaction of a particular day, a line should be drawn after the last entry which may happen either on the receipt side or on the issue side or on both sides. The blank space in respect of smaller number of entries of that date should be scored off. This will enable the next day's entries being started from the same level of the page for both receipt & issue side.

e. No blank space should be kept between consecutive entries in the DMTR or between the day's last entry and Stock Holder's signature. Such blank spaces are potential danger for manipulation of stores transactions at a later date. In case any blank space is left out as mentioned above by mistake,

रह जाते हैं, तो तिरछी रेखा खींच कर खाली स्थान को काट दें।

च. डी.एम.टी.आर. में सामग्री के लेन-देन की दैनिक प्रविष्टि अंकित करने वाले वरीय प्रशाखा अभियंता/कनीय अभियंता/ भंडार लिपिक प्रत्येक तिथि की प्रविष्टि के अंत में अपना हस्ताक्षर/आद्याक्षर करें। उनके हस्ताक्षर/आद्याक्षर वरीय भंडारधारक के नामे किए जाएँ।

छ. जहाँ एक स्टॉकधारक का एक से अधिक स्टेशनों पर विभिन्न पर्यवेक्षकों के पास स्टॉक है तो ऐसे मामले में लाइन पर्यवेक्षकों को निर्गत (या उनसे प्राप्त) सामग्री की प्रविष्टि भी डी.एम.टी.आर. में की जाए।

2. लेजर का रख-रखाव -

क. दैनिक प्राप्ति, निर्गम एवं शेष भंडार का लेखा विवरण प्रारूप ई-1414 (संदर्भ- ईजी. कोड पारा ई 1414) में रखा जाए।

ख. डी.एम.टी.आर./एम.ए. नोट बुक से लेजर में प्रविष्टि जितनी जल्द संभव हो, लेकिन तीन दिनों से अधिक नहीं, कर ली जाए एवं डी.एम.टी.आर. में लेजर फोलियों का संदर्भ दर्शाया जाए।

ग. निर्धारित प्रारूप में एक मुद्रित सजिल्द पंजिका जिसमें पर्याप्त समयावधि के लिए सामग्रियों के आदान-प्रदान का अभिलेख रखा जा सके, का उपयोग लेजर के रूप में किया जाना चाहिए। लेजर के प्रथम पृष्ठ पर इकाई के कनीय वेतनमान अधिकारी द्वारा लेजर में उपलब्ध कुल पृष्ठों की संख्या अंकित कर सत्यापित करना चाहिए तथा दूसरा पृष्ठ विषय सूची के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

3. मेक-शिफ्ट स्टोर/ एक इकाई से दूसरी इकाई में भंडार सामग्रियों का लेन-देन -

क. एक इकाई से दूसरी इकाई/ मेक-शिफ्ट भंडार में सामग्रियों के आदान-प्रदान के संदर्भ में सामग्रियों के साथ चालान/रोड परमिट जारी करना प्रेषक की जिम्मेदारी होगी। यह आवश्यक होगा कि चालान पर साक्ष्यकर्त्ता का आद्याक्षर लिया जाए जिससे कि भविष्य में सामग्री के निर्गत करने के संबंध में कोई विरोधाभाष न उत्पन्न हो।

ख. प्रेषक की यह जबाबदेही भी होगी कि वह चालान का सत्यापन उचित समयावधि, सात दिनों से अधिक नहीं, के अंदर करा ले। यदि उपरोक्त अवधि में चालान सत्यापित नहीं होता है तो सामग्री निर्गत करनेवाले प्राधिकारी (प्रेषक) को सामग्री प्राप्त करनेवाले प्राधिकारी (परेषिती) से संपर्क करना चाहिए या चालान परेषिती से सत्यापित कराने के लिए विशेष दूत भेजना चाहिए।

the same should be diagonally scored off.

f. The SSE/JE/Store Clerk entering the transaction in the DMTR should initial the entries with date at the end of each day. His signature/initial may be under the signature/stamp of the Sr. Subordinates.

g. There may be cases of stock-holders having stocks with one or more Supervisors at other stations. In such cases the issues to the Supervisors (or receipts from them) should be entered in the DMTR.

2. Maintenance of Ledger -

a. Quantity accounts showing the daily receipts, issues and balances in the format E-1414 (ref: Engg Code Para 1414) may be maintained.

b. The entry from the DMTR/MA Note Book to the Ledger should be made as early as possible but not exceeding 3 days and the ledger folio reference should be indicated in the DMTR.

c. A well-bound printed register as per standard format which can record transaction for a considerably long period should be used as Ledger. The first page of the Ledger should contain a certificate from the Junior Scale Officer of the controlling unit indicating the total number of pages available in it. The next page should be used as "INDEX".

3. Transactions of stores to make shift stores / from one unit to another unit-

a. In respect of transactions of materials from one unit to another unit/to make shift stores, it will be the responsibility of the consignor Sr. Subordinate to issue Challans/Road Permit along with the materials issued to the consignee unit. It is necessary to have the initial of the witnessing personnel recorded in the challan to avoid any future dispute in respect of issue of the materials.

b. It will also be the responsibility of the consignor Sr. Subordinates to ensure that the challans are got verified from the Consignee unit within a reasonable period of time not exceeding 7 days. In case of challans not received as verified/accepted within this period, the material issuing authority should contact the consignee or send a special man to the consignee for getting the challan verified.

ग. परेषिती /माँगकर्ता प्राधिकारी भी, बदले में, उचित समय यथा 3 दिनों से अधिक नहीं, तक सामग्री के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निर्गम प्राधिकारी से सम्पर्क करेगा ताकि गलत प्रेषण/सामग्री के गवन की किसी संभावना से बचा जा सके।

घ. जैसे ही चालान सत्यापित हो जाता है, इसे (चालान के सत्यापन का विवरण)/ लेजर में अंकित किया जाना चाहिए।

ङ. मंडल के शाखा अधिकारी के साथ वरीय अधीनस्थ कर्मियों की मासिक बैठक के दौरान असत्यापित चालानों का मिलान किया जाना चाहिए। उसी तरह अंतर-मंडलीय असत्यापित चालानों का मिलान शाखा अधिकारी के स्तर से संबंधित मंडल के साथ एक विशिष्ट अवधि में किया जाना चाहिए।

च. चालान/इश्यू नोट मुख्य स्टॉक धारक के द्वारा ही जारी किए जाएँ न कि लाइन डी.एम.टी.आर. मेन्टेन करनेवाले/मेक शिफ्ट भंडार के पर्यवेक्षक के द्वारा।

4. रिलीज्ड सामग्रियों की खाता बही-

क. नई सामग्रियों की तरह ही रिलीज्ड (निर्मुक्त) सामग्रियों की प्रविष्टि अकाउन्ट नोट बुक/दैनिक सामग्री आदान-प्रदान पंजिका में की जानी चाहिए। इन रिलीज्ड/अधिशेष सामग्रियों का भंडारण अग्रदेय भंडार तथा अन्य प्रकार के भंडार से बिल्कुल अलग होना चाहिए (संदर्भ: अभियंत्रण संहिता पारा-ई 1413)।

ख. अभियंत्रण सामग्री का अर्ध-वार्षिक विवरण- प्रत्येक भंडारधारक को अधिशेष सामग्रियों का अर्द्ध-वार्षिक विवरण 30 सितम्बर और 31 मार्च को तैयार कर अगामी माह की 5 तारीख तक मंडल कार्यालय को समर्पित करना चाहिए।

ग. अधिशेष भंडार की अर्द्ध-वार्षिक विवरणी की प्रति मंडल कार्यालय के द्वारा मुख्यालय को जमा करना चाहिए (संदर्भ: अभियंत्रण संहिता पारा-ई-1427)।

5. मेक शिफ्ट भंडार/लाइन भंडार-

क. इन इकाईयों के पर्यवेक्षक के द्वारा भी उपरोक्त वर्णित नियमों के अनुसार डी. एम.टी.आर. एवं लेजर का प्रयोग सामग्रियों के आदान-प्रदान हेतु करना चाहिए।

ख. लेन-देन को जाने वाली सामग्रियों की मात्रा के अनुरूप निर्धारित और सुगम अंतराल पर (एक पखवाड़ा से अधिक नहीं) लाईन पर्यवेक्षक के द्वारा रखी जानेवाली सामग्रियों की दैनिक सामग्री आदान-प्रदान (डी.एम.टी.आर.) पंजिका के विवरणों को मुख्य स्टॉक धारक के द्वारा रखी जानेवाली डी.एम. टी.आर. में तिथिवार प्रविष्टि बाय-डेट के साथ की जानी चाहिए।

c. The consignee/indenting authority should also, in turn, in the event of materials having not been received within a reasonable time not exceeding 3 days at the receiving end, contact the issuing authority to avoid any possible wrong dispatch/ misappropriation.

d. The details of verification of the challan must be indicated in the Ledger as soon as the challans are verified and received by the issuing authority.

e. At the time of monthly meeting held by the Branch Officers with Sr. Subordinates of the Division, the position of unverified challans should be reconciled. Similarly, for inter-divisional unverified challans, the reconciliation of unverified challans should be done at the level of Branch Officers of concerned divisions at specific intervals.

f. Challans/Issue notes to the other stock-holders shall be made out only by the main stock-holder and not by the Supervisors maintaining the line DMTRs/make shift stores.

4. Ledger for released materials -

a. For surplus/released materials, entries in MA Note Book/DMTR and in ledger should be made item wise as done for new stores after classification of the released materials. Such released/Surplus Stores should be kept distinct from imprest or any other kind of stores (ref: Engg Code Para 1413).

b. Half yearly statement of Engg Material:- Each subordinate should prepare a statement of surplus stores on half yearly basis say on 30th Sept and 31st March and submit the same to Divisional office by 5th of the following month (Ref: Engg Code Para E1425).

c. A copy of half yearly statement of surplus stores (in Form E 1425) for the entire Division should be furnished to the HQs office (ref: Engg Code Para 1427).

5. Make shift Store/Line Stores -

a. The Supervisors of these units shall also maintain line DMTRs and Ledger in the same manner as stated above.

b. At prescribed and convenient intervals (which should normally be not more than a fortnight), depending on the volume of the transactions, the line DMTRs should be brought to the main stock-holder and entries there from be made into the main DMTR with by-dates.

6. रिटर्न जमा करना और मंडल कार्यालय द्वारा इसकी जाँच-

अ. प्रत्येक माह के अंत में वरिष्ठ अधीनस्थ कर्मियों (स्टॉक धारक) के द्वारा माह के दौरान प्राप्त- निर्गत -शेष सामग्रियों का लेखा-जोखा मंडल कार्यालय को अपने नियंत्रक अधिकारी (जैसे सहायक अभियंता) के माध्यम से भेजा जाना चाहिए (संदर्भ: अभियंत्रण संहिता पारा-ई-1417)।

ख. अधीनस्थ कर्मचारियों (भंडारधारक) के द्वारा बनाया गए रिटर्न पर यह प्रमाण पत्र होना चाहिए कि रिटर्न में शामिल सामग्रियों के अलावा उक्त माह के दौरान किसी अन्य सामग्री की प्राप्ति एवं निर्गम नहीं किया गया है तथा इस विवरणी में जो सामग्रियाँ शामिल नहीं की गयी हैं उनकी शेष मात्रा पूर्व में दिए गए विवरण के बराबर ही है। (संदर्भ: अभियंत्रण संहिता पारा-ई-1417)।

ग. अधीनस्थ कर्मचारियों से प्राप्त मासिक विवरणी में अंकित प्राप्ति, निर्गम (इश्यू नोट फार्म एस 1313 या एस 1319 से मिलान कर) की सत्यता की जाँच मंडल कार्यालय के द्वारा की जानी चाहिए। उसी प्रकार लौटायी गयी सामग्रियों के लिए मासिक विवरणी में की गई प्रविष्टि भी संज्ञापन प्रपत्र (एस 1339, एन.एस.-11/ डी.एस.-8) से सत्यापित की जानी चाहिए (संदर्भ: अभियंत्रण संहिता पारा-ई-1418-1419)।

7. विशिष्ट कार्य से संबंधित सामग्री-

क. किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्राप्त सामग्री का भी अभिलेखन लेजर में किया जाना चाहिए। इन सामग्रियों का अभिलेखन अन्य प्रकार की सामग्रियों के खाता-बही में नहीं किया जाय। किसी खास कार्य के लिए प्राप्त सामग्री या किसी खास कार्य से निर्मुक्त सामग्री जब तक उस कार्य के प्रभारी कार्यालयी के अधीन रहता है, तब तक उसे 'मैटेरियल-एट-साइट' समझा जाएगा (संदर्भ: अभियंत्रण संहिता पारा-ई -1437)।

ख. 'मैटेरियल-एट-साइट' का प्रभार कार्यकारी कार्यालयी के पास रहेगा (संदर्भ: अभियंत्रण संहिता पारा-ई 1440)।

ग. स्टाकधारक द्वारा दैनिक रूप से सामग्रियों की प्राप्ति एवं निर्गम का अंकीय अभिलेख प्रारूप ई- 1441 पर रखा जाएगा।

घ. 'मैटेरियल-एट-साइट' की त्रैमासिक विवरणी:- वैसे पर्यवेक्षक जो संबंधित कार्य करा रहे हैं तथा स्टॉकधारक भी है, उनके द्वारा प्रारूप ई-1446 पर 'मैटेरियल-एट-साइट' की त्रैमासिक विवरणी तैयार की जाएगी एवं उसे मंडल कार्यालय भेजा जाएगा। इस विवरणी में केवल वही सामग्रियाँ समाहित की जाएँगी जिनका आदान-प्रदान उस त्रैमासिक अवधि में किया गया है।

6. Submission of return & its check by divisional office-

a. At the close of each month, all Sr. Subordinates holding stores should submit monthly return to the Division office through his controlling officer (say AEN) indicating the transactions during the month and the balance stock with him at the end of the month (Ref: Engg Code Para E 1417).

b. The return should bear a certificate from the subordinate concerned that no items other than those included in the statement have been received or issued during the month and balances of all items of stores not included in the statement remain the same as at the end of the previous month (ref: Engg Code Para E 1417).

c. Monthly statement received from subordinates should be checked in the Divisional office for correctness of receipts and issues (by matching with issue note in forms S.1313 or S. 1319). Similarly for returned stores, the entries made in statement should be verified with Advice Note of returned stores (S.1339) called NS-11 or DS-8 (ref: Para E1418 and E1419).

7. Material pertaining to specific works -

a. Materials received against specific works have also to be recorded and ledger entry to be made. These materials should not be entered in the ledger of any other category of stores (ref: Engg Code Para 1436). Material when obtained for a particular work or when released in connection therewith, so long as they are under the control of the authority in executive charge of that work, be deemed to be 'Material at Site' (ref: Engg Code Para E1437).

b. Material at Site Account will be under the custody of the subordinate executing the work (Ref: Engg Code Para E 1440).

c. A daily numerical record of receipt and issue of material for material at site work should be maintained by stock holder in the From E-1441.

d. Quarterly Material at Site Return: The supervisor who is executing the work and also functioning as stock holder shall prepare a quarterly Material at Site Return in form E-1446 and send the same to Divisional Office. This return will include only those items for which there has been any transaction (receipt/ issue).

ङ. अधीनस्थ कर्मी द्वारा प्रेषित त्रैमासिक विवरणी में वर्णित सामग्रियों का मिलान पूर्व में जमा की गयी विवरणी से करते हुए प्राप्ति एवं निर्गम की सत्यता (इश्यू नोट से मिलान कर) एवं भंडार वापसी (एन.एस.–11 से मिलान कर) की सत्यता की जाँच की जानी चाहिए। (संदर्भ: इंजी. कोड पारा ई–1447)

च. यह ध्यान दिया जाए एवं सुनिश्चित किया जाए कि जिस कार्य के लिए सामग्री की क्रय की गई है, उसे उसी कार्य के लिए निर्गत किया जाए। अर्थात, जिस विशिष्टि प्राक्कलन/ संविदा के तहत् सामग्री प्राप्त की गयी है उसी विशिष्टि प्राक्कलन/ संविदा के तहत कार्य के लिए उसे निर्गत किया जाए। उसी प्रकार, मरम्मत शीर्ष पर प्राप्त सामग्री कार्य संविदा हेतु निर्गत न की जाए। आपात आवश्यकता पर अपवाद स्वरूप निविदा स्वीकार करनेवाले प्राधिकारी को औचित्यपूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत कर उनकी अनुमति के पश्चात ही इसकी आज्ञा दी जा सकती है।

छ. वैसी सामग्रियाँ जिनकी स्टॉक से संवेदक को निर्गत करने का कोई प्रावधान निविदा करार में नहीं है, उन्हें निर्गत न किया जाए। इसी प्रकार के किसी निर्गम के लिए, जो कि अपरिहार्य है, उसका विकलन तत्क्षण करना चाहिए।

8. भंडार का निरीक्षण –

क. भारतीय रेल स्थाई पथ मैनुअल के पारा 115 के साथ–साथ भारतीय रेल कार्य मैनुअल के पारा 113 के परिपेक्ष्य में कनीय वेतनमान अधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रशाखा अभियंता कार्यालय एवं भंडार का कम से कम वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाए। इस निरीक्षण में भंडार से संबंधित अभिलेख, उदाहरणार्थ डी.एम.टी.आर./लेजर, रिलीज्ड सामग्री का लेजर एवं अन्य भंडार से संबंधित अभिलेखों की जाँच शामिल होगी।

ख. भंडार की जाँच के क्रम में कनीय वेतनमान अधिकारी द्वारा विशेषरूप से अग्रदाय भंडार, उसके वितरण एवं मंडलीय अधिकारी की सही आवधिक आवश्यकता की समीक्षा की जानी चाहिए।

9. स्टॉक का सत्यापन –

क. स्टॉक का लेखा सत्यापन– स्टॉक के लेखा सत्यापन को अपेक्षित महत्व दिया जाए। यदि स्टॉक का लेखा सत्यापन निर्धारित विशिष्ट समयांतराल पर नहीं किया जाता है तो इसे मंडल लेखा अधिकारी/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के संज्ञान में लाया जाए जिससे कि आगे लेखा सत्यापन बिना विलम्ब कराया जा सके। बहुत से मामले में ऐसे स्टॉक सत्यापन वरीय

e. The quarterly MAS return sent by subordinates should be matched with previous return and checked for its correctness for receipt, issues (by matching with issue notes) and for returned stores (by matching with NS11s) as per Engg Code Para E1447.

f. Care must be taken to ensure that materials should be issued for the intended purpose for which it has been purchased. For example, material received against a particular estimate/ contract should be issued against the same estimate/contract. Similarly material received for maintenance should not be issued against works contract. In emergent requirement, it can however exceptionally be allowed with the approval of Tender Accepting Authority after duly recording proper justification for the same.

g. Material for which provision for supply to contractor from stock is not in agreement should not be issued on loan. For any such issue, if inevitable, debit should be raised at once.

8. Inspection of Stores -

a. In terms of Para 115 of Indian Railway Permanent Way Manual as well as para 113 of the Indian Railway Works Manual, the controlling Assistant Scale Officer should carry out inspection of each Section Engineer's office and stores at least once in a year. This inspection should cover checking of stores records viz. DMTR/Ledger, Released Materials Ledger and other store records also.

b. While checking stores, the controlling Assistant Scale Officer should pay particular attention to the imprest stores, its distribution and periodic review of requirement by divisional officer.

9. Verification of Stock -

a. Accounts Stock Verification - The Accounts stock verification should be given due importance. In case the Accounts stock verification is not done at specific intervals, the same should be brought to the notice of the Divil. Accounts Officer / FA&CAO so that the stock verification can be carried out without any further delay. Such stock verifications, in many cases, may

अधीनस्थों के अधीन भंडार में कमी/अधिकता को उजागर करने में सहायक होते हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्टॉक सत्यापन से सम्बन्धित रपट स्टॉक सत्यापक के द्वारा समर्पित किए जाते हैं।

ख. विभागीय स्टॉक सत्यापन- इंजी. कोड के पारा 1428 के आलोक में मंडल इंजीनियर को कुल सामग्री के 1/6 (संख्यावार) का सत्यापन प्रत्येक माह में विभागीय अधीनस्थों से कराया जाए जिससे कि छः माह के अंदर संपूर्ण भंडार मदों का सत्यापन लेजर में दर्शायी गई मात्रा तथा वास्तविक उपलब्ध मात्रा (जैसा कि अर्द्धवार्षिक विवरण में लाया गया है, से मिलान कर किया जा सके। यह सत्यापन किए गए लेखा स्टॉक सत्यापन के अतिरिक्त होगा।

10. भंडार के प्रभार का आदान-प्रदान-

इकाई प्रभारी जो स्टॉक होल्डर के रूप में कार्यरत हैं, उनको स्थानान्तरण के पश्चात् केवल तभी विरमित किया जाए जब भंडार का प्रभार उनके द्वारा नये पदग्राही को प्रदान कर दिया गया हो। नये पदग्राही को बिना भंडार का प्रभार लिए भंडार के लेन-देन व संबंधित दस्तावेजों/अभिलेखों के रख-रखाव की अनुमति प्रदान नहीं की जाए।

भंडार के संचालन एवं संबंधित अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उपरोक्त सुझाई गई कार्यप्रणाली अगर फील्ड यूनिट भंडारधारकों द्वारा प्रचलन में लाई जाती है, तो इससे सामग्रियों के गबन की संभावना कम रहेगी तथा साथ हीं भंडारधारकों के विरुद्ध होने वाली शिकायतों में कमी आएगी।

यह पृथ्वी ऐसे लोगों की सत्यनिष्ठा पर टिकी
है जिन्होंने अपने अनुराग पर विजय पा ली है
और सही रास्ते पर चल रहे हैं तथा जिन्हें इच्छा,
ललक और क्रोध प्रदूषित नहीं कर पाया है।

– श्रीविष्णु पुराण

---

act as a pointer for arresting excess/shortage of stores held by Sr. Subordinates. It should be ensured that reports of stock verification on submitted by ths SV.

b. Departmental Stock Verification - The Divisional Engineer should arrange that approximately 1/6th of the stock under each subordinate is verified every month so that all stores is verified in six months in terms of Para 1428 of the Engineering Code to ensure frequent reconciliation of balances as shown in the numerical ledgers kept by the subordinates (and as brought out in the half yearly statement) with the actual quantity in hand. This verification is in addition to the stock verification made by the Accounts Stock-verifiers.

10. Handing Over & Taking Over the charge of Stores -

Unit supervisors who acted as stock holders should be released on transfer only after the charges for stores have been handed over by him and taken over by the new incumbent. The new incumbent should not be allowed to handle the stores without taking over the charge of stores.

Modus-operandi for handling of stores and maintenance of records by field unit supervisors suggested in this article above, if put in practice, will lessen the chance of material misappropriation and complaint against the stockholders.

A lack of transparency
results in distrust and
deep sense of insecurity.

- Dalai Lama

मेकेनाईज्ड क्लीनिंग, ओ.बी.एच.एस., सीटीएस संविदाओं के कार्य संचालन में पाई गई कमियां

- एस.पी.एस. यादव
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत

भारतीय रेल के यात्रियों हेतु सफाई एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में सफाई के मानक स्तर में उच्चतर गुणवत्ता की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए प्राइमरी कोचों के डिपों में मेकेनाईज्ड सफाई, चलती गाड़ियों में ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस (OBHS) एवं नामित स्टेशनों पर क्लीन ट्रेन स्टेशन (CTS) को बाहरी स्रोतों के माध्यम से कराने की शुरुआत की थी। उसके बाद समेकित मेकेनाईज्ड क्लीनिंग संविदाएं जिसमें पिट एवं यार्ड क्लीनिंग डिपो ऑफिस क्लीनिंग, कोचिंग रेकों के क्लीनिंग के साथ सम्मिलित कर भारतीय रेल में शुरुआत की गई। पूर्व मध्य रेल में भी आउटसोर्सिंग द्वारा इन प्रक्रियाओं को कराया जा रहा है। पूर्व मध्य रेल के विभिन्न मंडलों में सतर्कता संगठन द्वारा संविदा के क्रियान्वयन की जांच हेतु विभिन्न जांच किए गए। इन जांचों के दौरान काफी कमियां प्रेक्षित की गई, जिसका सारांश निम्नवत है:-

● **कार्य हेतु निर्दिष्ट मशीनों की संख्या करार संविदा के अनुसार कम पाई गई।**

अधिकतर जांचों में पाया गया कि मशीनों जैसे HP जेट, वेट एवं ट्राई वैक्यूम क्लीनर तथा स्क्रबर इत्यादि की प्रतिनियुक्ति करार संविदा से कम की गई थी। यह भी पाया गया कि अतिरिक्त मशीन सेट जैसा कि संविदा में उल्लिखित है को संविदा के अनुसार नहीं रखा जा रहा है एवं मशीनों के खराब होने की स्थिति में मैनुअल क्लींनिग की जा रही है। यह भी प्रेक्षित हुआ है कि संविदा के प्रारंभिक अवधि में मशीनों को प्रतिनियुक्त किया जाता है लेकिन जैसे-जैसे संविदा अवधि आगे बढ़ती है, मशीनों की सख्या कम होती जाती है और सफाई कार्य मैनुअली किया जाता है।

● **करार संविदा में निर्दिष्ट मैनपावर से कम प्रतिनियुक्त करना।**

मेकेनाईज्ड क्लीनिंग, OBHS एवं CTS कार्यों के सभी संविदाओं में आवश्यक मैनपावर उल्लिखित है। दरअसल, कार्य का प्राक्कलन ही आवश्यक मैनपावर एवं उनके भत्तों इत्यादि को समाहित करते हुए किया गया है हालांकि मेकेनाईज्ड क्लींनिंग एवं OBHS कार्यों की जांच से यह प्रेक्षित हुआ कि लगभग

Shortcomings in execution of the Mechanised cleaning, OBHS, CTS contracts.

- S.P.S. Yadav
Dy. Chief Vigilance Officer/Elect

In view of maintaining cleanliness and hygiene for the passengers of Indian railway, Rly. Board has initiated up-gradation in cleaning standards and maintaining hygiene in the trains by introducing Mechanized cleaning of coaches in trains at Primary depots, on board housekeeping service in en route trains and at Clean Train Stations (CTS) at nominated stations through outsourcing. Thereafter comprehensive mechanized cleaning contracts including pit and yard cleaning, depot office cleaning along with cleaning of coaching rakes, OBHS contracts at nominated trains and CTS contracts have been started over the Indian railways. In ECR also, these activities are being carried out through outsourcing. Several checks have been conducted in different divisions of ECR by the vigilance organisation to check the execution of these contracts. During these checks a number of shortcomings have been observed which are summarized below.

● **The quantity of specified machines as per the contract agreement are not being deployed for the work.**

In most of the checks it was observed that the machines like HP jet, Wet & Dry vacuum and Scrubber etc deployed for the work are less than that provided in the contract agreement. It was further observed that the spare set of machines as detailed in the agreement are not being maintained as per the agreement and manual cleaning of the coach etc is resorted to in the event of the breakdown of the machines. It has also been observed that in the initial periods of the contract the machines are deployed as stipulated in the agreement but as the contract progresses the deployment of the machines gets reduced and the cleaning work has been found to be carried out manually.

● **The manpower deployed are less than specified in the contract agreement.**

In all the contracts of mechanised cleaning, OBHS and CTS works the manpower required is detailed in the contract agreement. In fact, the estimation of the work itself is considering the manpower required and their wages etc., however, during different checks of

सभी केसों में मैनपावर की संख्या निर्दिष्ट मैनपावर से कम है। लेकिन, यह प्रतिनियुक्त मैनपावर की कमी कार्य के स्कोरिंग में कमी या लगाई गई पेनॉल्टी के रूप में परिलक्षित नहीं पाई गई। अत: या तो मैनपावर का प्राक्कलन कार्य हेतु अधिक है या कार्य संचालित कराने वाले पर्यवेक्षक कार्य का स्कोर कार्ड में उचित आकलन नहीं करते हैं।

● **करार संविदा में निर्दिष्ट सामग्री/उपभोज्य के कम या घटिया गुणवत्ता का पाया जाना।**

कोचों के मेकेनाईज्ड क्लीनिंग एवं OBHS के करार संविदा में काफी संख्या में सामग्री/उपभोज्य उल्लेखित है। संविदा में मेकेनाईज्ड क्लीनिंग हेतु आठ विभिन्न प्रकारों के रसायन लगभग सभी प्रकार के दाग-धब्बे जैसे पान, गुटखा तेल इत्यादि के सफाई हेतु व्यवस्था दी गई है, लेकिन विभिन्न जांचों के दौरान, यह पाया गया कि सफाई कार्य को केवल दो या तीन प्रकारों के सामान्य उद्देश्य वाले सफाई रसायनों से ही किया जा रहा है। अन्य सामग्री/उपभोज्य जो संविदा के अनुसार आवश्यक है वे या तो नहीं/ कम मात्रा में पाए गए या संबंधित संविदा में उल्लेखित गुणवत्ता से घटिया पाए गए।

● **स्कोरिंग/पेनाल्टी वास्तविक समय में नहीं होना।**

सफाई से संबंधित संविदाओं जैसे मेकेनाईज्ड, कोच क्लीनिंग, OBHS एवं CTS में किए गए कार्य हेतु स्कोर कार्ड को वास्तविक समय के आधार पर भरना अपेक्षित है। जबकि जांचों के दौरान पाया गया कि वास्तविक कार्य संपन्न होने के घंटों बाद स्कोरिंग किया जा रहा है। मेकेनाईज्ड क्लीनिंग के संविदाओं में, स्कोर कार्ड में ही कम मैनपावर/मशीन एवं सामग्री इत्यादि प्रतिनियुक्त करने पर पेनॉल्टी का प्रावधान दिया गया है। लेकिन, स्कोरिंग कार्य वास्तविक समय में नहीं करने से निरीक्षण अधिकारियों द्वारा भी सफाई कार्य के संसाधनों की प्रतिनियुक्ति का उचित जांच नहीं किया जा सकता। यह भी देखा गया कि, करार संविदा में उचित पेनॉल्टी धाराओं के उल्लेखित होने के बावजूद संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा संविदा प्रावधानों के अनुसार पेनॉल्टी नहीं लगाया जाता। टेस्ट चेक रजिस्टर में कार्य पर आवश्यक मैनपावर/मशीन के नहीं होने की साफ टिप्पणी के बावजूद कुछ मामलों में लगाई गई पेनॉल्टी करार में दी गई पेनॉल्टी से काफी कम थी या नहीं थी।

the mechanized cleaning and OBHS works it has been observed that the manpower deployed for the work are less than specified in almost all the cases. However, this shortage of deployed manpower is not getting reflected in the scoring of the work by way of reduced scores or by recovery/penalty for deployment of less manpower. Thus either the manpower estimated for the work is on higher side or the work executing supervisor is not properly evaluating the work executed in the score cards.

● **The Materials/consumables found less or of sub-standard quality than specified in the contract agreement.**

A number of material/consumables are detailed in the contract agreement for the mechanised cleaning of coaches and for the OBHS contracts. There is provision in the contract for mechanised cleaning for eight different types of chemicals for cleaning of almost all sorts of stains like pan, gutkha, oil etc., but during different checks, it has been observed that the cleaning activities are being performed by only two or three types of general purpose cleaning chemicals. The other consumables provided in these contracts were either not available or available in less quantity or of substandard quality than that provided in the respective agreements.

● **The scoring/penalty are not real time.**

In the cleaning related contracts like mechanised coach cleaning, OBHS and CTS, the score card for the activities performed are required to be filled on real time basis. However, during checks, it has been observed that the scoring is being done hours after the actual activity performed. In the mechanised cleaning contracts, there is provision of penalty in the score card itself for deployment of less manpower/machines and consumables etc. But, since, the scoring is not done real time no proper check can be made regarding deployment of the resources for the cleaning work even by the inspecting officials. Further, despite proper penalty clauses detailed in the contract agreement the penalty imposed by the concerned official is not commensurate with the contract provisions. In some cases, the penalty imposed was much less than prescribed or no penalty was imposed despite clear remarks in the test check register about non deployment of the required manpower/machines for the work.

● **रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार टेस्ट चेकों का नहीं किया जाना।**

रेलवे बोर्ड के पत्रांक 95/M (c) /141/1 vol-ii dated 02.08.2013 में यह उल्लिखित है कि मेकेनाईज्ड कोच क्लीनिंग OBHS, CTS एवं पिट एवं यार्ड क्लीनिंग आदि सफाई संविदाओं हेतु किस स्तर पर कितना टेस्ट चेक किया जाना है। जबकि पूर्व मध्य रेल के विभिन्न मंडलों के विभिन्न डिपो/ट्रेनों में जांचों के दौरान पाया गया कि अधिकतर मामलों में टेस्ट चेक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। टेस्ट चेक विशेषकर अधिकारी स्तर पर नहीं किया जा रहा है। टेस्ट चेक रजिस्टर में सामान्यत: केवल पर्यवेक्षकों द्वारा पुष्टि की जा रही है।

आगे इन संविदाओं के क्रियान्वयन में कुछ अन्य कमियां पाई गई जिसमें निर्दिष्ट यूनिफार्म का कार्यस्थल पर नहीं पहनना, करार संविदा के अनुसार वर्क डायरी रजिस्टर, इंजीनियर निर्देश रजिस्टर एवं मशीनों का रजिस्टर का रख-रखाव नहीं करना शामिल है। यह भी पाया गया कि इन बाह्य स्त्रोतों द्वारा कराए जा रहे कार्यों के निविदा प्रलेख पूर्व मध्य रेल के विभिन्न मंडलों में समरूप नहीं है। विभिन्न मंडलों के समान संविदा में भुगतान/पेनॉल्टी हेतु अलग-अलग धाराएं शामिल की गई है।

उपरोक्त विसंगतियों से यह साफ है कि काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहां संबंधित कर्मचारियों द्वारा संविदा के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा रहा है। कार्य का खराब क्रियान्वयन केवल संविदा के उद्देश्य को ही निष्फल नहीं करता है बल्कि परिवादों एवं सतर्कता मामलों को भी आमंत्रित करता है।

Requistioning for Railway Employees by Vigilance

Vigialance officials are authorized to tender requisition to non-gazetted officials of Railways to witness or to assist or to associate with the checks. The tendered officials, in such cases, need not seek any prior permission from their higher authorities for assisting vigilance officials. For assistance of a Gazetted officer, the request should be from a Vigilance officer only.

[Ref. Advance Correction Slip No. 3 to Indian Railway Vigilance Manual Para 108 (iv)]

● **The test checks are not being carried out as per the Railway boards guidelines.**

Railway Board vide their letter no. 95/M(c)/141/1 vol-ii dated 02.08.2013 has detailed the test check protocol to be followed for mechanised coach cleaning, OBHS, CTS and pit and yard cleaning contracts. However during checks in the different depots/trains of the different divisions of the ECR it has been observed that this protocol is not being followed in most of the cases. The test checks especially at the level of officers are not being done. The test checks registers generally have the endorsement by the supervisors only.

Further some other shortcomings in execution of these contracts observed include not wearing the specified uniform at work site, non maintenance of Work Diary register, Engineer's Instruction register and register for machines as specified in accordance with CA. It has also been observed that the tender document for these outsourced activities is not uniform over different divisions of the ECR. Different clauses for payment/penalty have been incorporated in the same contract over different divisions.

From the above anomalies it is clear that there are a large number of areas where the contract provisions are not being implemented by the concerned officials. The poor execution of work not only defeat the very purpose of these contracts but invites the complaints and vigilance cases also.

"The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who do not do any thing about it."

- Albert Einstein

Laid down provisions for weighment of Rakes

- Shikha Srivastava
Dy CVO/Traffic

Earning from goods traffic is the most important contributor to the financial strength of Indian Railway. For realization of due freight as well as for safety of Railway assets, importance to weighment of loaded rakes prior to generation of their receipts has been given through Railway manual & several policy circulars. A brief overview of excerpts of such directions issued for compliance at zonal & field level are listed for information & ready reference of our readers:-

- As per provisions contained in para 1422 to 1426 of Indian Railway Commercial Manual (Vol-II) it has been stipulated that all consignment should be weighed at forwarding station. In case a rake is not weighed on a weighbridge after loading due to defective weighbridge or any other reason, it should be weighed at the next available weighbridge. The working time table of zonal Railway has also reiterated that till such time it is weighed, it should be moved at a restricted speed of 40 KMPH. However, if there is no weigh bridge in zonal Railway it may be weighed at enroute station or at destination before delivery.
- Railway Board vide letter no- TCI/2004/109/4 dated 04.11.2004 issued guidelines for installation, functioning of weigh bridges/overloading of wagons. Further instructions for installation, calibration & maintenance of private weigh bridges in a division are outlined. It is stipulated that if a weighbridge gets out of order then loading shall be permitted upto 7 days by DRM; upto 30 days by COM; upto 6 months by GMs with their personal approval. If the weighbridge remains out of order for more than six months, it should be brought to the notice of the Railway Board.
- As per Rates Circular 86/2006 Railway Receipt should be issued after weighment of rakes at originating stations. Delay upto period of 48 hrs in issue of Rly receipt after loading of the rake has been provided with permission of Sr. DCM of a division to issue a Railway Receipt if weighbridge at originating station is out of order. The rake can be weighed at enroute weighbridge within 48 hrs failing which Railway Receipt is issued on SWA i.e. senders weight accepted.
- As per said circular COM of each Zonal Railways is nominated to notify the name or Associated/Alternative weigh bridges for loading points within zonal Railway. In this regard, Commercial Office/HJP on 23.01.15 has notified an updated list of Associated/Alternative weigh bridges after approval from COM/ECR, to ensure 100% weighment of rakes as per Railway Board directives. E.C.Railway has installed weigh bridge in such a way that no rake should move unweighed and to eliminate any possibility of leakage of Railway revenue. There are a total of 13 Railway EIMWB apart from 44 privately owned Weighbridges in E.C.Railway.
- As per Rate circular 12/2007, the EIMWB installed should comply Gazette notification no- 381 of 25.7.2001 and RDSO specification with latest revision.
- Railway Board letter no- 2004/Dev.cell/IDEI/3 dated 05.09.2013 has stated that joint inspection of WB shall be carried out preferably around six months after the weigh bridge is certified by the weight & measurement department as per its annual statutory certification procedure. The weigh bridge should be calibrated regularly from concerned authority to ensure correctness of weighment. The responsibility of proper functioning of the weighbridge and procedure has been entrusted at the level of ADRM in the division.
- Further Board's letter no- TC-I/2004/109/4 dated 16.09.2013 has stated that a team of senior/JA grade officer of Operating, Civil, Mechanical & Finance department should carry out joint inspection once every year to ensure that weigh bridge is functioning properly and proper procedures are being followed and implemented.

In recent past, E.C.Railway vigilance has taken initiative for ensuring 100% weighment of goods rakes before generation of Railway Receipts (RRs) in Dhanbad Division. Due to this drive reduction in the number Railway Receipts issued based on sender's weight reduced from 40 rakes to 7 rakes during the period Jul-Sep 14 i.e. reduction of 80%.Further,penalty of Rs. 2.83 cr. which accrued due to daily monitoring of unweighed coal rakes at associate/alternate weighbridges was also realized.

In the period between September' 2014 to Oct' 2015, 42 checks were conducted at different Weighbridges over E.C.Railway by the Vigilance team to detect overloading in Coal rakes. As result of such checks an amount of Rs. 1.41 crore were realized as undercharges due to reweighment of rakes.

Sustained efforts & monitoring are however required at the level of all concerned to minimize the downtime of weighbridges so that instances of unweighed rakes are lowered. There is also a need to ensure standard quality of weighbridge equipment and their maintenance to rule out any chances of fraud or manipulation on this account as found during recent checks. Enhancing our technical knowledge of working of such weighbridges and conducting thorough inspections by concerned authorities can lead to their more reliable and productive output .

निविदा एवं संविदा व्यवस्था

- **जे.के.सिंह,** उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
-**जेड.ए. मल्लिक,** सतर्कता अधिकारी (इंजी)

1.0 संक्षिप्त वर्णनः-

आजकल प्रायः प्रत्येक विभाग कार्य संविदा में प्रवेश कर रहा है और नियमों की अवहेलना के चलते बहुत से अधिकारी एवं कर्मचारी सतर्कता मामलों में फँस रहे हैं और दुर्भावपूर्ण इरादा न होने के बावजूद वे अनुशासनिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इसलिए निविदा एवं संविदा के महत्वपूर्ण अनुदेशों को संक्षिप्त एवं एक साथ लाने के लिए एक प्रयास किया गया है। 'निविदा एवं संविदा व्यवस्था' में पूर्व निविदा योजना, टेन्डरिंग, संविदा को दिया जाना, संविदा व्यवस्था और संविदा का अंतिम परिणाम शामिल है।

2.0 निविदा का प्रकारः-

विभिन्न प्रकार की निविदाएँ निम्न प्रकार से हैं (E-1212)

(i) विज्ञापन द्वारा ('खुली' निविदाएँ)
(ii) सीमित संख्या में फर्मों/ठेकेदारों को सीधे आमंत्रित करके ('सीमित' निविदाएँ)
(iii) केवल एक ही फर्म/ठेकेदार को आमंत्रित करके ('एकल' निविदाएँ)

2.1 खुली निविदा प्रणालीः-

यथासंभव सार्वजनिक विज्ञापन के द्वारा सर्वाधिक खुले एवं पारदर्शी ढंग से निविदा आमंत्रित करने की प्रणाली सामान्य नियम के रूप में प्रयुक्त एवं अपनाई जानी चाहिए। (E-1213)

2.1.1 कार्य निविदा की मंजूरी की शक्तियाँः- (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2007/CE-I/CT/13 दिनांक 27.08.13, 2007/CE-I/CT/13 (i) दिनांक 26.11.13 एवं F(X)II-2014/PW/1, दिनांक 01.01.15

क्र.सं.	निविदा मंजूरी की शक्ति	सक्षम अधिकारी का स्तर
1.	रु. 4 करोड़ तक	सेलेक्शन ग्रेड/कनिष्ठ प्रशासनिक गेड
2.	रु. 4 करोड़ से अधिक लेकिन रु. 20 करोड़ तक	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/मरेप्र/अमरेप्र/मुकाप्र
3.	रु.20 करोड़ से अधिक लेकिन रु. 75 करोड़ तक	एसएजी स्तर के मुख्य विभागाध्यक्ष

Tender & Contract Management

- J.K.Singh, Dy.CVO (Engg)
- Z.A. Mallick, VO (Engg)

1.0 SYNOPSIS:

These days almost every department is entering into works contracts and due to ignorance of rules a large number of officers and staff get implicated into vigilance cases and despite the intention not being malafide they face disciplinary proceedings. Therefore an effort has been made to summarise and bring together the important instructions on tenders & contracts. 'Tender & Contract Management' involves the pretender planning, tendering, awarding the contract, managing the contract and finalising the contract.

2.0 TYPE OF TENDERS

Different types of tenders are as under (E-1212).

(i) By advertisement ("Open" tenders);
(ii) By direct invitation to a limited number of firms/contractors ("Limited" tenders);
(iii) By invitation to one firm/contractor only ("Single" tenders).

2.1 Open Tender System:

The system of invitation for a tender by public advertisement in the most open & transparent manner should be used as a general rule and must be adopted (E-1213).

2.1.1 Powers for Acceptance of works Tenders: (Rly. Bd.'s No. 2007/CE-I/CT/13 dated 27.8.2013, 2007/CE-I/CT/13(i) dtd-26.11.13 & F(X)II-2014/PW/1 dtd. 01.01.15)

Sl. No.	Power of acceptance of tender	Level of Authority
1.	Up to Rs 4.0 Crs.	Selection grade/JAG
2.	Above Rs. 4.0 Crs. and upto Rs. 20 crs.	SAG/DRM/ADRM/CWM
3.	Above Rs. 20 Crs. and upto Rs. 75 Crs.	CHOD in S.A. Grade

4.	रु. 20 करोड़ से अधिक लेकिन रु. 100 करोड़ तक	उच्च प्रशासनिक ग्रेड में अपर महाप्रबंधक/प्रमुख विभागाध्यक्ष
5.	रु. 20 करोड़ तक से अधिक लेकिन रु. 300 करोड़ तक	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण
6.	रु. 20 करोड़ से अधिक लेकिन रु. 500 करोड़ तक (पूर्वोत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीय परियोजना एवं कोलकाता मेट्रो के लिए)	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण
नोट– जहाँ अपर महाप्रबंधक पदस्थापित नहीं हैं वैसी निविदा महाप्रबंधक द्वारा भी मंजूर होंगे।		

2.2 सीमित निविदा प्रणाली

- जहाँ सार्वजनिक हित में खुली निविदा आमंत्रित करना व्यवहारिक या लाभप्रद न समझा जाय वहाँ वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की सहमति और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सीमित निविदा आमंत्रित किए जा सकते हैं। वित्त को सहमति के लिए भेजते समय फर्मों/ठेकेदारों से सीमित निविदा आमंत्रित करने के कारणों का अभिलेख रखना चाहिए। (E-1214)
- प्रत्येक प्रकार के कार्यों के लिए सीमित निविदा उन्हीं ठेकेदारों से आमंत्रित करना चाहिए जो अनुमोदित सूची में हों। अनुमोदित सूची के लिए मानदंड रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2007/CE-I/CT/18 दिनांक 30.06.09 में उपलब्ध है
- अधिकतम सीमा रु. 7.5 करोड़ (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2013/CE-I/CT/O/20/Pt. II(ii) दिनांक 26.11.13)

क्र.सं.	**लागत सीमा**	**सीमित निविदा बुलाने हेतु अनुमोदन के लिए न्यूनतम सक्षम प्राधिकारी**
1.	रु. 37.5 लाख तक	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और सेलेक्शन ग्रेड
2.	रु. 37.5 लाख से अधिक लेकिन 1.5 करोड़ तक	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/मंडल रेल प्रबंधक
3.	रु.1.5 करोड़ से अधिक लेकिन रु. 7.5 करोड़ तक	प्रमुख विभागाध्यक्ष/मुख्य विभागाध्यक्ष

4.	Above Rs. 20 Crs. and upto Rs. 100 Crs.	AGM/PHOD in HAG
5.	Above Rs.20 Crs. and upto Rs. 300 Crs.	CAO/Const.
6.	Above Rs. 20 Crs. and upto Rs. 500 Crs. (For National Projects of NE Region & for Kolkata Metro)	CAO/Const.
	Note : Where no AGM is posted, such tenders shall also be accepted by GM	

2. 2 Limited Tender System:

- Where for reasons in the public interest, it is considered not practical or advantageous to call for open tender, limited tender may be invited with the concurrence of the Financial Adviser and Chief Accounts Officer and approval of the competent authority. The reasons for inviting limited tenders from firms/ contractors should be kept on record while approaching finance for concurrence (E-1214).
- Limited tender should be invited from contractors borne on approved list only for each category of works. Criteria to be borne on approved list are available in Rly. Bd.'s No. 2007/ CE-I/CT/18 dtd. 30.06.09.
- Maximum limit Rs.7.5 Cr.(Rly. Bd.'s No. 2013/CE-I/CT/O/20/ Pt.II(ii) dtd. 26.11.13).

Sl.No.	**Monetary slab**	**Lowest Authority competent to approve calling of LT**
1	Up to Rs.37.5 lacs	JAG and SG
2	>37.5 lacs & upto Rs.1.5Cr.	SAG/DRM
3	>Rs. 1.5 Cr. & upto Rs.7.5 Cr.	PHOD/CHOD

2.2.1 विशेष सीमित निविदा (एसएलटी): (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 94/ CE-I/CT/4 दिनांक 17.10.2002)

निम्नलिखित परिस्थितियों में विसमुलेधि. की सहमति से विशेष सीमित निविदा बुलानी चाहिए:-

(i) विशिष्ट प्रकृति वाला कार्य (प्रमुख विभागाध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत रुप से अनुमोदित होना चाहिए)

(ii) अत्यंत जरुरी प्रकृति का कार्य (महाप्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित होना चाहिए)

(iii) परामर्श कार्य (महाप्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित होना चाहिए)

- निविदा डालने वालों की संख्या 6 से अधिक लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए।
- यह आवश्यक नहीं है कि निविदा डालने वाले अनुमोदित सूची में हों लेकिन इन्हें विशेष प्रकार के कार्यों के लिए अनुमोदित सूची के लिए निर्धारित मानदंड को पूरा करना चाहिए। **(रेलवे बोर्ड का पत्रांक 94/CE-I/CT/4 दिनांक 17.09.1997)**
- निविदा डालने वाले विशिष्ट एवं सुविख्यात होने चाहिए।
- केवल विशेष प्रकार के कार्य ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के कार्यों को उनके मेरिट के आधार पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, विस एवं मुलेधि की सहमति से विशेष सीमित निविदा बुला सकते हैं (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2007/CE-I/CT/18 दिनांक 28.09.2007)

2.3 एकल निविदाएँ:

निम्नलिखित परिस्थितियों में एकल निविदाएँ प्रदान की जा सकती हैं। E-1214 (A)

2.3.1 आपात परिस्थिति:-

- दुर्घटना, रेलखंड का टूटना जिसके चलते यातायात में व्यवधान होता है- प्रमुख विभागाध्यक्ष-रु. 20 लाख तक और मंडल रेल प्रबंधक-रु. 10 लाख प्रत्येक केस में (एसओपी वर्क्स मैटर-12)
- विस एवं मुलेधि की पूर्व सहमति से महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (नि.) द्वारा विशेष प्रकृति के निर्माण कार्यों का अनुमोदन व्यक्तिगत रुप से होना चाहिए।

2.2.1 Special Limited Tender (SLT): (Rly. Bd.'s No. 94/CE-I/CT/ 4 dtd. 17.10.2002).

Should be called in consultation with FA&CAO in following circumstances.

(i) Works of specialised nature(to be approved by the PHOD personally).

(ii) Works of urgent nature (to be approved by the GM personally).

(iii) Consultancy works (to be approved by the GM personally).

- Tenderers should preferably be more than 6 but not less than 4.
- Tenderers need not necessarily be borne on approved list but they should fulfil criteria laid down for being borne on approved list for the specific category of works. **(Rly. Bd.'s No. 94/CE-I/CT/4 dated 17.9.1997)**
- Tenderers should be specialised and reputed.
- CAO/C with concurrence of FA&CAO may invite SLT not only for specialised nature of works but all types of works depending upon merit of the case. (Rly. Bd.'s No. 2007/CE-I/CT/18 dtd. 28.09.2007)

2.3 Single tenders:

Single tenders can be awarded under following situations. E-1214(A)

2.3.1 Emergent Situation

- Accidents, breaches involving dislocation to traffic- PHOD-upto 20 lacs & DRMs upto Rs.10 lacs each case(SOP Works matter-12).
- Works of specialized nature to be personally approved by the GM/CAO (C) with prior concurrence of the FA & CAO.

- जहाँ अपरिहार्य हो वहाँ महाप्रबंधक द्वारा वित्त की पूर्व सहमति से एकल निविदा आमंत्रित किया जा सकता है।
- दोहरीकरण एवं यातायात सुविधा परियोजना से संबंधित थ्रूपूट वृद्धि कार्य जिसकी लागत रु. 2 करोड़ तक है को यथाशीघ्र समापन हेतु मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, विस एवं मुलेधि की सहमति से एकल निविदा प्रदान कर सकते हैं। निविदा समिति सदस्य एसएजी स्तर का होगा और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2007/CE-I/CT/18 दिनांक 07.03.2008)
- उपरोक्त के साथ नई लाईनें एवं अमान परिवर्तन से संबंधित कार्यों का एकल निविदा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण प्रदान कर सकते हैं लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल उस समय किया जायेगा जब परियोजना को उस वित्तीय वर्ष में समापन किया जाना हैं जिसमें एकल निविदा प्रदान की गयी है तथा 13.11.2015 तक मान्य है। **(रेलवे बोर्ड का पत्रांक 94/CE-I/CT/4 दिनांक 14.11.2013)**
- जहाँ महाप्रबंधक की मंजूरी है उसको छोड़कर निविदा समिति एवं निविदा मंजूरी का स्तर, खुली/सीमित निविदा के स्तर से एक पद उच्च होगा। **(रेलवे बोर्ड का पत्रांक 94/CE-I/CT/4 दिनांक 17.09.1997)**

2.3.2 वार्षिक मरम्मत संविदा (एएमसी)

एकल निविदा के आधार पर उपकरणों को मरम्मत करने हेतु डीलरों को अधिकृत करना : पीएचओडी/डीआरएम/सीडब्ल्यूएम रु. 10 लाख तक प्रति मद प्रति वर्ष (एसओपी वर्क्स मैटर-59)

3.0 निविदा आमंत्रित करने की सूचना हेतु प्राक्कलित लागतः-

- मंडल/रेलवे के अंतिम स्वीकृत दरों के औसत के आधार पर प्राक्कलित लागत की गणना, कार्य की विशेष लक्षण जैसे कार्यस्थल स्थिति, कार्य की प्रकार, मौसम दशा, समापन अवधि, नियम एवं आदेश, सामग्रियों एवं मजदूरों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। प्राक्कलन की तिथि एवं अंतिम स्वीकृत दरों की तिथि से गुजरे समय के लिए भवन लागत सूची एवं आरबीआई सूचकांक के आधार पर प्राक्कलित दरों में वृद्धि की जानी चाहिए। (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2013/CE-I/CT/O/12/ZT दिनांक 07.06.13)

4.0 निविदा अधिसूचना

समाचार पत्रिका में प्रकाशित की जाने वाली निविदा सूचना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:- (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2014/CE-I/CT/0/10/TN दिनांक 01.07.14)

- Where GM personally considers calling of single tender as inescapable with prior concurrence of Finance.
- CAO/Con can also award single tenders for early completion of last mile of throughput enhancement works related to doubling & traffic facility projects, up to Rs.2.0 Crores each, with personal concurrence of FA&CAO/Con. Tender Committee at SAG level and acceptance by CAO/Con.(Rly.Bd.'s No. 2007/CE-I/CT/18 dtd. 7.3.2008).
- CAO/Con can also award single tenders works related to New lines & Guage conversion in addition to above but these power shall be exercised only in respect of project targeted for completion in the financial year in which Single tender is awarded & valid upto13.11.2015. (Rly.Bd.'s No. 2011/CE-I/CT/O/4 dtd. 14.11.13).
- Level of TC & TA one step higher than open/limited tender except where GM is accepting authority.(Rly. Bd.'s No. 94/CE-I/CT/4 dated 17.9.1997)

2.3.2 Annual Maintenance Contract (AMC) for equipments on single tender basis to authorized dealers: PHOD/DRM/CWM upto Rs.10 lacs per item per annum. (SOP Works matter-59)

3.0 Estimated cost for NIT:

- This should be worked out on the basis of average of no. of LARs on the division/ Railway, duly catering for any special features of the work viz. Site conditions, type of work, weather conditions, completion period, law & order, availability of labour & materials etc. Enhancement of estimated rates should be based on Building cost index/RBI indices for the period elapsed between preparation of estimate & date of LAR.(Rly. Bd.'s No. 2013/CE-I/CT/O/12/ZT dtd 07.6.13)

4.0 TENDER NOTIFICATION:

Tender notice published in newspaper should include followings: (Rly.Bd's No.2014/CE-I/CT/O/10/TN dtd 01.07.14)

(i) कार्य का नाम, उसका जगह एवं समापन अवधि।
(ii) कार्य की अनुमानित लागत।
(iii) जमा की जानेवाली बयाने की राशि।
(iv) निविदा जमा करने एवं निविदा खुलने की तिथि एवं समय।
(v) वेबसाईट का विवरण एवं सूचना पट्ट का स्थान दिया जाना चाहिए जहाँ पर निविदा का संपूर्ण विवरण देखा जा सके और कार्यालय का पता दिया जाना चाहिए जहाँ से निविदा प्रारूप खरीदी जा सके।

- न्यूनतम सूचना अवधि एक माह होना चाहिए (E-1238)
- रु. 50 लाख तक कम लागत वाले कार्यों के लिए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं मंडल रेल प्रबंधक निविदा सूचना अवधि को बिना वित की सहमति से 21 दिन तक कम कर सकते हैं। विशेष अपवाद परिस्थितियों में विस एवं मुलेधि/निर्माण एवं विसमुलेधि की सहमति से कारण दर्ज करते हुए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण एवं मरेप्र. सूचना अवधि को 12 दिन तक कम कर सकते हैं। दी गई क्षेत्र सर्वेक्षण रिपोर्ट, प्लान एवं बिड दस्तावेज आदि तैयार रहना चाहिए और प्रतियोगिता का स्तर प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2007/CE-I/CT/18 दिनांक 30.07.2010)

5.0 निविदा प्रारुप की कीमत

- इंजी. कोड के पैरा E-1240A के अनुसार निविदा प्रारूप की कीमत होगी। (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 94/CE-I/CT/53 दिनांक 18.05.2007)

क्रम सं.	निविदा लागत (रुपये)	निविदा प्रारूप की कीमत
1.	रु 5 लाख तक	रु. 1,000/-
2.	रु. 5 लाख से अधिक लेकिन रु. 20 लाख तक	रु. 2,000/-
3.	रु. 20 लाख से अधिक लेकिन रु. 50 लाख तक	रु. 3,000/-
4.	रु. 50 लाख से अधिक लेकिन रु. 2 करोड़ तक	रु. 5,000/-
5.	रु 2 करोड़ से अधिक लेकिन रु. 50 करोड़ तक	रु. 10,000/-
6.	रु. 50 करोड़ से अधिक	रु. 25,000/-

टिप्पणी:- (1) निविदा प्रारुप के साथ संलग्न प्रत्येक प्लान एवं नक्शा के लिए अतिरिक्त रु. 200/- लगेगा।

(i) Name of work with its location & Completion period.
(ii) Approx. cost of work.
(iii) Earnest Money to be deposited.
(iv) Date & Time for submission of tender and opening of tender.
(v) Website particulars, Notice board location where complete details of tender can be seen and address of the office from where the tender form can be purchased etc.

- Minimum notice period should be one month (E-1238)
- For small value works up to Rs. 50 lacs, CAO/Con & DRM may reduce the notice period to 21 days without finance concurrence. CAO/Con & DRM can further reduce notice period up to 12 days in rare exceptional circumstances with concurrence of FA&CAO/Con and FA&CAO respectively duly recording reasons. Provided field survey reports, plans & bid documents etc. are ready and level of competition is not restricted. (Rly. Bd.'s No. 2007/CE.1/CT/18 dtd.30.07.2010).

5 .0 COST OF TENDER FORM

- Cost of tender forms shall be as per Para E-1240A. (Rly. Bd.'s No. 94/CE1/CT/53 dtd. 18.5.2007)

Sl. No.	Tender value (Rs.)	Cost of Tender form (Rs.)
1	Up to 5.0 lacs	1,000
2	>5.0 lacs & up to 20 lacs.	2,000
3	> 20 lacs & up to 50 lacs.	3,000
4	> 50 lacs & up to 2.0 Cr.	5,000
5	> 2.0 Cr. & up to 50.0 Cr.	10,000
6	> 50.0 Cr.	25,000

Note:1) Extra Rs. 200/- shall be levied for each plan/drawing attached with the tender form.

(2) यदि निविदा प्रारुप डाक से भेजी जाती है तो अतिरिक्त रु. 500/- प्रति निविदा प्रारुप पर लगेगा।

6.0 बयाने की राशि (संविदा का सामान्य शर्त धारा 5)

- निविदा में दी गई तिथि तक प्रस्ताव को खुला रखने का गारंटी के रूप में बयाने का राशि होता है।
- निविदा प्रदान होने पर बयाना राशि रख ली जाती है और जमानत राशि में समायोजित कर दी जाती है।
- जमा बयाने की राशि नकद रूप में होगा या जमा राशि, भुगतान आदेश या डिमांड ड्राफ्ट के रुप में होगा जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई हो।
- जमा बयाने की राशि का दर निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	निविदा मूल्य (रुपये)	जमा मूल्य
1	रु. 1 करोड़ तक	निविदा मूल्य का 2%
2	रु 1 करोड़ से उपर	प्रथम 1 करोड़ पर 2% एवं शेष पर 0.5% की दर से लेकिन अधिकतम राशि 1 करोड़ तक ही होगा।

6.1 जमा बयाने की राशि को लौटाना (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2007/CE-I/CT/18 (Pt.I) दिनांक 10.09.2008)

- एकल पॉकेट निविदा प्रणाली में, प्रथम लोवेस्ट का प्रस्ताव मंजूर होने के बाद अन्य असफल निविदा डालने वाले की बयाना राशि लौटा देनी होगी।
- प्रथम लोवेस्ट निविदादाता के साथ बातचीत करने के लिए निविदा समिति की अनुशंसा मंजूर हो जाने पर अन्य सभी निविदादाताओं की बयाना राशि लौटा देनी होगी।
- यदि प्रस्ताव के मूल वैध अवधि में निविदा का निष्पादन नहीं होता है तो उन सभी निविदादाताओं की बयाना राशि लौटा दी जायेगी जो वैध अवधि आगे नहीं बढ़ाने की अस्वीकृति लिखित रूप में देते हैं।
- दो पॉकेट निविदा प्रणाली की स्थिति में प्रथम पॉकेट पर निविदा समिति की अनुशंसा मंजूर हो जाने पर उन सभी निविदादाताओं की बयाना राशि लौटा दी जायेगी, जिनके वित्तीय बिड को खोलना तकनीकी रुप से उचित नहीं पाया गया है।

2) Additional Rs. 500/- per tender form shall be charged, if tender form is sent by post.

6.0 EARNEST MONEY: (Clause.5 of GCC)

- Meant for the due performance of the stipulation, to keep the offer open till the date specified in the tender.
- Subsequent to award, EMD retained & adjusted against SD.
- EMD should be in cash or in the form of deposit receipts, pay orders or demand drafts, executed by State Bank of India or any of the Nationalized Banks or by a Scheduled Bank.
- EMD rates are as under:

Sl. No.	Tender value (R s.)	EMD (Rs.)
1	Up to Rs. 1.0 Cr.	@ 2% of tender value
2	Above Rs.1.0 Cr.	2.0 lacs +0.5% of tender value in excess of Rs.1.0 Cr. subject to maximum of Rs.1.0 Cr.

6.1 Return of EMD: (Rly. Bd.'s No. 2007/CE-I/CT/18 (Pt.I) dtd 10.9.2008)

- In case of single packet tendering system, EMD of all unsuccessful tenderers shall be released after acceptance of offer of L1.
- In case, negotiation has been recommended with L1, the EMD of all other tenderers shall be released after acceptance of the recommendation of TC to hold negotiation.
- If tender is not finalized within the original validity of the offers, the EMD of tenderers who are unwilling to extend the validity shall be released after obtaining refusal of such tenderers in writing for any further extension.
- In case of two packet system of tendering, EMDs of tenderers who are not found technically suitable to open their finance bids shall be returned on acceptance of the recommendation of TC on first packet.

7.0 जमानत राशि: (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2007/CE-I/CT/18 दिनांक 07.03.2008, संविदा के सामान्य शर्त की धारा 16 (1,2 एवं 3)

- जमानत राशि संवेदक के संविदा की विश्वसनीय होने की गारंटी देता है।
- संविदा राशि मूल्य का 5% जमानत राशि होती है।
- जमानत नकद रूप में जमा हो सकता है या प्रत्येक चालू विपत्र के धनराशि पर 10% की दर से पूर्ण जमानत राशि प्राप्त करने तक कटौती की जायेगा।
- दूसरे भुगतान की प्रणाली मान्य नहीं है, संविदा मूल्य 50 करोड़ एवं इससे अधिक को छोड़कर इस परिस्थिति में अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रुप में जमानत राशि मंजूर की जा सकती है।
- अधिकार नहीं जताने का प्रमाण पत्र के आधार पर, अंतिम विपत्र निर्गत होने पर तथा मरम्मत अवधि के समाप्ति के बाद, संविदा हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी जो कि जेएजी के नीचे नहीं होगा, के अनुमोदन से जमानत राशि लौटा दी जायेगी।
- यद्यपि, कार्य के भौतिक रूप में समापन हो जाने के बाद संवेदक के निवेदन पर चालू विपत्रों से वसूली गयी जमानत राशि को इसके समतुल्य एफडीआर/अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के बदले में लौटा दी जायेगा।
- राजकीय जमानत सुरक्षित रखी गई जमा बयाना राशि को छोड़कर दूसरे जमा बयाना राशि एवं जमानत राशि पर कोई ब्याज भुगतान नहीं होगा।

8.0 निष्पादन गारंटी (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2007/CE-1/CT/18 Pt- XII दिनांक 31.12.10 एवं जीसीसी का अनुच्छेद 16(4)

- संविदा मूल्य की 5% की दर से।
- एलएओ जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर तथा करारनामा पर हस्ताक्षर से पहले जमा होना चाहिए।
- एलएओ जारी होने से 30 दिनों से अधिक का समय विस्तार अर्थात् 31वें दिन से 60 दिनों तक का 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज दर पर संविदा हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है।
- यदि ठेकेदार एलओए जारी होने के 60 दिनों के बाद भी निष्पादन गारंटी जमा नहीं करता है तो संविदा को इएमडी और अन्य देय राशि की जब्ती के साथ समाप्त किया जाएगा।
- पीजी मूल/विस्तारित समापन अवधि $\pm$60 दिनों तक वैध होना चाहिए।
- मूल संविदा मूल्य के लिए जमा की गयी पीजी संविदा मूल्य के $\pm$/−25% फेरबदल के लिए वैध होगा। अगर संविदा मूल्य +25% से अधिक बढ़ती है तो ठेकेदार के द्वारा अतिरिक्त निष्पादन गारंटी 5% की दर से अतिरिक्त मूल संविदा मूल्य का जमा किया जाएगा।

7.0 Security Deposit: (Rly. Bd.'s No. 2007/CE-I/CT/18 dtd. 07.03.2008, Clause-16 (1, 2 & 3) of GCC)

- SD is for due and faithful fulfilment of contract by the contractor.
- @ 5% of Contract Value.
- SD can be deposited in cash or recovered @ 10% of bill amount from running bills, till full SD is recovered.
- No other mode of payment is acceptable, except in case of contracts valuing Rs. 50 Crs. & above, where SD can be accepted in form of irrevocable bank guarantee also.
- SD shall be returned to the contractor after the expiry of maintenance period and passing of final bill, based on no claim certificate, with the approval of Contract signing authority, but not below JAG Officer on unconditional & unequivocal no claim certificate from the contractor.
- However, on request of contractor on physical completion of work, SD recovered from running bills can be returned in lieu of FDR / Irrevocable bank guarantee for equivalent amount.
- No interest is payable on EMD or SD except on government securities retained as EMD.

8.0 Performance Guarantee: (Rly. Bd.'s No. 2007/CE-1/CT/18 Pt XII dtd.31.12.10 & Clause-16(4) of GCC)

- @ 5% of contract value.
- To be deposited within 30 days from the date of issue of LOA and before signing of agreement.
- Extension of time beyond 30 days can be permitted by the contract signing authority up to 60 days with a penal interest @ 15% per annum from 31st day.
- Contract shall be terminated with forfeiture of EMD & other payable dues under the contract, if contractor fails to submit PG even after 60 days from the date of issue of LOA.
- PG shall be valid for original / extended completion period +60 days.
- PG submitted for original contract value is valid for +/- 25% variation over Contract Value (CV). If CV increases beyond +25%, additional PG @ 5% for value excess over original contract value shall be submitted by the agency.

- करानरामा पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी (न्यूनतम एसएजी) के द्वारा हस्ताक्षरित 'कार्य समाप्ति प्रमाण पत्र' के आधार पर कार्य के भौतिक समाप्ति के बाद पीजी को निर्गत/वापस किया जाएगा।
- पीजी स्वीकार्य प्रपत्र में जमा किया जाएगा।

अनुबंध की विफलता के मामले में

- कोई जोखिम और लागत वसूल नहीं किया जाएगा।
- विफल ठेकेदार व्यक्तिगत/जेवी/साझेदार फर्म उस कार्य के लिए पुर्ननिविदा से वंचित रहेंगे। जेवी/साझेदार फर्म के सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से या अन्य जेवी/साझेदार फर्म के सदस्य के रुप में भी पुर्ननिविदा से वंचित रहेंगे।
- विफल ठेकेदार का एसडी जब्त कर लिया जाएगा और पीजी को भुना लिया जाएगा।

9.0 कार्य निविदा का न्यूनतम मानदंड (सुधीर चंद्रा समिति)

- न्यूनतम मानदंड 50 लाख रुपये से अधिक के कार्य पर लागू होगा।

(रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2007/CE-I/CT/18 Pt. XII दिनांक 31.12. 2010)

क्र.सं.	मानदंड	न्यूनतम जरुरत
1.	पिछले तीन वित्तीय वर्ष (अर्थात् चालू वर्ष एवं विगत तीन वित्तीय वर्ष) में कार्य पूर्ण किया गया हो।	कार्य के विज्ञापित मूल्य के 35% का कम से कम एक समान कार्य होना चाहिए।
2.	पिछले तीन वित्तीय वर्ष (अर्थात् चालू वर्ष एवं विगत तीन वित्तीय वर्ष) के दौरान प्राप्त कुल अनुबंध राशि।	कम से कम विज्ञापित मूल्य के 150 प्रतिशत होना चाहिए।

- अति आवश्यक प्रकृति एवं विशिष्ट प्रकृति के कार्य के लिए न्यूनतम मानदंड में बदलाव किया जा सकता है, उसके लिए विस एवं मुलेधि (संबद्ध वित्त) की सहमति एवं महाप्रबंधक का अनुमोदन होना चाहिए। (सुधीर चंद्रा समिति के सुझाव का पैरा 2.3.4.1)
- मुप्रअधि/निर्माण द्वारा विस एवं मुलेधि/निर्माण की व्यक्तिगत सहमति से विशेष परिस्थिति में सामान्य दिशा निर्देश में छूट दिया जा सकता है, विवेकपूर्ण तरीके से, विशेष परिस्थिति का अभिलेखन बिना आगे प्रत्यायोजन के किया जा सकता है। (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2007/CE-I/CT/18 Pt. XII दिनांक 07.03.2008)

9.1 समान कार्य का मूल्य, जो लिया जायेगा (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 94/ CE-I/CT/4 दिनांक 23.11.2006)

- PG shall be released only after successful physical completion of the work based on the "work completion certificate" signed by the agreement signing authority (Minimum JAG).
- PG to be deposited in acceptable form.

In case of failure of contract

- No risk & cost to be recovered.
- The failed contractor whether individual /JV/ partnership firm shall be debarred from re-tender for that work. All members of the JV or P/firm are debarred individually or as member of other JV/Partnership firm also for re-tendered work.
- SD of the failed contractor to be forfeited and PG to be encashed.

9.0 Minimum Eligibility Criteria for works Tenders (Sudhir Chandra Committee):

- Eligibility criteria are applicable for works costing above Rs. 50 lacs each.**(Rly. Bd.'s No. 2007/CE-1/CT/18 Pt XII dtd.31.12.2010).**

Sl. No.	Criteria	Minimum requirement
1	Should have completed in the last three financial years (i.e. current year and three previous financial years).	At least one similar single work, for a minimum value of 35% of Advertised Tender Value of Work.
2	Total contract amount received during the last three financial years (i.e. current year and three previous financial years).	Should be a minimum of 150% of Advertised Tender Value of work.

- Eligibility criteria may be modified on case to case basis in respect of urgent nature & specialised nature of works with concurrence of FA&CAO (Associate finance) and personal approval of GM (Para.2.3.4.1 of Sudhir Chandra committee recommendation).
- General guidelines for above criteria may in special circumstances be relaxed personally by CAO/Con with the personal concurrence of FA&CAO/Con, judiciously, duly recording the special circumstances, without any further delegation.(Rly. Bd.'s No. 2007/CE-1/CT/18 dtd.07.3.2008)

9.1 Value of similar works to be taken (Rly. Bd.'s No. 94/CE-I/ CT/4 dtd.23.11.2006)

क्र.सं.	कार्य की स्थिति	संपादित कार्य का पूर्ण मूल्य
1.	कार्य भौतिक रुप से पूर्ण हो एवं अंतिम बिल पास हो।	संपादित कार्य का पूर्ण मूल्य।
2.	कार्य भौतिक रुप से पूर्ण संपादित और अंतिम बिल पास नहीं हो।	
	अंतिम माप दर्ज नहीं हो या अंतिम माप दर्ज हो और कार्य नकारात्मक परिवर्तन के साथ पूर्ण हो।	वैधानिक कटौती/बिल की राशि सहित भुगतान की गयी राशि का कुल मूल्य।
	अंतिम माप दर्ज हो और कार्य सकारात्मक परिवर्तन के साथ पूर्ण हुआ हो, परन्तु परिवर्तन अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ हो।	मूल अनुबंध का मूल्य या अंतिम अनुमोदित संविदा का मूल्य जो भी कम हो।

- केवल समान कार्य पर विचार किया जाए, जो पात्रता अवधि के अंदर भौतिक रूप से पूर्ण किया गया हो, (यद्यपि वह पहले भी शुरू किया गया हो)
- समान कार्य का कुल मूल्य पात्रता अवधि के अंदर किये गये कार्य को माना जाए। (नहीं कि उस अवधि के अंदर प्राप्त भुगतान को)
- समान कार्य, खुली लाईन में प्रमुख विभागाध्यक्ष के द्वारा एवं निर्माण संगठन में मुख्य इंजी/मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजी./मुख्य विद्युत इंजी. द्वारा स्पष्ट परिभाषित होना चाहिए और उसे रेलवे में पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए। वही एनआइटी/निविदा अभिलेख में भी निर्दिष्ट होना चाहिए। अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो तो पहले सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

9.2 मिश्रित कार्य के लिए मूल्यांकनः

अलग-अलग संपादित कार्य जो आवश्यक वांछित मूल्य का है (अर्थात् निविदा मूल्य का 35 प्रतिशत) उसको माना जाना चाहिए। जैसा कि पुल निर्माण पीएससी स्ट्रक्चर और पाइल फाउंडेशन के लिए एक कार्य पुल निर्माण पीएससी स्ट्रक्चर के साथ और दूसरा कार्य पुल निर्माण पीएससी स्ट्रक्चर के साथ को समान कार्य के रुप में स्वीकार्य किया जा सकता है। (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 94/CE-I/CT/4 दिनांक 23.11.2006)

9.3 प्रस्तावों पर विचार

- जिस ठेकेदार का सामर्थ्य एवं वित्तीय स्थिति नहीं जांचा गया है और संतोषजनक नहीं पाया गया, उसे कार्य नहीं सौंपना चाहिए।

Sl. No.	Status of work	Value to be taken
1	Work physically completed and final bill passed.	Full value of completed work.
2	Work physically completed and final bill not passed	
	Final measurements not recorded **or** Final measurement recorded and work completed with negative variation.	Value of paid amount including statutory deductions/billed amount.
	Final measurement recorded and work completed with positive variation but variation not yet sanctioned.	Original contract value or last sanctioned agreement value, whichever is lower.

- Similar works, physically completed within the qualifying period (even though might have started earlier) should only be considered.
- Total value of the similar work completed during the qualifying period (and not the payment received within the qualifying period alone) to be considered.
- Similar works should be clearly defined by PHOD on open line and nominated CE/CSTE/CEE on construction organization of the railway and to be strictly followed and same to be indicated in NIT/Tender documents also.In case of deviation / modification in the list of similar works, prior approval of competent authority to be taken.

9.2 Evaluation for composite works.

Separately completed works of required value (i.e. @ 35% of tender value) should be considered, e.g. one bridge work with pile Foundation and another bridge work with PSC Construction can be taken as similar for bridge construction with PSC structure & pile Foundation. (Rly. Bd.'s No. 94/CE-I/CT/4 dtd.23.11.2006)

9.3 Consideration of offers

- No work should be entrusted to a contractor whose capability & financial status has not been investigated and found satisfactory. (E-1215)

- संविदा को किसी ठेकेदार के पक्ष में सुझाव से पहले उस ठेकेदार की वित्तीय क्षमता, कार्य क्षमता एवं विगत प्रदर्शन का विस्तार से निविदा समिति द्वारा परीक्षण करना चाहिए। साथ ही उसके पास वर्तमान में कार्य के बोझ का भी ध्यान देना चाहिए। (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 94/CE-I/CT4 Pt.II दिनांक 19.11.13)
- 50 लाख से कम मूल्य के निविदा में भी टीसी को ठेकेदार की वित्तीय क्षमता एवं कार्य क्षमता का परीक्षण करना चाहिए। (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2013/CE-I/CT/O/25/VOC दिनांक 05.08.13)

10.0 संयुक्त उद्यम कंपनी की सहभागिता: (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2002/CE.1/CT/37 दिनांक 07.09.2011 एवं जीसीसी का अनुच्छेद (65)

- 10 करोड़ से अधिक मूल्य के कार्य के लिए ही संयुक्त उद्यम कंपनी को भागीदारी की अनुमति दी जाती है। 10 करोड़ से कम मूल्य के कार्य में संयुक्त उद्यम कंपनी की भागीदारी या 10 करोड़ से अधिक के मूल्य के कार्य में भागीदारी से वंचित करने के लिए वित्त की सहमति एवं एचएजी अधिकारी के अनुमोदन की जरूरत होती है साथ ही उसे एनआइटी में विज्ञापित करना होता है। (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2002/CE-I/CT/37 JV Pt. VIII दिनांक 14.12.12)
- प्रत्येक संयुक्त उद्यम के पहचान/नाम अलग होगा।
- एक विभाग के कार्य अनुबंध के लिए संयुक्त उद्यम में सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं होने चाहिए और जब एक से अधिक विभाग हो तो सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होने चाहिए।
- एक निविदा में एक संयुक्त उद्यम के सदस्य अपने व्यक्तिगत या किसी और संयुक्त उद्यम के सदस्य के रुप में सहभागी नहीं हो सकते हैं।
- संयुक्त उद्यम में नेतृत्व करने वाले सदस्य का शेयर कम से कम 51% होना चाहिए।
- बाकी सदस्यों का शेयर 20% से कम (तीन सदस्यों की संख्या में) और 10% से कम (पाँच सदस्यों की संख्या में) नहीं होना चाहिए।
- संयुक्त उद्यम में जब सदस्य विदेशी हो तो नेतृत्व करने वाले सदस्य भारतीय (जिसका शेयर कम से कम 51%) होना चाहिए।
- निविदा प्रपत्र की खरीद एवं जमा केवल संयुक्त उद्यम के नाम से होना चाहिए।
- सामान्यतया इएमडी संयुक्त उद्यम के नाम से जमा करना होगा। असाधारण

- Financial capacity, capability & past performance of the tenderer/contractor should be investigated, examined in detail by the TC before recommending him/her for award of contract, duly considering the existing work load with the tenderer. (Rly. Bd.'s No. 94/CE-I/CT4 Pt.II dtd 19.11.03)
- TC is required to examine the financial capacity & capability of tenderer in case of low value tenders also i.e. less than Rs.50 lacs.(Rly. Bd.'s No. 2013/CE-I/CT/0/25/VOC dtd. 05.8.13)

10.0 Participation of Joint Venture Firms: (Rly. Bd.'s No. 2002/CE.1/CT/37 dtd. 07.09.2011 & Clause (65) of GCC).

- Joint venture firms are permitted participation for works costing more than Rs.10 Cr. Each. For allowing participation of JV firm in tenders below Rs.10 Crs or not allowing participation above Rs.10 Crs, approval of HAG officer is required to be taken with concurrence of Finance on merit of the case and should be advertised in NIT. (Rly. Bd.'s No. 2002/CE-I/CT/37 JV Pt.VIII dtd.14.12.12).
- Separate identity/name for each JV firm.
- Number of members in a JV shall not more than 3 for contracts involving works of only one Deptt. and not more than 5 for works involving more than one deptt.
- Member of a JV shall not participate either individually or as a member of another JV in same tender.
- Lead member shall own majority share/interest in JV (at least 51%).
- Other members shall have not less than 20% share each in case of three members JV and 10% each in case of five members JV .
- In case of JV with foreign members, lead member to be Indian firm (at least 51% share).
- Tender form to be purchased & submitted only in the name of JV firm.
- Normally EMD shall be submitted by name of JV. In exceptional

मामले में इएमडी नेतृत्व करने वाले सदस्य जमा कर सकते हैं। आग्रह पत्र में कारणों का उद्‌भेदन करते हुए एवं अन्य सदस्यों की सहमति प्राप्त करते हुए।

- निविदा प्रपत्र में एमओयू प्रारूप सम्मिलित होना चाहिए और संयुक्त उद्यम को निविदा के साथ एमओयू भी जमा करना चाहिए।
- एक बार निविदा जमा हो जाने पर एमओयू में कोई बदलाव नहीं होगा, सिवाय उत्तराधिकार कानून के, वो भी रेलवे के स्वविवेक पर। फिर भी, नेतृत्व करने वाले सदस्यों में बदलाव नहीं होगा।
- अनुबंध जारी हो जाने पर संयुक्त उद्यम का संविधान अनुबंध के अवधि तक जारी रहेगा, सिवाय उत्तराधिकार नियम के। न्युनतम पात्रता मानदंड में कोई बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
- अनुबंध जारी होने पर संयुक्त उद्यम के द्वारा एकल पीजी जमा करना होगा और पीजी में कोई बिखराव की अनुमति नहीं होगी।
- एलओए के जारी होने तथा अनुबंध करारनामा के हस्ताक्षर से पहले संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों के बीच करार की जरूरत होती है जो कंपनी एक्ट या रजिस्ट्रेशन एक्ट–1908 में पंजीकृत हो। विफल होने पर इएमडी जब्त किया जाएगा और संयुक्त उद्यम एवं इसके सदस्यों पर कारवाई निविदा शर्तों के अनुरूप होगा। इस प्रकार के करार का प्रारूप निविदा प्रपत्र का भाग होगा।
- संयुक्त उद्यम का करारनामा कम से कम कार्य समापन अवधि (समय विस्तार) एवं रखरखाव अवधि तक वैध होगा।
- संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों को उद्‌घोषणा करना होगा कि वे कभी भी रेलवे या किसी सरकारी ठेके में व्यक्तिगत या जेवी साझेदारी फर्म के सदस्य के रूप में काली सूचीबद्ध या बहिष्कृत नहीं किया गया है।

11.0 बोली लगाने के दो पैकेट सिस्टमः (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 94/CE-1/CT/4 Pt-17 दिनांक 13.08.2012)

- जिस कार्य अनुबंध में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन की जरूरत है, उनका निविदा जीसीसी की धारा 7ए के शर्तों के अनुरूप दो पैकेट निविदा प्रणाली में किया जाएगा।
- 10 करोड़ मूल्य से अधिक के कार्य, अनुबंध के लिए अनिवार्य होगा।
- 10 करोड़ मूल्य से अधिक के कार्य अनुबंध के एकल पैकेट निविदा करने के लिए कार्यकारी अधिकारी (कम से कम एचएजी) के अनुमोदन उद्‌भेदित कारणों के साथ होना है जो विसमुलेधि. की सहमति प्राप्त होना चाहिए।
- 10 करोड़ तक के निविदा के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी

cases, lead partner can submit EMD with a request letter stating reasons and with the confirmation of other members of JV.

- MOU format to be enclosed with the tender form and JV to submit MOU along with tender.
- Once tender is submitted, no modification in MOU shall be allowed except in case of succession laws etc at the sole discretion of Railway. However, lead member should continue to be lead member of JV.
- On award of contract, constitution of JV shall continue till currency of contract except under succession laws etc. No breach in minimum eligibility Criteria shall be allowed.
- On award of contract, single PG shall be submitted by JV and no splitting of guarantee shall be allowed.
- On issue of LOA and before signing of contract agreement, an agreement among members of JV needs to be executed and registered under Companies Act or Registration Act-1908. Failure to register an agreement shall result into forfeiture of EMD and penal action against JV & its members as per tender condition. Format for such agreement to be part of Tender form.
- JV agreement to be valid minimum for Completion Period (including extension) plus Maintenance Period.
- All members of JV shall certify that they are not black listed or debarred by Railway or any other govt for tenders either in their individual capacity or as member of JV or partnership firm.

11.0 Two packet system of bidding: (Rly. Bd.'s No. 94/CE-1/CT/4 Pt-17 dtd.13.8.2012)

- For all works contract tenders, requiring techno-economic evaluation, two packet tendering shall be the norm in terms of Clause 7A of GCC.
- Mandatory for all works tenders valuing more than Rs. 10 Cr.
- Approval of executive officer not below HAG shall be required duly recording reasons, for adopting single packet tendering, with the concurrence of FA&CAO, for any work costing above Rs. 10 Cr.
- For tenders costing up to Rs. 10 Cr., tender inviting authority

वित्त की सहमति से दो पैकेट सिस्टम अपना सकते हैं।

12.0 निविदा में बातचीत: (रेलवे बोर्ड के पत्रांक 99/RS(G)/779/2 दिनांक 15.10.2007)

- सामान्यतया बातचीत अधिमानित नहीं होना चाहिए।
- केवल असामान्य स्थिति में।

कब बातचीत हो

- जब अनुचित अधिक दर प्राप्त हुआ हो।
- जब असामान्य दर के साथ कार्टेल गठन की आशंका हो।
- जब दर में प्रशंसनीय कमी की उम्मीद हो।

किसके साथ बातचीत

- केवल एल1
- एल1 को जवाबी प्रस्ताव का मतलब बातचीत है। बातचीत प्रस्ताव, अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

  एल1 के साथ बातचीत बैठक करने से पहले रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2008/CE-I/CT/1 दिनांक 12.09.2008 में परिचालित प्रारुप के अनुसार उचित घोषणा पर एल1 का हस्ताक्षर होना चाहिए।

यदि एल1 पीछे हटते हैं तो पुनर्निविदा (सीवीसी का दिशानिर्देश)।

13.0 निविदा बुलाने की व्यवस्था: (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2007/CE-I/CT/18/pt. दिनांक 05.03.2009 एवं समसंख्यक सं. दिनांक 06.09.10)

- इसका अर्थ है उद्धरण बुलाना।
- इसका प्रयोग संयम से करना चाहिए।
- परिस्थिति का स्पष्ट वर्णन करें।
- कार्य को व्यवस्था के दायरे में लाने के लिए उसमे विभाजन नहीं करें।
- उपलब्ध अनुबंध के अंदर किये जा सकने वाले कामों के लिए नहीं होना चाहिए।
- फैशन एवं कम उपयोगिता की वस्तुओं के लिए नहीं होना चाहिए।
- दर की प्रासंगिकता स्वीकार करने वाले अधिकारी के द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए।
- कम से कम तीन वास्तविक अनुभवी विक्रेता से उद्धरण बुलाना चाहिए। यह जरुरी नहीं कि ये विक्रेता अनुमोदित सूची का ही हो।
- शक्तियों का प्रयोग स्वयं के प्रशासनिक अनुमोदन के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक मामलों का व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए ठीक से प्रलेखित किया जाना चाहिए।

shall decide with the concurrence of associate finance to adopt two packet systems.

12.0 Negotiation in Tenders: (Rly. Bd.'s No. 99/RS(G)/779/2 dtd.15.10.2007)

- Normally no negotiations to be preferred.
- Only exceptions.

WHEN to negotiate

- When unjustifiable high rates are received.
- When cartel formation with unreasonable rates is suspected.
- When appreciable reduction is expected in rates.

WITH whom to negotiate

- L1 only.
- Counter offer to L1 also means negotiation.

  Negotiated offer should be signed by the authorized person. Proper declaration to be got signed (about rates in case of failure of negotiations) by L1 before negotiation meeting as per format circulated vide Railway Board's letter No.2008/CE-I/CT/1 dtd. 12.9.2008.

Re-tender, if L1 backs out (CVC Guideline).

13.0 Dispensation for calling of Tenders: (Rly. Bd.'s No. 2007/CE-I/CT/18/ pt. dtd. 5.3.2009 & even no. dtd-06.09.10)

- It means calling of quotations.
- To be exercised sparingly.
- Spell circumstances clearly.
- No splitting to bring work within ambit of dispensation.
- Not for works which can be taken up under existing contracts.
- Not for fancy & low utility items.
- Reasonability of rate to be examined in detail by the accepting authority.
- Call quotations from at least three genuine & experienced vendors, not necessarily borne on approved list.
- Powers can be exercised under own administrative approval.
- Each case to be documented properly to keep check on dispensation.

अधिकारी का स्तर	मामले के अनुसार अधिकतम मूल्य (रु.)	वार्षिक सीमा (रु.)
स्वतंत्र प्रभार के वरिष्ठ वेतनमान	1,00,000	5,00,000
कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड/सेलेक्शन ग्रेड	2,00,000	20,00,000
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	4,00,000	40,00,000

14.0 निविदा को अंतिम रुप दिया जाना:-

14.1 तर्क संगत दर

- निविदा समिति का मुख्य कार्य तर्कसंगत दर की जाँच करना होता है जो स्थान, कार्य की मात्रा, भौगोलिक क्षेत्र, संसाधनों की उपलबधता, दर में परिवर्तन/कर/सरकार की नीति, सामग्री एवं मजदूरों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
- अंतिम स्वीकृत दर सामान्यत: तुलनात्मक कार्यों, एक जैसा कार्य अथवा समतुल्य खण्ड में और जहाँ एक विशेष मद के लिए कम वित्तीय उलझन के स्वीकृत, सभी के परिप्रेक्ष्य में दर उचित है।
- जहाँ एलएआर उपलब्ध नहीं है, अथवा केवल एक एलएआर उपलब्ध है वहाँ गहन बाजार भाव का सर्वे कर उचित दर का विश्लेषण करें। (रेलवे बोड का पत्रांक 94/CE-I/CT/4 दिनांक 17.09.1997)

14.2 संयोजक का कार्य

- वह कार्य के क्रियान्वयन का सामान्यत: सभी विशेष कार्य, स्थल की स्थिति, कार्य की विशेषतायें, निविदाकर्ता को प्रत्यय पत्र, समय संरचना और उसकी आवश्यकता की पूरी जानकारी रखता है।
- दर विश्लेषण के लिए बाजार का सर्वे और कोई एक विशेष शर्त्त यदि हो तो उसे भी उसको मूल्यांकित करना है।
- उसे टीसी के विषय में पूरी जानकारी रखना चाहिए।

14.3 वित्त सदस्य के कार्य:-

- सभी निविदाकर्ता पूर्व अपेक्षित स्थिति को पूरा करता हो।
- निविदा उचित फार्म में जारी हो।
- निविदा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो।
- सभी निविदायें पूर्णरूपेण भरा हो, यदि किसी प्रकार की शुद्धि या ओभर राइटिंग हो तो उसपर निविदा खोलने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

Level of officer	Maximum value per case (Rs.)	Annual ceiling limit (R s.)
SS independent charge	1,00,000	5,00,000
JAG /SG	2,00,000	20,00,000
SAG	4,00,000	40,00,000

14.0 Finalization of Tenders:

14.1 Rate reasonability:

- Rate reasonableness is the most important factor which a tender committee has to examine as the rates may vary depending on the location, quantum of work, geographical area, availability of resources, change in rates/taxes/Govt. policies on the labour/material input etc.
- The LARs should be of similar and comparable works, of same or contiguous sections and not of tenders where a particular item having a small financial implication has been accepted in view of the overall rates being reasonable.
- Wherever the LARs are not available, or only one LAR is available a proper rate analysis based on exhaustive market survey should be done. (Rly. Bd.'s No. 94/CE-I/CT/4 dated 17.9.1997)

14.2 Role of Convenor:

- He has normally full knowledge of work to be executed, all special features, site conditions, specifications of the work, credential of the tenderers, time frame, urgency.
- Market survey for rate analysis and implication of special conditions, if any, are also to be evaluated by him.
- He must fully brief the TC.

14.3 Role of Finance Member: He must ensure that

- All tenderers have fulfilled the pre-requisite conditions, i.e. :
- Tenders are in properly issued form
- Tenders are signed by authorized persons
- All tenders are correctly filled and if there are corrections and over-writings then they have been initialled by tender opening officials

- निविदा सही ढंग से खोलना चाहिए।
- बयाना की राशि अपेक्षित और स्वीकार्य फार्म में होना चाहिए।
- सभी वैध निविदा को क्रमानुसार रखकर तुलनात्मक स्टेटमेंट एवं ब्रीफिंग नोट तैयार कर वित्तीय सत्यापन करना चाहिए।
- सभी विशिष्ट शर्तों का वर्णन एवं वित्तीय उलझन का मूल्यांकन करना चाहिए।
- अंकगणितीय विशुद्धता निविदाकर्ता के लिए होनी चाहिए।
- संयोजक के द्वारा उचित दर विश्लेषण तैयार करके प्रोपर रिकार्ड रखना चाहिए।
- निधि की स्थिति देखना चाहिए यदि कार्य का अनुमोदन प्राप्त हो।
- यदि पार्टनर डीड हो तो उसे नियमानुसार जाँच करनी चाहिए।
- सभी विशेष शर्तें जिसमें वित्तीय प्रतिक्रिया है उसकी जाँच करनी चाहिए।
- निविदा के निष्पादन के समय सभी सुसंगत पहुँच रखना, जैसा कि वह सभी निविदाओं के लिए सामान्य सदस्य है।

14.4 तृतीय सदस्य के कार्य:-

- सामान्यत: सभी नियम लागू होना चाहिए।
- दर की उचित जाँच करनी चाहिए।
- निविदा के निर्धारण में एक समान और सुसंगत तरीका अपनाना चाहिए।
- निविदा समिति के सदस्यों के विचारों में भिन्नता है तो वह अपना निश्चित विचार दे सकते हैं।

14.5 पूर्ण रुप से निविदा समिति की जिम्मेवारी:

- सभी ज्ञात तथ्यों और वैध आशंकाओं को दूर करने के लिए निविदा समिति की यह सामूहिक जिम्मदारी है कि परिभाषित अनुशंसा पूरे तथ्यों और कारणों के साथ लायें जिसे अनुशंसा का आधार बनाया जा सके।
- यह भी अवश्य साफ-साफ निर्देशित हो जिससे सक्षम प्राधिकारी निविदा समिति की अनुशंसा पर विचार कर सकें।

14.6 निविदा स्वीकार करनेवाले प्राधिकारी का दायित्व: निविदा स्वीकार करनेवाला प्राधिकारी पर अन्त में और अंतिम रुप से स्वीकार करने का दायित्व है, यद्यपि निविदा समिति पर भी इसकी अनुशंसा का दायित्व है। इसलिए निविदा स्वीकृति पदाधिकारी, निविदा समिति की कार्यवाही पर विचार कर इसकी जाँच लें।

- कार्य अनिवार्य रुप से आवश्यक हो और कार्य स्वीकृत हो तथा धन उपलब्ध हो।

- Tenders have been opened correctly
- Earnest money is requisite and in acceptable form
- All valid tender offers are serially placed and put up in a comparative statement along with a briefing note, duly vetted.
- All special conditions have been mentioned and those having financial implications are evaluated.
- The arithmetical accuracy of the offer.
- A proper rate analysis has been prepared and placed on record by the Convenor.
- The funds position and if a work is sanctioned
- The partnership deed and any legal issue involved is examined.
- All special conditions having financial repercussions have been examined
- Consistent approach is taken in dealing with tender for all similar cases, as he is a common member for all tenders.

14.4 Role of Third Member:

- Rules are followed in general
- Reasonableness of rates has been properly examined
- A uniform and consistent approach has been adopted in dealing with the tender
- In cases of difference of opinion between members of TC he gives his definite opinion.

14.5 Responsibility of TC as a whole:

- It is the collective responsibility of the TC to give a definite recommendation with full facts and reasons bringing out all the known facts, background and valid apprehensions which have formed the basis for its recommendations.
- It must also clearly specify the authority competent to consider recommendations of the TC

14.6 Role of Tender Accepting Authority: TAA is finally and ultimately responsible for the acceptance, although the TC is also responsible for its recommendations. Therefore, TAA, while considering the TC proceedings, should examine:

- Work is essentially required and is covered by sanction and funds are available.

- खुली निविदा के मामले में, सभी निविदा देने वाले को पूरा मौका दिया गया है। इसमें निविदा के लिए पर्याप्त सूचना शामिल है।
- यह पर्याप्त दायित्व होना चाहिए, अर्थात् जितनी संख्या में निविदा की बिक्री हो उसी रुप में उतनी ही संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हो। अगर खराब प्रतिक्रिया मिले, तो इस पहलु पर विशेष रूप से जाँच करना चाहिए।
- औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर संविदा समिति द्वारा अच्छी तरह से जाँच करनी चाहिए।

14.7 निविदा समिति की सिफारिशों पर व्यवहार:

- निविदा के बारे में सभी मूल तथ्यों की जाँच प्रथम चरण है।
- चाहे निविदा समिति की अनुशंसा सर्वसम्मत या अन्यथा है।
- सर्वसम्मत अनुशंसा की दशा में, दर सम्मानजनक हो, इसकी अवश्य जाँच करें। कोई कमी जानकारी में आये तो निविदा समिति को भेज सकते हैं।
- निविदा स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी रबर स्टैम्प जैसा कार्य नहीं करता और अपना/अपनी दिमाग स्वतंत्र रूप से लगाएगा और यह दिखना भी चाहिए। स्वीकार अथवा अन्य भी, संविदा समिति के कार्यवाही में ढ़ाँचे पर स्वयं दर्ज करेगा।
- यदि सर्वसम्मत अनुशंसा नहीं है, यदि निविदा स्वीकृति पदाधिकारी अनुशंसा को केवल एकमत या बहुमत से स्वीकार करना चाहता है, तो ऐसा करने पर विस्तृत कारण दर्ज करना चाहिए।
- टीसी की अनुशंसा सामान्यतया स्वीकार होनी चाहिए लेकिन अगर निविदा स्वीकृति पदाधिकारी उसको खारिज/संशोधित करे, तो उसके लिए स्पष्ट तौर पर विस्तृत आधार होना चाहिए।
- तीसरे व्यक्ति से अतिरिक्त ब्यौरा प्राप्त करना सही नहीं है लेकिन यदि उस ब्यौरा पर विचार करना आवश्यक है, तो उसको प्राप्त करने के लिए टीसी पूछ सकता है और टीसी द्वारा उचित जाँच के बाद निविदा स्वीकृति पदाधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए।
- निविदा स्वीकृति पदाधिकारी को उचित अवधि के लिए निर्णय लेना चाहिए। अनिवार्य देरी को परिभाषित करना चाहिए।

14.8 निविदा की स्वीकृतिः- स्वीकृति प्राधिकारी को साफ-साफ स्पष्ट कारण निम्न के लिए लाना चाहिए-

- निविदा समिति की अनुशंसा को स्वीकार नहीं करने पर।

- In case of Open Tender, full opportunity has been given to all the tenderers. This includes sufficient notice for the tender.
- That response has been adequate, i.e. the number of tenders sold vis-à-vis number of offers received. In case of poor response, this aspect should be specially examined.
- Reasonableness of offers has been properly examined by the TC.

14.7 Dealing with TC Recommendations:

- The first step is to examine all the basic facts about the tender.
- Whether the recommendation of TC is unanimous or otherwise.
- Even in case of unanimous recommendation, all the aspects about reasonableness of rate must be examined. Any deficiency noticed may be referred to TC.
- TAA cannot function as a rubber stamp and must apply his/her mind independently and such appreciation should be visible. The acceptance or otherwise must be recorded on the body of TC proceedings itself.
- In case of non-unanimous recommendations, if TAA wants to accept either single or majority recommendation, it should record detailed reasons for doing so.
- TC recommendations should normally be accepted, but in case TAA rejects/modifies the same, clear-cut detailed grounds should be given for the same.
- It is not correct to obtain additional details from a third person but if such details are considered necessary, TC should be asked to obtain them and put up to TAA after proper examination of the same by TC.
- TAA should take the decision in a reasonable period of time. Unavoidable delays should be explained.

14.8 Acceptance of Tenders: The accepting authority must clearly bring out the reasons for -

- not accepting the recommendations of a T.C.

- किसी असहमत सदस्य की अनुशंसा पर सहमत नहीं होने पर।
  वह वापस निविदा समिति को अनुशंसा के लिए भेज सकता है–
  (i) कुछ स्पष्टीकरण की तलाश में।
  (ii) अगर वह महसूस करता है कि कुछ पहले उपेक्षित/असंगत छूट गये हैं जो मामले के लिए उपयुक्त हैं तो निर्णय की समीक्षा करे।

14.9 स्वीकृति पत्र में दर प्रतिबंधः

- निविदा समिति एवं स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी द्वारा यदि स्वीकृत दर को भविष्य में प्रतिबंधित करने के लिए संदर्भित किया गया है, तो स्वीकृत पत्र में स्थायी रूप से उल्लेख होना चाहिए। ऐसा ही संविदा अनुबंध में भी वर्णित होगा। यदि स्वीकृति देने वाला पदाधिकारी इस सम्बन्ध में विशेष दिशा–निर्देश जारी करता है। **(रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2012/CE-1/CT/O/10 दिनांक 26.08.13)**

15.0 दर भिन्नता शर्तः (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2007/CE-1/CT/18/Pt.19 दिनांक 14.12.12 एवं 15.10.14)

- दर भिन्नता शर्त जीसीसी के क्लॉज सं. 46ए के अनुसार शामिल किया जाना चाहिए।
- दर भिन्नता शर्त केवल वैसे संविदा अनुबंध में लागू हो जो रु. 50 लाख या उससे अधिक का हो न कि निविदा सूचना मूल्य पर। संविदा करार हस्ताक्षर होने के बाद मात्रा में भिन्नता पाये जाने पर दर भिन्नता की शर्तें लागू नहीं होगी।
- यदि निविदा स्वीकृत करने वाला अधिकारी या वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी जो भी उच्चाधिकारी हो 50 लाख या उससे अधिक के मामले में दर भिन्नता शर्त को नहीं लागू करने तथा 50 लाख से कम संविदा अनुबंध मूल्य के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन, विशेष कारण देना होगा तथा इसे उसे विशेष शर्त के रूप में लागू करेगा।
- दर भिन्नता शर्त वार्षिक रखरखाव संविदा तथा जोनल कार्य में लागू नहीं होगा। (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2013/CE-I/CT/O/10/PVC/Pt.I दिनांक 27.01.15)
- दर भिन्नता शर्त के सही एसेसमेंट एवं सामंजन तथा एकाउन्टल के लिए जरूरी है कि कार्य स्थल पर विभिन्न प्रकार के सामग्री का वास्तविक केश मेमो संबंधित कार्य इंचार्ज द्वारा यथाशीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए जिस समय संवेदक सामग्री की आपूर्ति कर रहा हो, जिससे कि किसी प्रकार का अन्यथाकथन बाद के दिनों में दर विभिन्नता शर्तों में न हो।

- not agreeing with the recommendations of any dissenting member
  He may also refer the recommendations back to the TC -
  (i) to seek some clarifications
  (ii) to review the decision in case he feels that some aspects have been left unattended/unconnected which are relevant to the case.

14.9 Rate restriction in LOA:

If any accepted rate has been restricted for future references by the tender committee and the accepting authority, it should invariably be mentioned so in the letter of acceptance such mention shall be in the contract agreement, if the accepting authority issues specific direction in this regard.(Ref: 2012/CE-I/CT/0/10 dated 26.08.13)

15.0 Price Variation Clause: (Rly. Bd.'s No. 2007/CE-1/CT/18/Pt.19 dtd 14.12.12 & 15.10.14)

- Price variation clause has been incorporated as clause no.46A to the GCC.
- PVC is applicable only for Contract Agreement value ? Rs. 50 lacs & not on NIT value, irrespective of the contract completion period. Variation in quantities after signing of Contract Agreement is also not relevant for deciding applicability of PVC.
- Approval of TA authority or SAG officer of executive department whichever is higher shall be required duly recording reasons, with the concurrence of associate finance, for non applicability of PVC if CA value goes ? Rs. 50 lacs or applicability if CA value goes< Rs. 50 lacs. Such decision should be incorporated as special condition of contract.
- Not applicable for Annual Maintenance Contract (AMC) or Zonal work. (Rly. Bd.'s No. 2013/CE-1/CT/O/10/PVC/Pt.I dtd 27.01.15)
- For correct assessment of adjustment on account of price variation, it is necessary that the date of actual receipt of different type of materials (attracting PVC) at work site should be immediately recorded by the concerned works Incharge, on the original vouchers of supply (to be provided at the time of material supply by contractor) and in other relevant material passing registers to avoid any misrepresentation at later date by the contractor on PVC.

16.0 कार्य का निष्पादन

कार्यों के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित विन्दुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 94/CE-I/CT/4 दिनांक 17.09.1997)

- कार्य स्थल आदेश पुस्तिका के पर्यवेक्षक कर्मचारी/अधिकारी द्वारा दी गई अवलोकन/निर्देश को पालन करने हेतु संवेदक पर दबाव दें।
- भवन सामग्रियाँ जैसे ईंटें, बालू, गिट्टियाँ और टाइल्स, सीमेंट, स्टील, पेन्ट, जल अवरोधक यौगिक आदि का नियमित जाँच किया जाना चाहिए और अभिलेख तैयार करना चाहिए।
- अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा कार्यस्थल पर ही मापी पुस्तिका में बिना खाली जगह छोड़े हुए सीधे मापी को स्याही से दर्ज करना चाहिए।
- वरीय पदाधिकारी द्वारा मापी का निर्धारित टेस्ट चेक किया जाना चाहिए और मापी पुस्तिका एवं संदर्भित बिल में संदर्भ देना चाहिए।
- जब तक कोई मद विशिष्टियों के अनुसार समाप्ति न हो जाए और सक्षम पदाधिकारी द्वारा मंजूर न हो जाय तब तक उस मद का पूरा भुगतान नहीं करना चाहिए।
- पुनरावृत्ति होनेवाले कार्य जैसे रंग रोहन आदि के लिए विस्तृत मापियाँ मानक मापी पुस्तिका के आधार पर किया जाना चाहिए और अलग-अलग मापी पुस्तिका लेने की प्रणाली को खत्म करना चाहिए (E-1327) (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2013/CE-I/CT/O/25/VOC दिनांक 01.08.13)
- समान जगह पर समान तरह के कार्य में नए संविदा का क्रियान्वयन तभी करें जब पहले के संविदा का कार्य समाप्त होने पर अंतिम माप, मापी पुस्तिका में दर्ज कर लिया गया हो। (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2012/CE-I/CT/O/12 दिनांक 29.07.13)

16.1 कार्य का निष्पादन - करें

- उपमुख्य इंजी./निर्माण द्वारा मिट्टी को पास करने के बाद ही निर्माण परियोजना में मिट्टी कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करें। (मिट्टी जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद)
- बार-बार निरीक्षण करें और कार्य स्थल आदेश पुस्तिका में दर्ज की गई आदेशों का उचित और समय पर अनुपालन सुनिश्चित करें और साथ ही कार्य आदेश पुस्तिका में आज्ञापालन दर्ज करें।
- केवल मशीन अंकित माप पुस्तिका में ही माप दर्ज करें।

16.0 Execution of work

Following points need to be observed during Execution of works: (Rly. Bd.'s No. 94/CE-I/CT/4 dated 17.9.1997)

- Insist upon the contractors to indicate the action taken on the observation/instructions given by supervisory staff/officers in the site order book.
- Regular testing of building materials such as bricks, sand, aggregates, tiles, cement, steel, paints, water proofing compound etc. to be done and record to be maintained.
- Measurement to be recorded in MB directly by the authorized officials in ink at the work site without leaving blank space.
- Prescribed test check on measurement is to be exercised by Sr. Officers and reference made in MB as well as in relevant bills.
- Not to pay the full quantity for an item unless it has been completed as per specifications and accepted by the competent authority.
- Detailed measurements for repetitive works like white washing etc. should be based on SMBs only and system of using reference MBs, if any, should be discontinue d (E-132 7) (Rly. Bd.'s No. 2013/CE-I/CT/0/25/VOC dtd. 01.8.13)
- Execution of works under new contracts at the same location for similar type of works be started only after the completion of work and recording of final measurement in MBs in respect of earlier contracts at that location. (Rly. Bd.'s No. 2012/CE-I/CT/0/12 dtd 29.7.13)

16.1 Execution of works contracts - Do's

- Ensure execution of earth work in the construction projects, only after passing of soil by concerned Dy. CE/Cons. (after getting the soil tested).
- Conduct frequent inspections and ensure proper and timely compliance of the orders recorded in the Site Order Book and also record the compliance in the Site Order Book.
- Record measurement on machine numbered measurement books only.

- छिपे हुए मापों पर विशेष ध्यान देते हुए मापियों का निर्धारित टेस्ट चेक करें।
- क्षेत्रफल माप के आधार पर भुगतान होने वाले मद जैसे स्लैब, फर्श, प्रीमिक्स सड़क कारपेट, लकड़ी के कार्य आदि को सुनिश्चित करें और टेस्ट चेक में इस पहलू को भी ध्यान में रखें।
- संविदा शर्त के अनुसार मिट्टी कार्य और लोडिंग एन अनलोडिंग में निर्धारित सिकुड़न/रिक्तियों के लिए कटौती सुनिश्चित करें।
- उचित पर्यवेक्षण द्वारा अच्छी कारीगरी सुनिश्चित करें।
- कार्य में इस्तेमाल करने से पहले संवेदक द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों का निरीक्षण एवं पारित सुनिश्चित करें। ऐसे चेक का उचित अभिलेख तैयार करें।
- कार्य स्थल पर संवेदक को निर्गत की गई रेलवे सामग्रियों का उचित लेखा जोखा सुनिश्चित करें।
- निर्गत सामग्रियों का वर्गीकरण और उसका उचित लेखा-जोखा सुनिश्चित करें।
- सीसी क्यूब्स को तैयार करना सुनिश्चित करें और कंक्रीट कार्य का टेस्टिंग सुनिश्चित करें।
- कार्य के निष्पादन के दौरान कार्य स्थल पर संवेदक के प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
- नये और अनुसूची मद का दर विश्लेषण सुनिश्चित करें।
- करार/विशिष्टियों के अनुसार स्टील संरचना अधिकृत मैन्युफैक्चर द्वारा तैयार सामान की खरीद सुनिश्चित करें।
- ड्राइंग, स्थान परिवर्तन एवं नये गैर अनुसूची मद का उचित प्रशासनिक अनुमोदन सुनिश्चित करें।
- सामग्री की जाँच नामी प्रयोगशाला में हो, सुनिश्चित करें।

16.2 संविदा कार्यों के क्रियान्वयन में - नहीं करें

- बिना विस्तृत मापी के मिट्टी कार्यों का चौथा/पाँचवां बिल पास करने की अनुमति न दें।
- बिना भौतिक सत्यापन के लम्बे लीड का भुगतान न करें और इस उद्देश्य के लिए लिड आरेख तैयार करें।
- अलग-अलग पहचाने जानेवाले कार्यों की मद के विरुद्ध जाँच परीक्षण सत्यापन बिना तारीख दिये हस्ताक्षर न करें।
- विभागीय मशीनरी के उपयोग के आधार पर जो संवेदक द्वारा अंतिम बिल

- Carry out prescribed test checks of measurements paying particular attention to the hidden measurements.
- Ensure inspection of correct thickness of items payable on area measurements such as slabs, flooring, premixed road carpet, wood work etc. Test check must cover this aspect also.
- Ensure deduction of prescribed shrinkage/voids in earthwork and loading contracts as per conditions.
- Ensure good workmanship by proper supervision.
- Ensure inspection and passing of materials supplied by contractors before these are used in work. Maintain proper records of such checks.
- Ensure proper accountal of railway materials issued to the contractors at the site of work.
- Ensure proper accountal and classification of released material.
- Ensure preparation of CC cubes and testing in concrete works.
- Ensure availability of contractor's representative at site during the execution of the work.
- Ensure proper rate analysis for new NS items.
- Ensure procurement of structural steel from the authorised manufacturers as mentioned in the specifications / agreements.
- Take proper administrative approvals for deviations from drawings, locations etc and inclusion of new NS items.
- Ensure testing of materials from reputed labs.

16.2 Execution of works contracts -Don't

- Don't allow passing of 4th/5th bill of Earth Work without detailed measurements.
- Don't pay long leads without physical verification and prepare a lead diagram for this purpose.
- Don't endorse test check certificates without putting dated initials against individual identifiable items of works.
- Don't allow recoveries on account of use of departmental

तक उपयोग किया गया हो, वसूली की अनुमति न दें।

- विशेष परिस्थिति को छोड़कर बिना उचित स्वीकृति के कार्यों का क्रियान्वयन की अनुमति नहीं दें और यथोचित प्राधिकारी से शीघ्रता से स्वीकृति प्राप्त कर लें।
- जबतक पूर्व के संविदा कार्यों का अंतिम मापी लेने और उसका स्वीकृति पहले और नये दोनों संवेदक द्वारा सहमति मिलने से पहले आंशिक रुप से छोड़े गये कार्यों के क्रियान्वयन का अनुमति दूसरे संवेदक को न दें ।
- उपमानकता के सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं दें।
- ऐसे मद जो उसके विचार से अधिक लाभदायक समझता है उसे संवेदक को पहले क्रियान्वित करने की अनुमति न दें, जिसके कारण उस संवेदक की रुचि बचे सभी कार्यों को पूरा करने में लगेगा।
- उस सामग्री को पास नहीं कर जिसकी विशिष्टियाँ दिये गये निविदा करार से भिन्न है, जब तक और अन्यथा सक्षम अधिकारी द्वारा सामग्री के विशिष्टियों में बदलाव की स्वीकृति हो

17.0 मापी पुस्तिका का रखरखाव: इंजी. कोड के पैरा में वर्णित अनुबंध E-1314, 1322, 1323, 1324, एवं 1326 और रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2013/CE-I/CT/O/25/VOC दिनांक 26.08.13 के अनुसार होना चाहिए।

18.0 मापों का अभिलेखन एवं टेस्ट चेक

- विभिन्न कार्यों के अधीन ओपन लाइन के साथ-साथ निर्माण संगठन में मापी आवश्यक टेस्ट चेक के साथ दर्ज करना गारंटी देता है। (E-1315, एवं 1321)
- बैलास्ट पूति के केस में: (रेलवे बोर्ड का पत्रंक-2006/CE-II/MB/2 दिनांक 25.05.2007)

- स्टैक मापी और बिल पास करने से पहले गुणवत्ता, दोनों के अनुपालन में वरि.मण्डल इंजी/मंडल इंजी/एवं उप मुइंजी (नि) 10% टेस्ट चेक करने का प्रयत्न करेंगे।
- औचक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, बिल पासिंग अधिकारी के स्तर पर जाने तक कम से कम 30% टेस्ट चेक से युक्त हो और तीन बिल से अधिक की स्थिति न हो जो लगातार छूटा हो।
- बिल पासिंग अधिकारी एक विशेष मापी के टेस्ट चेक का इरादा नहीं करेगा, वह स्पष्ट रुप से उसी प्रकार मापी पुस्तिका में दर्ज करेगा।

machinery by contractors to be accumulated upto the final bill.

- Don't allow execution of work without proper sanction except in special circumstances and obtain sanction of appropriate authority promptly.
- Don't allow execution of partly left over work by another agency before taking final measurements of earlier contract and getting them accepted both by the old and new contractor.
- Don't permit use of substandard materials.
- Don't allow the contractor to first execute only those items considered more profitable by him at his discretion so that contractor's interest in completing the whole work remains.
- Don't pass the materials having specifications different than those provided in the contract agreement, until and unless the change in specifications of the materials is approved by the competent authority.

17.0 Maintenance of measurement books (MBs): MB should be maintained as stipulated in para. E-1314 ,1322, 1323, 1324 & 1326 of Engg code and Rly.Bd.'s No. 2013/CE-I/CT/0/25/VOC dtd.26.8.13.

18.0 Recording of measurements and test check

- Recording of measurements in MB in open line as well as construction organisation have been stipulated along with required test checks under various works .(E-1315 to 1321)
- In case of ballast procurement:- (Rly.Bd.'s No. 2006/CE-II/MB/2 dtd.25.5.2007)

- Sr. DEN/DEN/Dy.CE(Con) shall exercise 10% check both in respect of stack measurement & quality before passing the bills.
- At least 33% bills should be covered by the test check at the level of bill passing officer keeping an element of surprise and at no stage more than three bills should be missed in continuation.
- In case, bill passing officer does not intend to test check a particular measurement, he shall clearly record the same in M B.

19.0 ठेके वाले कार्य स्थल पर योग्य इंजीनियर को लगाना

(रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2012/CE-I/CT/O/20 दिनांक 10-05-13 GCC का अनुच्छेद 26अ)

- जब क्रियान्वित होने वाले कार्यों का मूल्य रु. 2 करोड़ या उससे अधिक हो, एक योग्य स्नातक इंजीनियर को लगाना चाहिए।
- जब क्रियान्वित होने वाले कार्यों का मूल्य रु. 25 लाख से अधिक हो किन्तु रु 2 करोड़ से कम हो, एक डिप्लोमाधारी इंजीनियर को लगाना चाहिए।
- अगर योग्य इंजीनियर लगाने में कमी हो तो संवेदक रु 40,000 और रु 25,000 प्रत्येक महीने या उस हिस्से के लिए देनदार होगा। जिस अवधि में क्रमशः स्नातक इंजी और डिप्लोमा इंजी. नहीं लगायें हो।
- अगर योग्य इंजीनियर की सेवा लेना सही नहीं समझा जाय तो निविदा प्रपत्र में अधिकारी की स्वीकृति के साथ उल्लिखित होना चाहिए जो एसएजी ग्रेड के स्तर से कम न हो, जिसका कारण लिखित दर्ज होना चाहिए।

20.0 इस्पात की प्राप्तिः

- रेलवे प्रोजेक्ट/संविदा में टीएमटी छड़ें और संरचनात्मक इस्पात केवल स्थापित, विश्वसनीय, पारंपरिक और इस्पात के प्राथमिक उत्पादकों, इस्पात संयंत्रों जो लौह अयस्क को बुनियादी कच्चे सामग्री के रुप में कारखाने में लोहे के रोलिंग की सुविधा हो से, प्राप्त करना चाहिए।

21.0 संविदा में फेरबदल : (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2007/CE-I/CT/18 Pt.XII दिनांक 31.12.10, जीसीसी का अनुच्छेद 42(4)

21.1 चल रहे संविदा में नये एनएस मदों का समावेशः (रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2007/CE-I/CT/1 दिनांक 31.08.2007)

- अधिकतम सीमा रु. 5.0 लाख तक अथवा संविदा मूल्य का 10% जो न्यूनतम हो बिना वित्तीय सहमति के होगा।
- जेएजी/एसजी अधिकारी द्वारा रु. 50,000 तक और एसएजी द्वारा रु. 5.0 लाख तक एक संविदा में इस्तेमाल कर सकते हैं।
- एलएआर वित्त सहमति के बिना स्वीकृत उपरोक्त दर, अंतिम स्वीकार दरों एलएआर जैसे नहीं रेफर किया जायेगा।

22.0 कार्य पूरा होने में देरी पर दण्ड लगानाः जीसीसी-17 (बी)

- कार्य के संविदा मूल्य का 0.5% प्रत्येक सप्ताह अथवा सप्ताह के भाग जो अधिकतम इस प्रकार है:-

19.0 Deployment of Qualified Engineers at Contractual worksite
(Rly. Bd.'s No. 2012/CE-I/CT/O/20 dated 10.5.13 Clause 26A of GCC)

- One qualified graduate engineer shall be deployed when cost of the work to be executed is ? Rs. 2.0 Crs.
- One diploma holder engineer shall be deployed when cost of work to be executed is > Rs. 25 lacs but < Rs. 2.0 Crs.
- In case of default in deployment of the qualified engineers, the Contractor shall be liable to pay an amount of Rs. 40,000 /- & Rs. 25,000/- for each month or part thereof for the default period for Graduate engineer & diploma engineer respectively.
- In case, it is considered appropriate to not to have the services of qualified Engineer, the same shall be so mentioned in the tender document with the approval of the officer not below the level of SAG officer for reasons to be recorded in writing .

20.0 Procurement of steel:

- TMT bars & structural steel in Railway projects /contracts should be procured from only Established, Reliable, Indigenous & Primary producers of steel, having Integrated steel plants (ISP) using iron ore as basic raw material with in-house iron rolling facility. (Rly. Bd.'s No. 2007/CE-I/CT/8 dated 01.5.12)

21.0 Variation in Contract: (Rly. Bd.'s No. 2007/CE-I/CT/18 pt-XII dated 31.12.10, Clause 42(4) of GCC)

21.1 Inclusion of new NS items in an ongoing contract: (Rly. Bd.'s No . 2007/CE-I/CT/1 dtd. 31.8.2007)

- Up to maximum ceiling of Rs. 5.0 lacs or 10% of contract value whichever is lower, without finance concurrence.
- This can be exercised up to Rs. 50,000/- by JAG/SG and up to Rs. 5.0 lacs by SAG in a contract.
- Such rates accepted without finance concurrence are not to be referred as LARs.

22.0 Imposition of penalty for delayed completion of work: GCC-17(B)

- A sum equivalent to 0.5% of the contract value of the works for each week or part of the week, subject to maximum as under:-

2 लाख के संविदा मूल्य के लिए – कुल संविदा मूल्य का 10%

2 लाख से अधिक संविदा मूल्य – पहले दो लाख तक 10%और शेष के लिए 5%

अनुच्छेद 17–ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी नाम मात्र का जुर्माना लगाने पर गौर कर सकता है जो संविदा मूल्य का विस्तार करता हो जैसा केस में योग्यता के आधार पर समझे।

23.0 जीसीसी के अनुच्छेद 62 के तहत संविदा को समाप्त करना और पुनरोद्धार की प्रक्रिया करना : (रेलवे बोर्ड का पत्रांक- 99/CE.1/ CT/28 दिनांक 24.05.2001)

- संवेदक के डिफाल्ट होने पर अनुबन्ध के निर्धारण के बारे में विस्तृत रूप से जीसीसी का अनुच्छेद 62 आच्छादित है।

48 घण्टे की सूचना होने के बाद संविदा का पुनरोद्धार:

- समाप्त करने की अंतिम सूचना जारी होने तक अनुबंध जारी रहेगा।
- सूचना वापस लिया जा सकता है, अगर संवेदक सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए कार्य पुन: प्रारंभ करने के लिए गंभीरता से रुचि दर्शाता हो।

सूचना जारी होने के बाद ठेकों का पुनरोद्धार

- समाप्ति सूचना जारी होने के बाद ठेकों का पुनरोद्धार समान शर्तों पर केवल एकल निविदा में ही संभव है।
- सभी संबंधित आदेश के बचे अनुपालन अधिपत्रित हो।
- अगर ठेकेदार ठेका अवधि के विस्तार के बारे में माँग नहीं करता है और रेलवे वैध समय के अंदर समाप्ति की प्रक्रिया नहीं किया हो, एक सूचना निर्धारित प्रोफार्मा के अनुरूप, संवेदक के किसी भाग में विफलता पर हुये नुकसान का दावा हेतु संवेदक को जारी करें जो समापन तिथि की समाप्ति के बाद भी समापन समय के विस्तार की कोशिश की इच्छा नहीं/मांग नहीं करता, जबकि ऐसा संयोग नहीं उत्पन्न होना चाहिए। संविदा पर हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी समय से कार्यवाही नहीं करने का ब्यौरा पूछ सकता है। **(रेलवे बोर्ड का पत्रांक 99/CE-I/CT/28 (PT) दिनांक 17.05. 2004)**

उपरोक्त मदें केवल सांकेतिक हैं और कोई निर्णय लेने से पहले मूल परिपत्र, दिशानिर्देश और प्रक्रियाओं पर सलाह लेनी चाहिए।

For contract value upto Rs. 2 lakh - 10% of total value of the contract

For contracts valued above Rs. 2 lakh - 10% of first Rs.2 lakh and 5% of balance.

- Competent authority may also consider levying a token penalty, while granting extension to currency of a contract under clause 17B, as deemed fit based on the merit of case.

23.0 Termination of Contract under Clause 62 of GCC and procedure for revival: (Rly. Bd.'s No.99/CE.1/CT/28 dtd.24.5.2001)

- Details about the determination of contract owing to default of contractor are covered in Clause 62 of GCC.

Revival of contract after issue of 48 hours notice:

- Contract is alive till the final notice of termination is issued.
- Notice may be withdrawn, if contractor demonstrates his earnest interest to restart the work to satisfaction of competent authority.

Revival of contract after issue of termination notice:

- On issue of formal notice of termination, revival of contract even on same terms is possible only as a single tender.
- Due observance of all related orders is warranted.
- In case a contractor has not sought for extension in contract period and Railway has not taken action for terminating the same within the validity period, a notice, as per the prescribed proforma, claiming damages also for the failure on the part of the contractor should be issued to contractor who has not sought/ is not willing to seek extension in completion time even after expiry of the DOC. However, such contingency should not arise and contract signing authority may be asked to explain the reasons for not taking timely action. **(Rly.Bd.'s No. 99/CE-I/CT/28 (PT) dtd.17.5.2004)**

The above items are indicative only and original circular, guidelines and procedures should be consulted before taking any decision.

यातायात

- **अरविंद कुमार, के.एन.सहाय,** मुसतानि/यातायात
- **एस.एस.भी.प्रसाद, एस.के.सिन्हा,** मुसतानि/यातायात
- **अभय कुमार, संतोष कुमार,** मुसतानि/यातायात
- **सतीश कुमार, पंकज नयन,** मुसतानि/यातायात
- **एस.पी.पोद्दार, गोपाल कुमार,** मुसतानि/यातायात

1. अनारक्षित टिकट काउंटर जांच में पायी गई अनियमितताएँ :

(i) स्त्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर एक स्टेशन के अनारक्षित काउंटर पर कार्यरत बुकिंग क्लर्क की डिकॉय जांच की गई । जांच के दौरान काउंटर पर कार्य कर रहे कर्मचारी ने डिकॉय यात्री से द्वितीय श्रेणी मेल/एक्स. के तीन टिकटों के लिए अंकित मूल्य से 30/- रु. अधिक मांगा और स्वीकार किया जो कि उसके सरकारी धन से बरामद हुआ। उक्त कर्मचारी के पास से बिना रद्द किए गए 06 यात्रा टिकट जिनका कुल मूल्य 195/- रु. था, बरामद किए गए जो कि संभवत: पुन: बेचने के लिए रखे गए थे। इसके साथ-साथ उक्त कर्मचारी के सरकारी धन में 78/- की अधिकता भी पायी गई।

(ii) अनारक्षित टिकट काउंटर पर सतर्कता दल पूर्व मध्य रेल के निवारक जांच के क्रम में कार्यरत बुकिंग क्लर्क के काउंटर से सरकारी धन में रु. 1138/- की अत्यधिकता पायी गई । इण्टरमीडिएट समरी आधार पर कार्यरत बुकिंग क्लर्क के सरकारी धन रु. 139277/- होना चाहिए परंतु कार्यरत बुकिंग क्लर्क ने सरकारी धन के रूप में रु. 140415/- प्रस्तुत किया । इस प्रकार, सरकारी धन में रु. 1138/- अत्यधिक पाए गए।

(iii) बुकिंग ऑफिस के अनारक्षित टिकट काउंटर पर सतर्कता दल/पूर्व मध्य रेल के द्वारा किए गए निवारक जांच के दौरान कार्यरत बुकिंग क्लर्क को उसके सरकारी धन एवं निजी धन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया । बुकिंग क्लर्क ने सिस्टम से जारी डीटीसी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी धन रु. 66275/- के विरुद्ध वास्तव में रु. 67320/- सरकारी धन प्रस्तुत किया । इस प्रकार, उसके सरकारी धन में रु. 1045/- की अधिकता पायी गई । साथ ही साथ बुकिंग क्लर्क द्वारा सिस्टम में घोषित रु. 121/- निजी धन के विरुद्ध शून्य निजी धन था । उक्त कर्मचारी सरकारी धन में पायी गई अधिक रकम के बारे में कोई

TRAFFIC

- **Arvind Kumar, K.N.Sahay,** CVI/Traffic
- **S.S.V.Prasad, S.K.Sinha,** CVI/Traffic
- **Abhay Kumar**, **Santosh Kumar,** CVI/Traffic
- **Satish Kumar, Pankaj Nayan,** CVI/Traffic
- **S.P.Poddar, Gopal Kumar,** CVI/Traffic

1. Irregularities found in UTS Counter checks :

(i) On the basis of source information, a departmental decoy check was conducted at the UTS counter at a station. During the check, the staff manning the counter demanded and accepted Rs.30/- more than the actual/printed fare for three (03) IInd M/E tickets from the decoy passenger and the same was recovered from his Govt. cash. Further, 06 uncancelled UTS tickets of collective value of Rs.195/- were also found lying inside the counter under his possession. The tickets were possibly for the purpose of resale. In addition to this, Rs.78/- in excess was detected in the produced govt. cash of the staff.

(ii) During preventive check conducted by ECR/vigilance team at a booking office; it was detected that the govt. cash of on duty booking clerk of counter was Rs. 139277/- as per ITC but he physically produced Rs. 140415/- as his govt. cash. i.e. 1138/- found excess in his govt. cash.

(iii) During preventive check conducted by vigilance team/E.C.Rly at booking office; the booking clerk on duty was instructed to produce govt. cash as well as personal cash. The Booking clerk produced Govt. Cash as Rs. 67320/- against the DTC printed from the system as Rs. 66275/-. Hence Rs. 1045/- was found excess in his govt. cash. Same time he produced his personal cash as nil amount against his system declaration of Pvt. Cash Rs. 121/-. The staff failed to give reply against the detected

स्पष्ट जवाब देने में असफल रहा ।

(iv) सर्तकता दल द्वारा एक बुकिंग कार्यालय में की गई निवारक जांच के क्रम में कार्यरत बुकिंग लिपिक के सरकारी धन में रु. 810/– की अधिकता पाई गई। जाँच के दौरान उसके सरकारी धन जारी आई.टी.सी. के अनुसार रु. 87,400/– होना चाहिए जबकि उसने सर्तकता दल के सामने सरकारी धन रु. 88,200/– प्रस्तुत किए। कार्यरत बुकिंग लिपिक इस अधिकता के लिए कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण नही दे सका। अधिकता की राशि को सरकारी विविध आय में जमा किया गया।

2. जेटीबीएस की डिकॉय जाँच :

प्राप्त सूचना के आधार पर सतर्कता दल, पूर्व मध्य रेल द्वारा एक प्रमुख स्टेशन के जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक काउंटर पर डिकॉय जाँच का आयोजन किया गया । इस जाँच के दौरान जेटीबीएस एजेंट द्वारा यात्रियों से अतिरिक्त उगाही संबंधी गंभीर अनियमितता उजागार हुई है । उक्त जेटीबीएस एजेंट ने जयपुर स्टेशन के लिए द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस के 5 टिकट हेतु कुल 1600/– रु. मांगा एवं स्वीकार किया जबकि उक्त एक टिकट पर 315 रु. एवं 1 रु. अंकित था । इस प्रकार प्रति टिकट 4/– रु. अतिरक्ति की दर से कुल 20/– रु. अतिरक्त प्राप्त किए गए। उस एजेंट के काउंटर से कुल 1600/– रु. डिकॉय राशि बरामद की गई । यह कृत्य लंबी दूरी के यात्रियों से वास्तविक/अंकित किराए से अधिक राशि की उगाही स्वलाभ हेतु प्रदर्शित करता है।

इसी मामले की आगे की जाँच में अन्य अनियमितताएँ प्रकाश में आई, जो निम्नवत् है :-

- बिना प्राधिकार/मंडल की अनुमति के जेटीबीएस काउंटर का आवंटित स्थल से विस्थापित करना।
- उसी स्थल से निजी आईडी पर आरक्षित टिकटों को निर्गत करना।
- टिकट मिसमैच के कारण उत्पन्न लंबित बकाया राशि।
- जोनल मुख्यालय द्वारा जारी निरीक्षण शिड्यूल का मंडल द्वारा पालन नहीं किया जाना भी पाया गया । ऐसी निरीक्षण के नहीं होने से लंबी अवधि तक जेटीबीएस एजेंट अवैध क्रियाकलापों में लिप्त रहा।

इस मामले की गंभीरता का अवलोकन कर उक्त जेटीबीएस काट्रैक्ट को समाप्त करने एवं सभी अन्य जेटीबीएस के अनुबद्ध शिड्यूल के अनुरूप समुचित निरीक्षण को सुनिश्चित करने की अनुशंसा की गई।

excess amount in govt. Cash.

(iv) During another preventive check conducted by ECR/vigilance at booking office of station, it was detected that the govt. cash of on duty booking clerk as per ITC was Rs. 87,400/- but produced physically Rs. 88210/- as Govt. Cash. Thus, Rs. 810/- detected excess in his govt. cash. The same was deposited in sundry earning and he failed to give satisfactory clarification for the same.

2. Decoy Check of JTBS :

A decoy check was conducted by vigilance team/ECR based on source information at JTBS counter of a major station. During this check serious irregularity of overcharging passenger by JTBS agent was detected. The agent of JTBS had demanded, accepted Rs. 1600/- for 5 UTS tickets of JP in 2nd Mail/Express while Rs. 315/- + Rs. 1/- was printed on tickets hence he received Rs. 20/- excess in whole transaction i.e. Rs. 4/- extra per ticket. The same decoy money (Rs. 1600/-) was recovered from his counter. This clearly indicates that the agent of said JTBS realized excess amount against the actual/printed fare from the long distance passenger.

During investigation of the case, following further irregularities were found to have been committed by JTBS agent:

- Changing of allotted site of JTBS counter without authority/ permission of division.
- Running simultaneously of e-ticket counter issued on personal ID for reserved tickets.
- Pending outstanding dues on agent due to mismatch of ticket.
- Division has also not adhered to the schedule of inspection for JTBS as issued by zonal HQ. Absence of such checks has led to the JTBS agent indulging in such illegal practices over a period of time. Considering the gravity of case, Division has been recommended to consider termination of the contract & ensure proper inspections of all JTBS by divisional officials as per stipulated schedule.

3. एस.टी.बी.एस. काउंटर की कार्यप्रणाली में अनियमितता :

(i) एस.टी.बी.एस. काउंटर पर एक निवारक जांच की गई जिसमें ज्ञात हुआ कि एजेंट द्वारा टिकटों के रद्दीकरण एवं नॉन-इशुड की सही प्रक्रिया नहीं अपनायी जा रही थी जिसमें स्टेशन मास्टर/सहा. स्टे. मास्टर का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य था। स्टेशन अधीक्षक द्वारा एस.टी.बी.एस.एजेंट को अनुचित ढंग से पहचान पत्र निर्गत किया गया था। जाँच के दौरान यह पाया गया कि स्टेशन अधीक्षक द्वारा एक दूसरा अतिरिक्त पहचान पत्र एस.टी.बी. एस.एजेंट को जारी किया गया था जिसमें एजेंट का ''रेलवे स्टॉफ'' एवं ''गाड़ी में यात्रा का प्राधिकार'' अंकित था । इससे यह स्पष्ट था कि स्टेशन स्टॉक के द्वारा एक दोहरा पहचान पत्र एस.टी.बी.एस. एजेंट को जारी किया गया ताकि वह अनुचित सुविधा ले सके। संबंधित मंडल को सुधार हेतु सलाह दी गई ताकि एस.टी.बी.एस.एजेंट/संचालक को उचित पहचान पत्र निर्गत हो।

(ii) एक निवारक जांच एस.टी.बी.एस. काउंटर पर 16/24 पाली में की गई जिसमें कार्यरत ऑपरेटर ने अपने सरकारी धन रु. 2087/- के विरुद्ध, रु. 1990/- प्रस्तुत किया। इस प्रकार उसके सरकारी धन में रु. 97/- की कमी पायी गई। अपने पहचान के पक्ष में कार्यरत ऑपरेटर कोई भी पहचान पत्र नहीं दिखा पाया और दिशा-निर्देश के अनुसार ऑपरेटर का नाम स्टेशन काउंटर पर प्रदर्शित नहीं पाया गया। आगे अंवेषण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि स्टेशन अधीक्षक के निर्देश पर ऑपरेटर के द्वारा रोजाना रु. 100/- ठेके के सफाईवाला को दिया जाता था। ठेके की छः महीने की अवधि (पूरे ठेके की आधी अवधि) बीत जाने के बाद भी एस.टी.बी.एस. व उसके ऑपरेटर को पहचान पत्र जारी नहीं किया गया था। एन.आई. टिकटों का प्रलेखन भी नियमानुसार नहीं किए जा रहे थे। एस.टी.बी.एस. के खिलाफ उक्त मामले में कार्यवाही हेतु सलाह दी गई।

4. स्टेशन रोकड़ के सम्प्रेषण में पाई गई अनियमितता :

(i) स्टेशन आय के संरक्षक, उक्त स्टेशन के वाणिज्य अधीक्षक द्वारा जांच की तिथि से एक दिन पूर्व का स्टेशन कैश, जांच दल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वास्तविक स्टेशन कैश रु. 233805/- के विरुद्ध रु.165670/- मात्र प्रस्तुत किया गया अर्थात् स्टेशन कैश में रु. 68135/- की कमी उजागार हुई एवं यह भी सामने आया कि उक्त तिथि के स्टेशन कैश का मंडल कार्यालय को प्रेषण जानबूझ कर रोका गया था । यद्यपि स्टेशन में उपयोग योग्य कैश बैग समुचित संख्या में उपलब्ध था एवं नियमित गाड़ी में जांच की तिथि को टी.

3. Irregularity in working of STBS counter:

(i) A preventive check was conducted at STBS counter, where STBS agent failed to follow rule regarding cancellation & Non issued in which endorsement of SM/ASM on duty is necessary. I-card issued to STBS/staff by SS of station was also found improper. During check it was found that SS has issued a 2nd I-Card to STBS agent in which he was mentioned as "Railway staff" and with "authority to travel in train" which is against railway rules. In another ID issued by SS both these provisions of being railway staff with authority to travel did not exist. It was evident that station staff issued duplicate ID to provide undue privilege to STBS staff. Division advised for corrective measures for issue of proper I-Cards for STBS agents/operators.

(ii) A preventive check was conducted at STBS counter in the shift of 16/24 hrs. in which on duty operator produced Rs. 1990/- against his Govt. Cash of Rs. 2087/-. Thus Rs. 97/- found short in his Govt. Cash. He failed to produce any identity card to prove his bonafide and the name of operator was also not found displayed at station counter as per guideline. During further investigation, it was revealed that Rs.100/- was being paid to contractual safaiwala by the operator of STBS on daily basis from his govt. cash as per instruction of station superintendent. Further, I/Card was not issued to the STBS and his operator even after lapse of more than six months (half period of contract). Proper documentation of NI tickets cancelled by STBS operator was also not being done. Division has been advised for corrective action on the matter against STBS agent.

4. Irregularity in Remittance of Station Cash :

(i) The custodian of govt. cash i.e. Commercial Supervisor(CS) produced previous day cash before the Vigilance team. He produced Rs. 165670/- against station cash of Rs. 233805/- of previous day i.e. Rs. 68135/- short. Even though the Station cash was dropped in TC safe run on date of check and station

सी. सेफ का संचालन भी हुआ था, लेकिन पिछले दिन का कैश नहीं डाला गया था। वाणिज्य निरीक्षक, जिसने अपनी गलती स्वीकार की, सरकारी धन के गबन के लिए जिम्मेदार था।

(ii) रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार सर्तकता दल द्वारा इंटर जोनल चेक के दौरान एक स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में निवारक जांच की गई। निवारक जाँच के क्रम में अनारक्षित टिकट प्रणाली युक्त बुकिंग काउंटर पर कार्यरत बुकिंग लिपिक के सरकारी धन में रु. 510/– की अधिकता पाई गई। कार्यरत बुकिंग लिपिक ने सरकारी धन के रूप में रु. 22,905/– प्रस्तुत किये जबकि उसके द्वारा जारी की गई आई.टी.सी के अनुसार उसका सरकारी धन रु. 22395/– होना चाहिए था। जांच के क्रम मे यह पाया गया कि उक्त कर्मचारी को 16.00 से 24.00 बजे की पाली में कार्य करना था लेकिन 08.00 से 16.00 बजे की पाली में कार्यरत कर्मचारी के अनुरोध पर इस कर्मचारी ने 14.13 बजे सिस्टम में विधिवत लॉग इन कर कार्य प्रारंभ किया।

आगे जांच के क्रम में यह पाया गया कि 08.00 से 16.00 बजे की पाली में कार्यरत बुकिंग लिपिक 14.12 बजे सिस्टम से लॉग आउट किया तथा बिना अपने सरकारी धन को यथोचित प्रभार दिए ही बुकिंग कार्यालय छोड़कर चले गये, यहाँ तक कि उन्होने अपने पाली के सरकारी धन का रोकड़ सारांश भी नही बनाया। उस कर्मचारी द्वारा थैला में रखे गये उसके कुल सरकारी धन को सर्तकता दल के सामने उक्त स्टेशन के वाणिज्य पर्यवेक्षक के द्वारा गिना गया। कुल सरकारी धन वाउचर के साथ रु. 2,79,000/– रखा पाया गया जबकि उनके द्वारा जारी डी.टी.सी के अनुसार रु. 2,92,120/– होना चाहिये था। इस प्रकार उनके कुल सरकारी धन में रु. 13,120/– की कमी पाई गई। वाणिज्य पर्यवेक्षक के द्वारा रोकड़ सारांश (कैश समरी) बनाया गया, उसको इस कमी की कोई सूचना नही थी तथा इस कमी के बारे में पूर्ण अनभिज्ञता जताई।

5. पार्सल जांच के दौरान पायी गई अनियमितताएँ :

सितंबर, 2014 से अगस्त, 2015 की अवधि के दौरान पार्सल जांच के फलस्वरूप रु. 3422727/– का प्रभार उठाया गया जिसमें ट्रेन पार्सल सर्विस से रु. 5.30 लाख एवं शेष राशि लीज पार्सल के जांच से वसूली गई थी । कुछ मुख्य जांच निम्नवत है :–

(i) एक स्टेशन पर गाड़ी में लगे हुए 2 भी.पी.यू. में निर्धारित क्षमता से अधिक संख्या में सुअरों के लदे होने की स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर एक

had sufficient cash bags available, the cash of previous day was not dropped. CS, who accepted his fault, was responsible for misappropriation of govt. cash.

(ii) During Inter Zonal check conducted by the Vigilance team of ECR in Booking office of station, Rs. 510/- was detected excess in the govt. cash of on duty booking clerk performing duty at UTS counter. He produced Rs. 22905/- against the ITC generated of Rs. 22395/-. It was noticed that staff had to perform duty from 16.00 to 24.00 hrs but on request of staff of previous shift of 08.00/16.00 hrs he began duty after login at 14.13 hrs.

Further investigation revealed that on duty booking clerk of 08.00 to 16.00 hrs shift had left booking office after log out at 14.12 hrs without giving the proper charge of his govt. cash and even without preparing cash summary of his shift. All the cash kept by him in a bag was counted by commercial supervisor in presence of vigilance team. Total govt. cash including voucher was found kept as Rs. 2,79,000/- against the DTC cash of 2,92,120/-. In this way Rs. 13,120/- detected short in his total govt. cash. A cash summary regarding this was prepared by commercial supervisor, who showed complete ignorance about this shortage.

5. Cases of irregularity in Parcel Checks :

During the period Sept'14 to Aug '15, Rs 34,22,727 was raised and realized as undercharges from parcel related checks of which Rs 5.3lcs is from the checks conducted in train parcel service and remaining of the check of leased parcel spaces. Details of a few checks are as given below:

(i) A preventive check was conducted at an enroute station on source information that excess load in two VPUs loaded with

निवारक जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि दोनों भी.पी.यू. में पी.डब्ल्यु. बिल में घोषित और बुक की गई संख्या से ज्यादा संख्या में सुअरों का लदान किया गया है। चूंकि परेषण इतर रेलवे के लिए बुक था इसलिए संबंधित विजिलेंस को प्रभार वसूलने के लिए अनुशंसित किया गया। जांच के फलस्वरूप रु. 85750/– प्रभार के रूप में वसूल किया गया।

(ii) गाड़ी संख्या 12987 के सहायक गार्ड केबिन (AGC) में लीज पर लदे हुए समान की निवारक जांच की गई। सतर्कता दल ने स्टेशन पर मैनीफेस्ट के अनुसार 12 पैकेट, जिसका वजन 300 कि.ग्रा. था, के विरुद्ध में 12 पैकेज उतरा एवं उसका वजन पुर्नतोल 306 कि.ग्रा. था। फिर उस केबिन में उसका प्रतिनिधि ने एक दूसरा मैनीफेस्ट 'बी' स्टेशन के लिए दिखाया, जिसमें 50 पैकेज एवं निर्धारित वजन 990 कि.ग्रा. था, जिसके लिए उस स्टेशन पर कोई उतराई नहीं की गई। लीज पर उतराई को आगे अनुसरण करने पर पाया गया कि पार्टी द्वारा 'सी' स्टेशन पर 25 पैकेज उतारा गया, जिसका पुर्नवजन 493.5 कि.ग्रा. था जबकि मैनीफेस्ट में 35 पैकेज जिसका वजन 755 कि. ग्रा. लिखा था।

अत: सतर्कता दल को लीजधारक द्वारा गलत मैनीफेस्ट या बुकिंग स्टेशन द्वारा ज्यादा मैनीफेस्ट निर्गत करने की संभावना लगी, क्योंकि तीन मैनीफेस्ट का कुल निर्धारित 1000 कि.ग्रा. की जगह 2045 कि.ग्रा. पाया गया।

ऊपर के जांच के क्रम में, उसी गाड़ी के सहायक गार्ड केबिन में दूसरा निवारक जांच के क्रम में लीजधारक के प्रतिनिधि एवं सभी माल को पूर्व मध्य रेल के एक स्टेशन पर उतारा गया। उस दिन एक मैनीफेस्ट एक स्टेशन के लिए प्रस्तुत किया गया जिसमें 50 पैकेज एवं वजन 990 कि.ग्रा. अंकित था। जिसके विरुद्ध 100 पैकेज पाया गया एवं पुर्नतौल वजन 2368.8 कि. ग्रा. पाया गया और अप्रभार के रूप में रु. 75809/– (रु. 624/– स्थान शुल्क सहित) की रकम वसूली गई। संबंधित क्षेत्रीय रेल को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचना दी गई है।

pigs were attached with the train. It was found that both the VPUs were having more number of pigs loaded against declared and booked number and PW Bills. As the consignment was booked for station in another railway. concerned vigilance was advised to realize the undercharges. As a result of check Rs.85750/- was collected as undercharge for the excess number of pigs detected during the check.

(ii) A preventive check was conducted in train no. 12987 for leased consignment loaded in AGC. Vigilance team detected that 12 package weighing 306 kg unloaded at Station A against 12 packages with booked weight of 300 kg as per manifest. Further representative in AGC showed in a separate manifest of 50 packages for Station B with booked of weight 990 kg against which no unloading was done at that Station. Unloading from lease was pursued further & found that the Party unloaded 25 packages having re-weighment weight 493.5 kg. at Station C against manifest weight 755 kg for 35 packages.

Hence, vigilance team detected possibility of either false manifest of leaseholder or over issuing of manifest at booking station as the total booked weight as per all 03 manifests was 2045 kg against stipulated 1000 kg.

In continuation of the above check, another preventive check was conducted on the AGC of same train at E.C.Railway station wherein all the packages were unloaded along with detraining of the representative of leaseholder. On date one manifest was produced for one Station of weight 990 kg. for 50 packages. Against this total of 100 package weighing 2368.8 kg were detected & undercharge of Rs. 75809/- (including Rs. 624 as wharfage charge) was realized.

Advise of concerned railway as well as destination has been sent to monitor the lease as well as to ensure one manifest in which all destinations of unloading & details of weight etc are indicated so that the possibility of fraud & excess weight in leased space is ruled out.

(iii) गाड़ी संख्या 12569 के गार्ड लॉवी (AGC) एक टन का लीज तीन वर्षों के लिए अवधि 2013 से 2016 तक मंडल द्वारा करार पत्र पर आवंटित किया गया। निवारक जांच के अनुमत में अत्यधिक वजन लादने पर लीजधारक को अवधि जुलाई, 2014 से मई, 2015 के अंतर्गत पूर्व मधय रेल के सतर्कता दल द्वारा छः बार जुर्माना किया गया, जिसे मिलाने पर अधिाक वजन की कुल सात घटनाएं पायी गई।

करार पत्र के अनुसार गाड़ी संख्या 12569 के संविदा सक्षम अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया, साथ ही साथ सुरक्षा राशि जब्त करते हुए लीज के पंजीकरण को भी समाप्त कर दिया गया।

6. पैंट्रीकार स्टॉफ का अनियमित यात्रा :

एक निवारक जांच गाड़ी क्रमांक 12142 के पैंट्रीकार में स्टेशन 'ए' व 'बी' के मध्य किया गया। जांच के दौरान पैंट्रीकार मैनेजर के पास कोई एग्रीमेंट पेपर और किसी भी स्टॉफ का यात्रा प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं था। पैंट्रीकार मैनेजर ठेके की अवधि के संबंध में कोई वैद्य दस्तावेज नहीं दिखा पाया। यात्रा प्राधिकार नहीं होने के कारण, (21) पैंट्रीकार स्टॉफ पर कुल रु. 50820/– का फाइन लगाया गया जिसमें से केवल रु. 14520/– जमा किया क्योंकि पर्यवेक्षक के अनुसार उसके पास रु. 15000/– ही थे। संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को पैंट्रीकार ठेकेदार के खिलाफ शेष दण्डात्मक कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई है।

7. परिचालन कर्मचारी द्वारा रात्रि ड्यूटी भत्ता का गलत दावा :

गुप्त स्रोत से सूचना प्राप्त हुई कि एक स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा रात्रि ड्यूटी भत्ता का गलत दावा कर प्राप्त किया जा रहा है। इसकी जांच की गई तथा विगत एक वर्ष के स्टेशन मास्टर डायरी एवं उपस्थिति पंजिका के जांच में यह पाया गया कि संबंधित कर्मचारी उस स्टेशन पर अपनी पदस्थापना से रात्रि ड्यूटी भत्ता प्राप्त किया जा रहा है जबकि उसने लगातार दिन ड्यूटी अर्थात 8 बजे से 16 बजे की ड्यूटी की थी। उस स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज, मुख्य यार्ड मास्टर द्वारा उसके इस गलत रात्रि ड्यूटी भत्ता को मंडल कार्यालय को मस्टर रॉल में अग्रसारित करके भेजा जाता था।

8. ट्रेन जांच के दौरान पायी गई अनियमितता के मामले :

(i) विश्वस्त स्रोत से यह ज्ञात होने पर कि अमुक गाड़ी के चेकिंग स्टॉफ द्वारा

(iii) One tonne space in AGC of train no. 12569 in favour of leaseholder party for period of three years from 05.6.13 to 04.6.16 had been allotted by Division. Total of seven penalties due to excess weight had been imposed on the above mentioned lease holder during the period from 23.7.14 to 15.5.15 six of these checks were conducted by vigilance East Central Railway team. Accordingly, as per clause of the agreement, the lease contract of the aforesaid train no. 12569 has also been terminated. Security money has been forfeited on account of frequent punitive measures. In addition to the above, his registration has also been cancelled by the Division.

6. Irregular travelling of Pantry Car staff :

A preventive check has been conducted in Pantry car of Train no. 12142 in between station A and B. During the check, it was found that no agreement paper and travelling authority of any staff was available with Pantry car Manager. Contract awarded to M/s ABC Caterers but on duty Pantry car Manager failed to produce any valid paper for period of contract. In absence of proper travelling authority, total Rs. 50820/- imposed fine against (21) pantry car staff. But pantry car manager paid fine of Rs. 14520/- of six staff only as he stated that he had only Rs. 15000/-. Recommendation for remaining punitive action through letter was sent to concerned zonal railway against the pantry car contractor.

7. Wrong claim of NDA by operating staff :

On basis of source information regarding wrong claim of night duty allowance by a station master at a station; a check was conducted. Attendance register and station master diary of last one year was scrutinized and it was detected that the concerned staff was receiving night duty allowance since his posting at station although he worked continuously only in day duty i.e. 8.00 to 16 hrs. The station Incharge, CYM had been forwarding his wrong claim at night duty allowance giving endorsement in muster roll sent to the divisional office.

8. Cases of irregularity in Train Checks :

(i) Source information was received regarding excess realization

यात्रियों से द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस के टिकटों के स्लीपर क्लास में परिवर्तन में रेलवे द्वारा नियत भाड़ा से अधिक वसूला की जा रहा है। इस सूचना तथ्य के सत्यापन के लिए उक्त गाड़ी में सतर्कता जांच दल द्वारा एक डिकॉय जांच 'ए' से 'बी' स्टेशन के मध्य की गई। जांच में प्रतिनियुक्त डिकॉय यात्री से चेकिंग स्टॉफ ने जारी किए ई.एफ.टी में अंकित वास्तविक किराए से अधिक की मांग की और स्वीकार भी किया। उक्त स्टाफ ने ईएफटी ही रसीद जो रु. 292/- की थी को रु. 400/- देने पर यात्री को हस्तगत किया।

(ii) गुप्त स्त्रोत से सूचना प्राप्त हुई कि टिकट परीक्षक लिंक के दो स्टेशनों के बीच चार टिकट परीक्षकों की ड्यूटी के विरुद्ध पूरी गाड़ी में सिर्फ एक कर्मचारी जाता है जिसके फलस्वरूप ज्यादातर आरक्षित कोचों में टिकट जांच नहीं हो पाती है। लगातार की गई निवारक जांचों में यह पाया गया कि सतर्कता जांच के बाद अनुपस्थित टिकट परीक्षक 'सिक' में चले जाते थे तथा अपने पर्यवेक्षक को समय से सचूना भी नहीं देते थे। संबंधित लिंक के स्टॉफ की उपस्थिति एवं उनके द्वारा जमा किए जाने वाले ई.डी.आर की 2 माह की गहन जांच के फलस्वरूप यह पाया गया कि टीम के एक स्टॉफ ने 20 दिनों के उपस्थिति के विरुद्ध मात्र 7 दिन का ई.डी.आर. एवं एक अन्य स्टॉफ ने 10 दिनों की उपस्थिति के विरुद्ध मात्र 3 दिन ई.डी.आर. जमा किया था। डाउन दिशा में टीम के द्वारा साइनिंग ऑफ और ई.डी.आर जमा करने के नियम का पालन नहीं किया जाता था। ई.डी.आर और उपस्थिति पंजिका की इसी तरह की कई जांचों में पाया गया कि पूरी गाड़ी में केवल एक कर्मचारी जाता है जबकि कार्य हेतु नियमित रूप से एक से अधिक कर्मचारियों की टीम प्रतिनियुक्त किया जाता है। इस प्रकार पर्यवेक्षक और उसके टीम की संलिप्तता भी उजागर हुई। संबंधित मंडल तथा मुख्यालय को लगातार निगरानी तथा लिंक रोटेशन का सुझाव दिया गया है।

(iii) ट्रेन नं. 12365 के कोच सं. डी/7, 8 एवं 9 में स्टेशन 'ए' एवं स्टेशन 'बी' के मध्य सतर्कता दल, पूर्व मध्य रेल द्वारा संचालित निवारक जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं पायी गई। कार्यरत कोच कंडक्टर के पास सरकारी धन में 140/- रु. की राशि कम पायी गई। दो यात्रियों से लिखित शिकायत एवं 5 यात्रियों से मौखिक शिकायत प्राप्त हुई कि उक्त कोच कंडक्टर द्वारा टिकट नियमित करने का आश्वासन एवं सीट की उपलब्धता के बावजूद सतर्कता जांच के पूर्व उन्हें सीट आवंटित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, सतर्कता दल

by ticket checking staff against EFT amount from passengers holding Mail/Express II tickets & seeking conversion to SL Class. A decoy check was conducted in train no. 18182 between A to B stations to verify this fact. During the check in S/4 coach it was found the coach conductor for conversion of two Mail/ Express II tickets, demanded some excess money from the decoy passenger. He accepted Rs. 400/- from him against actual EFT value of Rs. 292 and handed over the EFT to decoy passenger thereafter.

(ii) Source information was received that only one checking staff are manning the trains between stations of TTE link in a group of 04 TTEs on regular basis. As result most coaches remained unmanned. Repeated preventive check were conducted and it was found that whenever check was conducted, absent TTEs generally reported sick later and did not give timely information to their supervisor. To assess the trend & frequency of their absence, study of their attendance and EDR submitted by the three TTEs of a link in UP direction for 2 month period was undertaken. It was found that one TTE marked attendance for 20 days but submitted EDR for 7 days and other one marked attendance for 10 days & submitted EDR for 3 only in UP direction. In DN direction procedure for signing off & EDR submission was not being followed by the group. During several such checks of EDR and attendance, it was found that the train was being manned by only one staff in a leg despite deputation of a group on regular basis. Hence the connivance with their team members & supervisor cannot be ruled out. Concerned division along with HQ has been asked to strengthen monitoring & rotation of staff links.

(iii) During a preventive check conducted by Vigilance team/ECR in D7, 8, 9 coach of Train no. 12365 between Station A & B, serious irregularities were detected. An amount of Rs. 140/- was detected as short in the Govt. cash of on duty coach conductor. 02 passengers made complaint in writing and 05 passenger orally that they were assured by coach conductor for regularization & seat allotment as seats were available but conductor had not allotted the same before Vigilance check.

के जांचोपरांत उन 7 यात्रियों को नियमित किया गया।

उसी ट्रेन के दूसरे कोच में वरीय टिकट परीक्षक बिना अपने सुपरवाईजर को बिना सूचित किए अपनी सौंपी गई ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए जिस कारण चार कुर्सीयान कर्मीदल रहित हो गए। कुल 13 यात्रियों से 1195/- रु. की वसूली कर उन्हें नियमित किया गया।

9. आरक्षित टिकट काउंटर जांच के दौरान पायी गई अनियमितताएँ :

(i) स्त्रोत सूचना के आधार पर एक आरक्षण कार्यालय में विस्तृत जांच आयोजित की गई। अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि एक आरक्षण लिपिक द्वारा एक ही सुविधा पास पर 14 बार आरक्षण किया गया। सुविधा पास का धारक/संरक्षक पास की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी आरक्षण लिपिक की संलिप्पता से आरक्षण करवाने के लिए जिम्मेदार पाया गया तथा कार्यरत टिकट निरीक्षक कर्मचारी की संलिप्तता में नियमित यात्रा भी पायी गई। टिकट निरीक्षक कर्मचारी उक्त पास को कार्य के दौरान नियमानुसार यथोचित रूप से जाँच नही करने के जिम्मेदार पाये गए तथा साथ ही उक्त पास पर पुनः आरक्षण करवाने हेतु अवसर पासधारक के लिए छोड़ गए।

(ii) एक 'ए' क्लास स्टेशन पर तत्काल आरक्षण टिकटों के बुकिंग के समय किए गए एक निवारक जांच के दौरान चार अवितरित तत्काल आरक्षण टिकट काउंटर से बरामद किए गए। साथ ही कार्यरत आरक्षण लिपिक के सरकारी धन में प्रारंभिक रूप से रु. 1840/- की कमी पायी गई । अवितरित आरक्षण टिकटों को उनके दावेदार सत्यापित यात्रियों को सौंपने तथा बकाया किराया की राशि की वसूली के उपरांत भी उक्त कर्मचारी द्वारा अंतिम रूप से सरकारी धन में रु. 820/- की कमी प्रस्तुत की गई।

उसी स्टेशन के दूसरे आरक्षण काउंटर पर एक अन्य निवारक जांच के दौरान कार्यरत आरक्षण लिपिक के सरकारी धन में रु. 3145/- की कमी पायी गई। उक्त कर्मचारी ने डी.टी.सी. की वास्तविक राशि रु. 61700/- के विरुद्ध रु. 58555/- प्रस्तुत किया था।

(iii) एक आरक्षण कार्यालय में निवारक जांच किया गया जिसमें पांच तत्काल का यात्रा सह आरक्षण टिकट अवितरित पाए गए। प्रारंभ में डीटीसीएस की रकम रु. 24524/- के लिए मात्र रु. 13170/- सरकारी धन के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस तरह से रु. 11355/- सरकारी धन में कम प्रस्तुत किया गया। फिर पांच टिकट का निष्पादन करने पर, अंततः सरकारी धन में रु. 945/- की

As a result total 07 passengers were regularized and revenue collected on behest of vigilance team.

In the same train during check of an other coach, Sr. TE concerned was found absent from his assigned duty without information to his supervisor resulting four CC coaches an unmanned. Total 13 passengers were regularized in one of his assigned coaches and Rs. 1195/- was realized from them.

9. Lapses detected during PRS checks :

(i) Based on source information a detailed check was organized at a PRS Location and during investigation it was detected that reservation on one privilege pass was made 14 times by an ECRC. Custodian of pass was found responsible for making reservation even after expiry of its validity in connivance with ECRC and undertake journey in connivance with duty checking staff. Checking staff was found responsible for not checking the said pass properly and left the path for next reservation.

(ii) In a preventive check conducted during TATKAL Hrs. at a station PRS counter of A class station, four undelivered TATKAL JCRTs were recovered from one counter, and initial shortage of Rs. 1840/- in his govt. cash was produced by the Reservation clerk. He produced Rs. 81450/- as his govt. cash against the DTCS printed at 10.21 Hrs. showing actual govt. cash of Rs. 83290/-. After handing over of ticket to claiming passenger and realization of Railway due from them. The Reservation clerk finally produced Rs. 820/- short in his Govt. Cash.

In another counter checked at the same station simultaneously, on duty ECRC produced Rs. 58555/- as govt. cash against DTCS amount Rs. 61700/-. Thus the on duty ECRC produced Rs. 3145/- as short in Govt. Cash.

(iii) A preventive check was conducted in PRS office in which five undelivered TATKAL JCRTS were detected at counter. On initial check, Rs.13170/- was produced as govt. cash against DTCS amount Rs. 24524/-. Thus he produced Rs. 11355/- as short in govt. cash. Further, on disposal of five JCRTs, a final shortage

कमी पायी गई । साथ ही पीआरएस स्टेशनरी में मिसमैच भी पकड़ा गया। कार्यरत कर्मचारी ने संतोषजनक स्पष्टीकरण अनियमितता के संबंध में नहीं दे पाए।

(iv) सतर्कता दल द्वारा आरक्षण कार्यालय में किए गए निवारक जांच के दौरान कार्यरत आरक्षण लिपिक के सरकारी धन में रु. 15/– की अधिकता पायी गई। डीटीसी के अनुसार कार्यरत लिपिक का सरकारी धन रु. 7685/– था जबकि उसके द्वारा सरकारी धन के रूप में रु. 7700/– प्रस्तुत किया गया। साथ ही कार्यरत लिपिक के काउंटर पर दो यात्रा सह आरक्षित टिकट जो कि उसके द्वारा प्राथमिकता में क्रम सं. 1 तथा क्रम संख्या 2 पर क्रमशः 08.00 बजे तथा 08.01 पर जारी किया गया था, रखे पाए गए। कार्यरत आरक्षण लिपिक ने इसे स्वयं के लिए जारी करना स्वीकार किया। दोनों टिकटों को स्पेशल निरस्त कर वापस हुई राशि को विविध आय में जमा किया गया।

10. स्टेशन के टिकट संग्राहक कार्यालय में जांच :

(i) एक निवारक जांच में टिकट संग्राहक कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी के निजी धन में रु. 80/– अधिक पाया गया। इसी जांच में उस स्टेशन के विश्रामालय की जांच विश्रामालय बुकिंग रजिस्टर के साथ वास्तविक रूप से की गई और यह पाया गया कि रूम संख्या 12 में टिकट संग्राहक पाली इंचार्ज द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना बुकिंग के एक व्यक्ति को रहने की अनुमति दी गई थी। उस अनधिकृत व्यक्ति से जांच क्रम में किराए की राशि रु. 450/– जमा कराया गया।

(ii) टिकट संग्राहक कार्यालय में पूर्व मध्य रेल के सतर्कता दल द्वारा जांच क्रम में कई प्रकार की अनियमितता पायी गई जैसे (सरकारी धन को विलंब से जमा करना, सरकारी धन को कम जमा करना, निजी धन को ईएफटी के पन्ने अथवा उचित स्थान पर नहीं दर्शाना। आगे की जांच में पाया गया कि कर्मचारी के पास प्राप्त ई.एफ.टी के अनेक पन्नों पर भिन्न–भिन्न लिखावट में अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त टिकट जारी किया हुआ पाया गया।

11. कोयला साइडिंग से संबंधित विलंब शुल्क के छूट में पायी गई अनियमितता:

of Rs. 945/- detected in Govt. Cash. As well as there was mismatch detected in PRS stationary of the counter clerk. Staff did not have a reasonable explanation for the irregularity.

(iv) A preventive check was conducted at PRS terminal during which it was found that the Govt. cash of on duty reservation clerk as per DTC was Rs. 7685/- but he physically produced Rs. 7700/- as his Govt. Cash i.e. Rs. 15/- found excess in his Govt. Cash. Two undelivered JCRTs issued on 1st & 2nd place was also found at his counter, which was generated by him from inside the reservation office at 08.00 and 8.01 hrs respectively, which he accepted for his self interest. Both JCRTs were special cancelled and the refunded amount deposited vide money receipt.

10. Station Checks of TC Office :

(i) A preventive check was conducted at TC office, in which staff working was detected having 80/- excess in his private cash. Retiring Room at station was also checked physically with Retiring Room booking register and found that one person was allowed in Room No. 12 by TC/shift incharge unauthorisedly without booking. The person was charged on instruction of Vigilance team and due amount of 450/- was collected.

(ii) A preventive check conducted at TC office on the deputed staff. During check a no. of irregularities like late deposition of govt. cash, shortage in govt. cash, non declaration of private cash by a Ticket Checking staff etc were detected. Further investigation revealed that EFT book in his custody had several the foils prepared in different handwritings indicating that he allowed unauthorized persons to use his EFT book.

11. Irregular dealing of waiver of demurrage bills of coal siding:

कोयला साइडिंग से संबंधित विलंब शुल्क में दिए जाने वाली माफी के मामले में एक निवारक जांच मंडल कार्यालय में की गई जिसमें पाया गया कि इस मामले में अपनायी गई प्रक्रिया रेलवे बोर्ड रेट सर्कुलर सं. 39/2004 में दिए गए निर्देशों से भिन्न है। जांच में निम्न अनियमितताएं मिलीं :-

- विलंब शुल्क में माफी हेतु आवेदन का वार्षिक निष्पादन किया जाना पाया गया जबकि उपरोक्त सर्कुलर के अनुसार इसे मासिक आधार पर होना चाहिए।
- अधिकारियों के बिना विलंब माफी के आवेदन पर विचार भी किया।
- प्रारंभिक माफी तथा उसकी अपील जिस पर अधिकारियों द्वारा विचार किया गया वह एसओपी के अनुसार नहीं पायी गई।
- कंपनी द्वारा विलंब शुल्क की राशि जमा किए बिना ही दिए गए आवेदनों पर माफी हेतु विचार किया गया।
- जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ साईडिंग में विलंब शुल्क की राशि जो वर्ष 2011 में से आकलित नहीं हुई थी।

मंडल कार्यालय को इस संदर्भ में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने तथा इस प्रकार के भिन्न गतिविधियों को सही करने हेतु निर्देश दी गई है तथा सभी बकायों का वसूली अविलंब करने हेतु निर्देश भी दिए गए हैं।

सच है, विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है,
सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते,
विघ्नों को गले लगाते हैं, काँटों में राह बनाते हैं,
मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।

- दिनकर

A preventive check was conducted at a divisional office regarding waiver of demurrage charges raised in coal sidings. During check it was found that the process of dealing with such waiver cases was in variance with Railway Board norms laid down in Rate Circular 39/2004 which was attributable to practice and convenience by the concerned authotities. Following irregularities were observed:

- Application for waiver of Demurrage Charge is being processed on yearly basis whereas as per said circular it should be submitted by the companies on monthly basis.
- The said application is being entertained without condonation of delay by the competent authority.
- Initial waival as well as its appeal is being granted by officers without observing competency of sanction as per SOP.
- Waiver of Demurrage Charge is being entertained without deposit of the charges by the companies.
- It was also observed that the amount of Demurrage Charges is yet to be raised from some of the sidings since 2011.

Division is being advised to take corrective measures to set right the deviant practice and ensure realization of all the dues and outstanding at the earliest.

"The best and the only right course
Would be for the public to prevent
Actual corruption from taking place.
By maintaining a sleepless vigilance,
And for the servant to keep the Public
on the qui vive."

-Mahatma Ghandi

लेखा एवं कार्मिक

- **श्री अमूल कुमार सिंह,** मुख्य सतर्कता निरीक्षक/लेखा
- **श्री कुमार ज्ञानजीत,** मुख्य सतर्कता निरीक्षक/लेखा
- **श्री राहुल आनंद,** मुख्य सतर्कता निरीक्षक/लेखा
- **श्री संजय कुमार,** मुख्य सतर्कता निरीक्षक/कार्मिक
- **श्री हरेन्द्र सिंह,** मुख्य सतर्कता निरीक्षक/कार्मिक

1. जालसाजी तरीके से अनुकंपा के आधार पर रेलवे में नियुक्ति प्राप्त करने के संबंध में

एक रेलवे कर्मचारी 'x' के विरुद्ध प्राप्त परिवाद में आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा रेलवे में दूसरे के नाम पर/नाम बदलकर नौकरी किया जा रहा है। जाँच के दौरान यह पाया गया कि 'x' की नियुक्ति के संबंध में जाँच के लिए मंडल द्वारा पहले से ही एक कर्मचारी कल्याण निरीक्षक नामित किया गया था। कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा सौंपे गये रिपोर्ट में यह बताया गया कि श्गश्ए पिता स्वर्गीय 'y', की नियुक्ति रेलवे में अनुकंपा के आधार पर उनके पिता 'y' की मृत्यु के पश्चात् हुई।

आगे परिवादी द्वारा लिखित में यह सूचित किये जाने पर की 'y' जीवित हैं, मामले की जाँच के लिए सिविल प्राधिकार को भेजा गया। इस मामले में संबंधित थाना द्वारा जाँच किया गया एवं जाँच परिणामों में यह पाया गया कि 'y' जीवित है। जाँच परिणामों यह भी पाया गया कि 'X' 'Y' के पुत्र नहीं है। 'x' के पिता का नाम स्वर्गीय 'z' है जिनकी मृत्यु 1976 में हो गयी है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित कर्मचारी कल्याण निरीक्षक जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा 'x' की नियुक्ति के संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिए नामित किया गया था, वे संबंधित पहलुओं की सत्यता का पता लगाने में असफल रहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये, यह पाया गया कि 'x' द्वारा रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति फर्जी एवं जालसाजी तरीके से प्राप्त किया गया।

Accounts & Personnel

- **Amul Kumar Singh,** CVI (A)
- **Kumar Gyanjeet,** CVI (A)
- **Rahul Anand,** CVI (A)
- **Sanjay kumar,** CVI (P)
- **Harendra Singh,** CVI (P)

1. Getting appointment in railways on compassionate ground by adopting forgery/fraudulent activity

During investigation of a complaint against a staff 'X' with allegation that the said staff is doing his job in Railways through impersonation and imposture, it was observed that a Staff Welfare Inspector (SWI) was already nominated by the division for enquiry in the matter of appointment of 'X'. The enquiry report submitted by the said SWI revealed that 'X' S/o Late 'Y' has been appointed in railway on Compassionate ground after death of his father 'Y'.

Further, on receipt of information in writing from complainant that 'Y' is alive, the civil authority was requested to get the matter enquired and to confirm the outcome/findings of the same. The findings of enquiry done by concerned Police Station as communicated to this office in the matter in question revealed that 'Y' is alive. It was also found in said findings that 'X' is not the son of 'Y'. The name of his father is Late 'Z' who expired in 1976. This clearly indicates that concerned SWI failed to disclose the facts/genuineness about appointment (on Compassionate ground) of 'X' as assigned by the competent authority. In view of this, it was found that 'X' S/o 'Y' secured appointment in railways on compassionate ground by adopting forgery/fraudulent activity.

उपरोक्त कदाचार के मामले में अनुवर्ती आवश्यक कारवाई की गयी है।

2. बाहरी व्यक्ति द्वारा रेल आवास का अनाधिकृत कब्जा

एक बाहरी व्यक्ति द्वारा लगभग 20-22 वर्षों से इस रेलवे के एक मंडल में स्थित रेल आवास का अनाधिकृत कब्जा के संबंध में परिवाद की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि रेंटरॉल के अनुसार संबंधित रेल आवास 'x' नाम के एक रेल कर्मचारी द्वारा दिसम्बर 1997 में 'A' द्वारा खाली किये जाने की स्थिति में कब्जे में लिया गया था। आगे, उक्त रेलवे आवास के प्रवेश द्वार पर 'y' व्यक्ति का नाम लिखा पाया गया। साथ ही यह पाया गया कि यह आवास 'x' की सहमति से, जो कि उन्हें आवंटित था, एक बाहरी व्यक्ति 'y' के कब्जे में है । इस संबंध में रेल कर्मचारी 'x' द्वारा यह कहा गया कि 'y' उनके बहनोई हैं एवं पिछले 1-2 वर्षों से रेल आवास में उनके साथ रह रहे हैं, जिसके लिये उनसे कोई किराया नहीं लिया जाता है। रेल आवास के प्रवेश द्वारा पर 'y' व्यक्ति का नाम लिखा होना, 'x' के कथन को गलत साबित करता है। इस प्रकार संबंधित रेल आवास में बाहरी व्यक्ति 'y' की उपस्थिति की पुष्टि की गई। इस प्रकार, 'x' को रेल सेवा (आचारण) नियम 1966 के पैरा 15 (A) (I) के साथ-साथ IREM-II के पैरा 1712 (a) में वर्णित अनुदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया।

3. आवास-भत्ता के भुगतान एवं आवास किराया इत्यादि की कटौती में अनियमितता के संबंध में

एक मंडल में निवारक जाँच के दौरान यह प्रकाश में आया है कि कुछ कर्मचारियों को आवास-भत्ता का लगातार भुगतान किया जा रहा था एवं साथ-साथ उनके वेतन से आवास किराया, बिजली बिल एवं पानी शुल्क इत्यादि की भी कटौती की जा रही थी। अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि संबंधित कर्मचारी के पक्ष में रेल आवास आवंटित था एवं रेल आवास आवंटन की अवधि के दौरान कर्मचारी को आवास-भत्ता का भी भुगतान किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि कुछ कर्मचारियों के वेतन से आवास किराया, बिजली बिल एवं पानी शुल्क इत्यादि की कटौती मनमाने तौर से की जा रही थी।

यह भी ज्ञात हुआ कि कुछेक मामलों में आवास किराया इत्यादि की कटौती उन कर्मचारियों के वेतन से नहीं की जा रही थी जिन्हें रेल आवास

Appropriate necessary action have been initiated in above case.

2. Unauthorized occupation of a railway quarter by an outsider.

During investigation of a case regarding unauthorized occupation of a railway quarter by an outsider/non railway person for 20-22 years a division of E.C.Railway, it was found that as per rent roll the said railway quarter was under occupation by railway staff 'X' since Dec'97 after vacation of the same by 'A'. Further, the name of a person named 'Y' was found written on the entrance of the railway quarter. It was found that 'X' had allowed the railway quarter allotted to him to be occupied by 'Y' (an outsider). 'X', the Railway employee, mentioned that 'Y' was his brother-in-law and had been residing with him for last 1-2 years for which he was not charging any rent. The name 'Y' written at the entrance, however, belied this statement of 'X'. This, however, confirms the presence of 'Y' (an out sider/non railway person) in the said railway quarter. 'X', therefore, had allowed the railway quarter allotted to him to be occupied by 'Y' (an outsider) in violation of Rule 15(A)(1) of Railway Services (Conduct) Rules, 1966 as well as provisions contained in Para 1712(a) of IREM-II.

3. Irregularity in payment of HRA & non-deduction of quarter-rent etc.

During preventive-check in a division of EC Rly, vigilance team detected several irregularities in payment of HRA, deduction of quarter rent and other similar deduction from salary of staff. During investigation of the check, it was noticed that Rly. Quarter was also allotted to an employee as well as the HRA was being paid to him, during the period in which Rly. Quarter was allotted to him. It has also been noticed that quarter-rent, electricity-charges, water-charges etc. were also not deducted regularly from employee's salary, rather it was deducted in a arbitrary manner.

In some cases, it has also been noticed that quarter-rent etc. was not deducted from the salary of the employee in favour of

आवंटित था। कुछेक अन्य मामलों में यह भी ज्ञात हुआ कि आवास किराया, बिजली बिल, पानी शुल्क इत्यादि की कटौती वैसे कर्मचारियों के वेतन से भी की जा रही थी, जिनके पक्ष में कोई रेल आवास आवंटित ही नहीं था।

इस मामले में दोषी कर्मचारियों का दायित्व निर्धारण कर आगे की कार्यवाही के लिए अनुशंसा की गयी है।

4. वर्ष 2014-15 के लिये खेल-कूद कोटा के अंतर्गत हुई नियुक्तियों में अनियमितता के संबंध में

एक मंडल में खेल-कूद कोटा के अंतर्गत हुई नियुक्तियों में अनियमितता के संबंध में निवारक जाँच की गयी। जाँच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संबंधित चयन में Screening Committee, Trial Committee एवं Recruitment Committee के स्तर पर अनियमिततायें हुई हैं।

जाँच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि प्राप्त आवेदनों की छंटाई/जाँच का कार्य एक सदस्यीय Screening Committee जिसमें क्रीड़ा पक्ष की ओर से एक सहायक क्रीड़ा अधिकारी नामित थे, के द्वारा किया गया है, जबकि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-2010/E(Sports)/4(1)/1(Policy) नई दिल्ली, दिनांक 31.12.10 के पैरा 8.2.7 के अनुसार आवेदनों की छंटाई/जाँच का कार्य दो सदस्यीय Screening Committee के द्वारा किया जाना है, जिसमें एक सदस्य कार्मिक विभाग की ओर से एवं एक सदस्य क्रीड़ा पक्ष की ओर से नामित होंगे। संबंधित चयन के Selection File की जाँच के दौरान यह भी ज्ञात हुआ है कि एक अभ्यर्थी का Playing Member Certificate, Selection File में उपलब्ध नहीं था, किन्तु फिर भी उसे Trial में शामिल होने की अनुमति दे दी गयी, जबकि आर.बी.ई संख्या-10/2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने अपने क्रीड़ा दक्षता एवं मान्यता प्राप्त खेल टूर्नामेंटों में अपने शामिल होने का Playing Member Certificate जमा नहीं किया है, उन्हें Trial के दिन अपना Certificate जमा करने के लिये कहा जा सकता है, जिसमें असफल होने की स्थिति में उन्हें Trial में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उसी प्रकार, Recruitment Committee के द्वारा तैयार किये

which Rly. quarter was allotted, whereas, in other cases, it was noticed that quarter-rent, electricity-charges, water-charges, etc. were deducted from the salary of the employees, to whom no Rly. Quarter was allotted during that period.

After detailed investigation, responsibility for such lapses has been fixed and corrective measures have been advised. The division was also advised to ensure the recovery of the over-payment amount from the concerned employees.

4. Irregularity in selection of candidates under the Sports quota in the year 2014-15

A preventive check was conducted by vigilance team of EC Rly in a division on the aspect of the selection of candidates under the Sports quota in the financial year 2014-15, during which irregularities were noticed at different levels during selection process.

It has been noticed that the scrutiny of the applications received in the division for recruitment against the sports quota has been done by a single member committee consisting of only one Assistant Sports Officer, whereas, as per Para 8.2.7 of Rly. Bd's letter no- 2010/E(Sports)/4(1)/1 (Policy) New Delhi, dated 31.12.10, the screening of applications is to be done by a committee of two members, one a Personnel Officer and other a Sports Officer. It was also noticed that the playing member certificate of one candidate was not available in the selection file and he was allowed to appear in the trial, whereas, as per the instructions issued vide RBE No-10/2014, the applicants who have not submitted the certificates for his/her recognized sports achievement in team game may be asked to submit the same before the day of trial and in the case of failure of such certificate, candidate should not be allowed to appear in the field trial. Similarly, few other factual and procedural mistakes have been

गये Minutes of Proceedings में कुछ तथ्यात्मक एवं प्रक्रियागत खामियाँ पायी गयी हैं, जिन्हें टाला जा सकता था यदि Recruitment Committee के सदस्यों द्वारा अपने कार्य का निवर्हन सावधानीपूर्वक एवं सतर्कता के साथ किया गया होता।

संबंधित चयन में यह भी देखा गया है कि मुख्यालय के कार्मिक विभाग के द्वारा Trial की तिथि का निर्धारण Trial की तय तिथि से सिर्फ 15 दिनों पूर्व किया गया था, जबकि आर.बी.ई संख्या-189/2010 के पैरा 8.2.8 में दिये गये निर्देशों के अनुसार संबंधित अभ्यर्थियों को Trial के लिये प्रवेश-पत्र Trial की निर्धारित तिथि से कम-से-कम 20 दिनों पूर्व प्रेषित कर दिया जाना चाहिये था। योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र देरी से निर्गत किये जाने से चयन की खुली प्रतियोगिता की सार्थकता पर प्रश्नचिह्न लगता है एवं इसके कारण अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों के Trial में शामिल होने की संभावना भी क्षीण होती है। देरी से प्रवेश-पत्र निर्गत किया जाना Trial में योग्य अभ्यर्थियों की कम उपस्थिति का एक प्रमुख कारण हो सकता है।

5. फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर रेल में नियुक्ति प्राप्त करना

एक परिवाद में परिवादी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति द्वारा रेल में नौकरी प्राप्त करने हेतु फर्जी प्रमाण-पत्र का सहारा लिया और फर्जी तरीके से रेल में ग्रुप-डी की नौकरी प्राप्त की।

इस केस के अनुसंधान में यह पाया गया कि आरोपी ने रेल में नियुक्ति के समय जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था, उसमें उसका जन्मतिथि अक्टूबर 1965 तथा कक्षा नवम् वर्ग उत्तीर्ण दर्ज था। इसी प्रमाण-पत्र के आधार पर उसे अक्टूबर 1990 में एजवी खलासी के पद पर नियुक्ति किया गया तथा उन्हें अस्थायी दर्जा फरवरी 1991 से दिया गया। परन्तु, सरकारी स्कूल 'X' के प्रधानाचार्य के पत्र द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गयी कि उक्त व्यक्ति ने मैट्रिक की परीक्षा वर्ष 1970 में दी है, जिसमें उनका जन्मतिथि जनवरी 1954 है। परन्तु संबंधित कर्मचारी के द्वारा रेल में नियुक्ति के समय इस अहम तथ्य को छिपाया गया तथा उसने अपना जन्मतिथि अक्टूबर 1965 तथा नवम् वर्ग उत्तीर्ण दर्ज करवाया। आगे के अनुसंधान के क्रम में

noticed in the minutes of proceedings prepared by the recruitment committee, which could have been avoided, had the recruitment committee been careful and vigilant towards discharge of its duty.

In the said selection, it has also been noticed that the date of trial was fixed by the P-Branch of HQ only 15 days prior from the date of scheduled trial, whereas, as per Para 8.2.8 of RBE No-189/2010, the call-letters should be issued to the applicants by P-Branch at least 20 days before the date of trial. The late dispatch of the call-letters to the eligible candidates destroys the objective of the open advertisement and it also hampers the presence of eligible candidates in the trial. The less period before scheduled trials may be attributed as the reason behind the low presence of eligible candidates in the trial.

5. Appointment in Railway through fake certificate:-

In a complaint case, it was alleged that a person had managed to get appointment in Gr.D post in Railway through the fake certificate.

In this case it is found that the concerned staff had produced document at the time of his appointment in which his DOB was mentioned as Oct'1965 and that he was a class 9 passout. This certificate was used for his appointment in Oct'1990 on the post of Substitute Khalasi in a division and got temporary status from Feb'1991. During investigation in this case, the Principal of a State run School 'X' informed that the said person has appeared Matric Exam in 1970 and had DOB as Jan'1954. It was revealed that the person had deliberately concealed this fact and got appointment by mentioning DOB as Oct'1965 in Railway on the basis of a certificate from a different School 'Y'. But during investigation the Principal of said School 'Y' informed that the concerned transfer certificate was not issued in the name of

राजकीय विद्यालय 'Y' द्वारा यह सूचना दी गयी है उनके विद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र पर संबंधित कर्मचारी का नाम नहीं है। अत: विद्यालय द्वारा प्रेषित किये गये पत्र से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि आरोपी के द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया गया प्रमाण-पत्र भी फर्जी है।

उपरोक्त प्रकरण से स्पष्ट हो जाता है कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से रेल में अधिक दिन तक नौकरी करने के लिये नियुक्ति के समय अपने वास्तविक जन्मतिथि जनवरी 1954 को रेल प्रशासन से छिपाया तथा फर्जी प्रमाण-पत्र के सहारे अपना जन्मतिथि अक्टूबर 1965 दर्ज करवाया। यदि वो नियुक्ति के समय अपना वास्तविक जन्मतिथि जनवरी 1954 दर्ज कराता तो उनकी सेवानिवृत्ति जनवरी 2014 को ही हो जाती, परन्तु आज की तारीख में वह रेल में कार्य कर रहे हैं तथा सेवा-पुस्तिका में दर्ज किये गये फर्जी जन्म तिथि अक्टूबर 1965 के आधार पर रेल सेवा में बने हुए हैं।

6. कर्मचारी के मृत्यु के उपरान्त भी दो माह से अधिक समय तक वेतन बनाना एवं कर्मचारी के अनुपस्थिति के बावजूद वेतन बनाना

एक मंडल में निवारक जाँच में पाया गया कि संबंधित यूनिट द्वारा कर्मचारी की मृत्यु होने के बावजूद लगभग दो माह से अधिक समय तक मृत कर्मचारी के पक्ष में वेतन बनाया गया जिसे संबंधित लेखा विभाग से भी पारित किया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि यूनिट द्वारा कुछ कर्मचारियों की पूरे माह की अनुपस्थिति के बावजूद उसके पक्ष में उस अवधि का वेतन बनाया गया है जिसे संबंधित लेखा विभाग से पारित भी किया गया।

इस केस में जाँच के दौरान पाया गया कि संबंधित वेतन लिपिक को कर्मचारी की मृत्यु की सूचना मस्टर रॉल में दर्ज कर समय से प्राप्त करायी गई थी साथ ही यह भी पाया गया कि अनुपिस्थित कर्मचारी का भी अनुपस्थिति दर्शा कर मस्टर समय से उसे प्राप्त करायी गई थी फिर भी उसके द्वारा उक्त मामलों में वेतन बनाया गया। इस मामले में यह भी पाया गया कि उस यूनिट के सुपरवाईजर को भी कर्मचारी की मृत्यु की जानकारी थी परन्तु उसके द्वारा भी बिल पर हस्ताक्षर करते समय इसे चेक नहीं किया गया।

said person. Thus on the basis of information provided by the school, it has been established that the accused had managed to get appointment on the basis of forged school certificate.

From the above fact it is established that the accused has concealed his original DOB to obtain and retain the Railway job. There was malafide of CO with prior planning and ill intention to produce fake certificate at the time of his appointment. Had he mentioned original DOB Jan'1954 at the time of his appointment he would have superannuated on Jan' 2014, but due to forged certificate he is in service till date.

6. Salary drawn in favour of absent employee & dead employee.

During a preventive check in a division, it has been found that the concerned bill unit prepared salary of a dead employee even after two month of the death of employee which was also passed by accounts. It has also been found that some employees were absent for full month but their salary was prepared for the period.

During investigation it has found that information of death of employee was available with concerned pay clerk through muster roll as well as remarks for absence of staff was also reflected on the muster roll. However, the concern pay clerk had not done scrutiny before preparation of salary bill. Also his Supervisor had not taken care before signing the above salary bill. Thus, it was been found that overpayment of approx Rs. 98000/- was made by concerned bill unit wrongly.

वेतन लिपिक सुपरवाइजर के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है, साथ ही लगभग 98000/- रुपये की अधिक भुगतान की कटौती सुनिश्चित करने हेतु कहा गया है।

7. एम.ए.सी.पी. के तहत वेतन का गलत निर्धारण

एम.ए.सी.पी. के मामले में यह देखा गया है कि संबंधित स्थापना लिपिक श्री 'X' के द्वारा रेलवे बोर्ड के निर्धारित दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर सेवा अवधि की गणना कर्मचारी की रेलवे में नियमित तिथि अप्रैल1990 के बजाय को-ऑपरेटिव सोसायटी में उसके योगदान की तिथि नवम्बर 1981 को मानकर गणना किया गया है। रेलवे बोर्ड के पत्रांक E(W)2000/ CN-1/7 मार्च 2001 के अनुसार कारखाना में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में एम.ए.सी.पी. की गणना रेलवे में नियमित नियुक्ति की तिथि अप्रैल-1990 से करना है इस प्रकार ग्रेड पे 2800/- की जगह 4200/-गलत निर्धारण किया गया है एवं संबंधित कर्मचारी गलत तरीके से फरवरी 2012 से दिसम्बर 2013 तक अर्थात 23 माह तक ग्रेड पे 2800/- की जगह 4200/- का लाभ पाता रहा। इस प्रकार कुल रुपये 35,911/- का अधिक भुगतान संबंधित यूनिट द्वारा किया गया। उक्त तथ्य की जानकारी कर्मचारी की सेवा निवृति की तिथि जनवरी 2014 के पहले समापक भुगतान के समय प्रकाश में आया एवं अधिक भुगतान की कटौती कर्मचारी के डीसीआरजी की राशि से कर ली गई है ।

8. प्रथम/द्वितीय तिमाही में टयूशन फी वापसी का अधिक भुगतान

वर्ष 2014-15 में वेतन विपत्र लिपिक 'X' के द्वारा प्रथम/ द्वितीय तिमाही में ही Overall annual ceiling के 50 प्रतिशत से अधिक का भुगतान उस यूनिट कुछ कर्मचारियों के शिक्षण शुल्क के मद में किया गया है, जो रेलवे बोर्ड के आर.बी.ई. संख्या 55/2013 के तहत उल्लेखित नियमों का उल्लंघन है।

आर.बी.ई.- 55/2013 डोकेट सं. ई(डब्ल्यू)2008/ईडी-2/4 जून 2013 के अनुसार किसी कर्मचारी को शिक्षण वर्ष के प्रथम/द्वितीय तिमाही में Overall annual ceiling के 50 प्रतिशत तक का ही भुगतान किया जा सकता है। परन्तु वेतन विपत्र लिपिक द्वारा प्रथम/ द्वितीय तिमाही में ही Overall annual ceiling के 50 प्रतिशत से अधिक का भुगतान किया गया जोकि नियम संगत नहीं है एवं उपरोक्त नियम का उल्लंघन है।

Suitable necessary action has been recommended against the pay clerk & his supervisor along with recovery of Rs. 98000/- against the overpayment.

7. Fixation of pay in a wrong way under MACP in a workshop.

In case of MACP of an employee of a workshop, it has been found that MACP was processed in a wrong way by concerned dealer Shri 'X' by ignoring the policy of Railway Board w.r.t. of counting of period of working in a co- operative society since Nov 1981 in stead of absorption in railway in regular service from April 1990. As per Rly Bd's Desk Officer/Estt (Welfare) letter no. E(W) 2000/CN-1/7, dt. 27. 3. 2001, MACP is to be given on the basis of regular service in railway. Thus, in a wrong way, GP 4200/- was given instead of GP 2800/- to the employee and in this way, concerned employee wrongly availed the benefit of GP 4200 instead of GP 2800 between the period of Feb, 12 to Dec, 13 i.e. 23 months. Overpayment of Rs. 35,911/- was given to him in the above period. These facts came to light at the time of settlement of concerned staff who superannuated on Jan 2014 and the same was withheld from DCRG of staff.

8. Payment of tuition fee re-imbursement amount beyond overall ceiling amount.

During Vigilance check it was detected that for the academic year 2014-15, the pay bill clerk Shri 'X' had made payments more than 50% of the overall annual ceiling censured education allowance for children in the first / second quarter in favour of some employees of unit ; which is not applicable as per RBE 55/ 2013 of Railway Board.

As per RBE 55/2013 docket no. E(W) 2008/ED-2/4 dated 07.06.2013, re-imbursement of 50% of the entitled amount for the academic year can be allowed in the first and / or second quarter and the remaining amount can be re-imbursed in the third and / or fourth quarter . The entire entitled amount can also be re-imbursed in the last quarter. But, the pay bill clerk has done the payment more than 50% of the overall annual ceiling amount of children education allowance in the first / second quarter ; which is not applicable and thus, violation of the above Railway Board rule has been found.

अभियंत्रण

-**जेड.ए. मल्लिक,** सतर्कता अधिकारी (इंजी.)
-**दिनेश कुमार, राजकुमार प्रसाद, राकेश सिंह, सुधीर शर्मा,** मुसतानि. (इंजी)

1.0 सेस मरम्मत कार्य के क्रियान्वयन में अनियमितता:-

निवारक जाँच के अन्वेषण के दौरान पूर्व मध्य रेल के एक मण्डल में सेस मरम्मत कार्य में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गयी:-

- सेस मरम्मत के क्रियान्वयन में मिट्टी भराई का कार्य किया गया था। संयुक्त जाँच के दौरान निर्माण तल के निचली सतह का औसत तल लेवल बुक में दर्ज किये गये प्रारंभिक तल से 1.69 मीटर ऊँचा पाया गया। इस प्रकार, लेवल बुक में प्रारंभिक तल गलत दर्ज किया गया था।
- मिट्टी के कार्य के क्रियान्वयन का पहला अंतिम बिल मापी पुस्तिका-अ के द्वारा भेजा गया था, जिसे मण्डल द्वारा खास कथन के साथ वापस कर दिया गया। पुन:, सहायक मण्डल इंजीनियर द्वारा अनुपालन के बाद, दूसरी बार अंतिम बिल समान सीसी संख्या, समान मापी की तिथि और सहायक मंण्डल इंजी. के परीक्षण की समान तिथि रखते हुए परंतु भिन्न मापी पुस्तिका के साथ अर्थात् मापी पुस्तिका-ब भेजा गया। मापी पुस्तिका-ब में दर्ज मिट्टी के कार्य की कुल मात्रा लगभग समान थी, जैसा कि पूर्व में मापी पुस्तिका-अ में दर्ज थी, परंतु क्रास सेक्शनल क्षेत्रफल में प्राय: सभी चेनेज पर काफी भिन्नता थी। आगे, कुछ नये चेनेज भी जोड़े गये। सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा दोनों मापी पुस्तिका में शत-प्रतिशत टेस्ट चेक, एक ही तिथि को किया गया था, जो संभव नहीं है, क्योंकि चैनेज के अनुसार क्रास सेक्शनल क्षेत्रफल बदलता है। इस प्रकार, लेवल बुक में परिवर्तन कर क्रास सेक्शनल क्षेत्रफल में परिवर्तन करके मंडल द्वारा उठाये गये प्रेक्षण का अनुपालन कर दिया गया।
- उपरोक्त संविदा करार के अधीन टर्फिंग के कार्य का क्रियान्वयन किया गया था और यह पाया गया कि मापी पुस्तिका सं.-अ और मापी पुस्तिका सं. -ब के अंतिम बिल के लिए कुल मात्रा समान दर्ज थी, परंतु लोकेशन के अनुसार क्षेत्रफल परिवर्तित थे, जो कि संभव नहीं है क्योंकि मापी की तिथि एक ही था। आगे, सहायक मंडल इंजी. द्वारा दोनों मापी पुस्तिका में टेस्ट चेक, बिना निश्चित लोकेशन का उल्लेख किया गया।

ENGINEERING

- Z.A. Mallick, VO/Engg
- Dinesh Kr., Raj Kr. Pd., Rakesh Singh, Sudhir Sharma CVI/Engg

1.0 Irregularity in execution of cess repair works:-

During the course of investigation of a preventive check regarding cess repair work in one of the division of ECR, following irregularities were found:

- Earth work in filling for cess repair was executed. During joint check, average levels at toe of formation were found higher by 1.69m than the level recorded in level book. Thus initial level was falsely recorded lower in level book.
- For execution of Earth work, first time final bill was sent through MB No.-X which was returned by division with certain observations. Again, after compliance, second time final bill was sent by AEN having same CC number, same date of measurement & same date of test check by AEN but with different MB i.e. MB No.-Y. The total quantity of earthwork, recorded in MB No.-Y was kept almost same as it was earlier recorded in MB No.-X, but there were large variations in cross sectional area, at almost all chainage. Further, some new chainages were also added. AEN had made 100% test check, on same date, in both MBs, which is not possible as chainage wise cross sectional area was varying. Thus changes in level book & cross-sectional area were done to comply with the observations raised by division.
- The work for turfing was also executed under above contract agreement & it was found that total quantity was kept same while recording final bill in MB No.-X & MB No.-Y but location wise area were modified, which is not possible as date of measurement is same. Further AEN also made test check in both MBs, but without mentioning specific location.

2.0 भवन निमाण सामग्री की आपूर्ति में अनियमितता:-

एक शिकायती मामले के अन्वेषण के दौरान निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गयी थी:-

- सीमेंट सहित अन्य भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु एक वर्कऑर्डर स्वीकृत किया गया था, जिसके द्वारा 15 मेट्रिक टन पीपीसी सीमेंट का आपूर्ति लिया गया था। दिसंबर-2014 में किये गये संयुक्त जांच के दौरान, सीमेंट बैग पर इसके उत्पादन की तिथि फरवरी-2014 पाया गया, इस प्रकार, सीमेंट फरवरी-2014 के समाप्त होने के बाद पहुँचा था, क्योंकि कुछ समय कारखाने में उत्पादित सीमेन्ट को कार्य निरीक्षक के भंडार में आने में व्यतीत हो गया होगा। फिर भी, अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि, अन्य सामग्री के साथ सीमेंट, सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा दिसंबर-2013 में पास किया गया था और इस प्रकार सभी सामग्री लेजर में दिसंबर-2013 में दर्ज किये गये। आगे, यह भी पाया गया कि 15 मेट्रिक टन सीमेंट की आपूर्ति के पहले भंडार में सीमेंट का स्टॉक शून्य था। सीमेंट की आपूर्ति की अभिलिखित तिथि से फरवरी-2014 की समाप्ति तक कुल 3.265 मेट्रिक टन सीमेंट भी निर्गत किया गया था। इस प्रकार, सीमेंट आपूर्ति में दुर्भावपूर्ण इरादे से पहले की तिथि अंकित की गयी थी और 3.265 मेट्रिक टन सीमेन्ट के लिए फर्जी एमए नोट बुक अभिलिखित आपूर्ति तिथि से फरवरी-2014 तक निर्गत किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, संयुक्त जाँच के दौरान 6.045 मेट्रिक टन लेजर बैलेंस की तुलना में 5.550 मेट्रिक टन जमा सीमेंट भंडार में पाया गया, अर्थात् 0.495 मेट्रिक टन कम था। इसके साथ-साथ, दिसंबर-2014 में संयुक्त जाँच के दौरान यह पाया गया कि लेजर अद्यतन केवल अगस्त 14 तक ही किया गया था, संभवत: मैटेरियल अभिलेख में हेरफेर के इरादे से ऐसा किया गया था।

3.0 कार्यों के निष्पादन में अनियमितता

एक शिकायती मामले के अन्वेषण के दौरान निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गयी:-

- स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में कंक्रीट पेभर ब्लॉक बिछाया गया था। संविदा करार के अनुसार, ये पेभर ब्लॉक कारखाने का बना होना चाहिए जो आइएस:15658-2006 को सुनिश्चित करते हुए 100 मिमी मोटा एम-50 ग्रेड का हो। संयुक्त जांच के दौरान, पेभर ब्लॉक का नमूना एकत्रित किया

2.0 Irregularity in supply of building materials:-

During investigation of a complaint case following irregularities was found:-

- A work order for supply of cement including other building materials was sanctioned, through which supply of 15 MT PPC cement was taken. During joint check conducted in Dec/2014, date of manufacture on the cement bag was found Feb/2014, thus cement would have reached earliest at the end of Feb/2014, as some time must have been elapsed from manufactured cement in factory to reach to the store of IOW. However, on scrutiny of records, it was observed that cement including other materials was passed by AEN in Dec/2013 & accordingly all materials were taken in ledger in Dec/2013. Further, it was also observed that there was nil stock of cement in store before supply of this 15 MT cement. Total 3.265 MT cement was also issued between the period of recorded date of supply of cement in the store to end of Feb/2014. Thus back dating in supply of cement was done with malafide intentions & also false MA Note book was issued for 3.265 MT cement from the recorded date of supply of cement to end of Feb/2014.
- Further, during joint check, 5.550 MT set cement was found in the stock against ledger balance of 6.045 MT i.e, shortage of 0.495 MT. In addition, it was also found during joint check conducted in Dec/2014 that ledger was kept updated only upto August/2014 probably with the intention of manipulation in material record.

3.0 Irregularity in execution of works:-

During investigation of a complaint case following irregularities were found:-

- Concrete paver block was laid at the circulating area of a station. As per contract agreement, these concrete paver blocks should have been factory made M-50 grade, 100 mm thick confirming to IS: 15658-2006. During joint check, sample of paver blocks

गया और जाँच के लिए नामी प्रयोगशाला में भेजा गया था। जाँच रिपोर्ट के अनुसार, पेभर ब्लॉक का औसत कंप्रेसिव स्ट्रेंथ केवल 17.57 न्यूटन प्रति वर्ग मिमी. पाया गया, जबकि न्यूनतम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50 न्यूटन प्रति वर्ग मिमी. होना चाहिए था। आगे, कंक्रीट पेभर ब्लॉक कारखाने का बना हुआ नहीं था, बल्कि सामान्य था तथा मैटेरियल पासिंग रजिस्टर में भी सामान्य शब्द का जिक्र था, किंतु सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा यह पास किया गया था। इस प्रकार, कारखाना निर्मित एवं अपेक्षित न्यूनतम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50 न्यूटन प्रति वर्ग मिमी. वाले पेभर ब्लॉक के विरुद्ध निम्न स्तर का स्थानीय बना हुआ 17.57 न्यूटन प्रति वर्ग मिमी. का सामान्य पेभर ब्लाक प्रयोग किया गया था।

- एक स्टेशन के प्लेटफार्म पर हेवी ड्यूटी सीमेंट कंक्रीट चेकर्स टाइल्स लगाया गया था। संयुक्त जांच के दौरान, इस चेकर्स टाईल्स पर आइएसआइ मार्क उपलब्ध नहीं पाया गया, जबकि संविदा करार के अनुसार ये चेकर्स टाइल्स आइएसआइ मार्क का होना चाहिए था। इस प्रकार निम्न स्तर का अर्थात् बिना आइएसआइ मार्क चेकर्स टाईल्स का प्रयोग किया गया था।
- एक स्टेशन के प्लेटफार्म पर पॉलिस किये गये कोटा स्टोन फर्श के कार्य का क्रियान्वयन किया गया था। संयुक्त जाँच के दौरान, मापी पुस्तिका में रिकार्ड किये गये 998.264 वर्ग मीटर के विरुद्ध क्रियान्वित किये गये कोटा स्टोन फर्श की मात्रा 982.86 वर्ग मीटर पाया गया अर्थात् एजेन्सी को भुगतान करने के लिए मापी पुस्तिका में 15.404 वर्ग मीटर अधिक दर्ज किया गया। ये कोटा स्टोन फर्श सीसी (1:3:6) और सीसी (1:2:4) के उपर किया गया था। अत:, 100 मिमी. मोटाई के दोनों सीसी (1:3:6) और सीसी (1:2:4) का भी 15.404 वर्ग मीटर अधिक भुगतान किया गया था। इस प्रकार, 15.404 वर्ग मीटर कोटा स्टोन फर्श के लिए अधिक भुगतान, 1.54 घनमीटर सीसी (1:3:6) और 1.54 घन मीटर सीसी (1:2:4) का अधिक भुगतान का बनाया गया था, फलस्वरुप, रेल को 20,962/- रुपये का नुकसान हुआ।

4.0 समपार के उन्नति कार्य में गलत भुगतान:-

सतर्कता संगठन द्वारा पूर्व मध्य रेल के मंडलों में किये गये निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितातायें पायी गयी:-

(i) एक मण्डल में, 25 मिमी. मोटा प्री-मिक्स बिटुमिन मास्टिक टैक कोट और 65 मिमी. मोटा प्री-मिक्स बिटुमिन मैकेडम की मापी, एक समपार के बुम के बाहर, अप एवं डाउन पहुंच मार्ग पर भुगतान बनाने हेतु मापी पुस्तिका में 656.42 वर्गमीटर दर्ज किया गया था। लेकिन, क्रियान्वयन फाईल के

was collected & sent to reputed lab for testing. As per test report, average compressive strength of paver blocks found only 17.57 N/mm2 against required minimum compressive strength of 50 N/mm2. Further, concrete paver block was not a factory made, rather it was ordinary & even word of ordinary was mentioned in material passing register but it was passed by AEN. Thus sub standard ordinary paver block having compressive strength of only 17.57 N/mm2 against factory made paver block of required minimum compressive strength of 50 N/mm2 was used.

- Heavy duty cement concrete chequred tiles was laid at the platform of a station. During joint check, no ISI mark was found available on these chequred tiles, however, as per contract agreement, these chequred tiles should have been ISI marked. Thus substandard i.e. without ISI marked, chequred tiles were used.
- Polished kota stone flooring work was executed at the platform of a station. During joint check executed quantity of Kota stone flooring was found only 982.86 m2 against recorded quantity of 998.264 m2 in MB i.e.15.404 m2 excess recorded in MB for payment to agency. Since, these kota stone flooring was done over CC (1:3:6) of 100mm thickness & CC (1:2:4) of 100mm thickness, hence, both CC (1:3:6) & CC (1:2:4) was also paid extra for 15.404 m2 area. Thus excess payment for 15.404 m2 Kota stone flooring, 1.54 Cum CC (1:3:6) &1.54 Cum CC (1:2:4) was made, resulting into loss of Rs.20,962/- to the Railway.

4.0 False Payment in the Work of Improvement of Level Crossings:-

During the course of preventive checks conducted in the divisions of ECR by Vigilance Organization following irregularities were found:-

(i) In one division, measurement of 656.42 sqm of 25mm thick premix bitumen mastic tack coat and 65mm thick premix bituminous macadam over UP & DN approach road at outside of boom of one level crossing were recorded in the

सूक्ष्म परीक्षण में यह पाया गया कि समपार के बुम के बाहर अप एवं डाउन पहुँच मार्ग पर प्रीमिक्स बिटुमिन टैक कोट और प्री-मिक्स बिटुमिन मैकेडम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग की एजेन्सी द्वारा किया गया था। इस सड़क कार्य का क्रियान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐजन्सी द्वारा 0.0 कि.मी. से 8.4 कि.मी. और 12.5 कि.मी. से 21.6 कि.मी. तक किया गया था। संयोग से, कथित समपार 0.0 कि.मी. से 8.4 कि.मी. में पड़ता है, अत: क्रियान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग के एजेन्सी द्वारा किया गया। इस समपार के निरीक्षण पुस्तिका से भी यह प्रकट होता है कि कार्य शुरू होने से पहले सड़क की दशा अच्छी थी और कार्य के मापी की तिथि तक भी समान दशा में थी। इस प्रकार, इस समपार पर यह कार्य आवश्यक नहीं था और न ही वास्तव में रेलवे द्वारा कराया गया था और यहाँ इस समपार की गुंजाइश तत्काल काम के दायरे में नहीं थी। अत: 25 मिमी मोटा प्री-मिक्स बिटुमिन मास्टिक टैक कोट और 65 मिमी मोटा प्री-मिक्स बिटुमिन मैकेडम की मापी समपार के बुम के बाहर अप एवं डाउन पहुंच मार्ग पर 656.24 वर्ग मीटर गलत मापी किया गया। इस प्रकार गलत भुगतान बनाने का प्रयत्न ऐजेन्सी के लिए किया गया।

आगे, संयुक्त जांच के दौरान, इसी तरह के कार्यों में यह भी पाया गया कि 65 मिमी. मोटा बिटुमिनस मैकेडम दूसरे सेक्शन के अन्य दो समपार पर नहीं पाया गया, लेकिन, मापी पुस्तिका में 664.17 वर्ग मी. मापी गलत दर्ज किया गया था। इस प्रकार, एजेन्सी के लिए गलत भुगतान बनाने का प्रयत्न किया गया।

(ii) एक मण्डल में, समपार के पहुँच मार्ग के लिए 150 मिमी मोटा डब्ल्युबीएम और 133 मिमी मोटा सीमेंट कंक्रीट भुगतान करने हेतु मापी पुस्तिका में मापी दर्ज किया गया था। परन्तु, संयुक्त जांच के दौरान यह पाया गया कि सीमेंट कंक्रीट की औसत मोटाई 50 मिमी., इस समपार के पुराने बिटुमिनस पहुंच मार्ग पर किया गया था। इस प्रकार, इस स्थान के लिए नया डब्ल्युबीएम नहीं किया गया, किन्तु डब्ल्युबीएम के लिए गलत भुगतान किया गया और कंक्रीट कार्य के लिए भी अधिक भुगतान किया गया।

आगे, समान कार्य में यह पाया गया कि, अन्य समपार पर गेट लाज के पीछे कंक्रीट के नीचे डब्ल्युबीएम के भुगतान हेतु मापी पुस्तिका में मापी किया गया था। लेकिन, संयुक्त जांच के दौरान उस स्थान पर डब्ल्युबीएम नहीं पाया गया। इस प्रकार, स्थल पर बिना कार्य कराये डबल्युबीएम के विरुद्ध गलत भुगतान कराया गया।

Measurement Book for making payment. But during scrutiny of execution file it was found that the work of premix bitumen mastic tack coat and premix bituminous macadam were executed over UP & DN approach road at outside of the boom of the level crossing by the agency of National Highway. This road work was executed by the agency of NH from 0.0 km to 8.4 Km & from 12.5 Km to 21.6 Km. Incidentally the said LC falls between stretch of 0.0 Km to 8.4 Km, hence executed by Agency of NH. Also from the inspection register of this level crossing it revealed that condition of road was good even long before start of the work & also remained same condition up to the date of measurement of the work. Thus the work was neither required at this level crossing nor actually executed by the railway and even this level crossing was not in the scope of the instant work. Hence false measurement of 656.42 sqm of 25mm thick premix bitumen mastic tack coat and 65mm thick premix bituminous macadam over UP & DN approach road at outside of boom of this level crossing was recorded in the Measurement Book. Thus false payment was tried to make to the agency.

Further in the same work it was also found that during joint check 65mm thick bituminous macadam was not found at another two level crossings in other sections, but measurement of 664.17 Sqm was falsely recorded in the Measurement Book. Thus false payment was tried to make to the agency.

(ii) In one division, measurement was recorded in the MB for making payment of 150mm thick WBM & 133 mm thick Cement Concrete for approach road at level crossing. But during joint check it was found that cement concreting in average thickness of 50 mm was done on the existing bituminous approach road at this level crossing. Thus new WBM was not done but false payment was made for WBM for this location & also excess payment was made for concrete work.

Further in the same work it was also found that measurement was recorded in the MB for making payment of WBM below the concrete floor behind gate lodge at another level crossing. But during joint check WBM was not found at that location. Thus false payment was released against WBM without executing at site.

भंडार, चिकित्सा एवं सुरक्षा

मंडल स्तर पर आरडीएसओ मदों की खरीद में अनियमितता

– **विकास कुमार,** मुसतानि/भंडार

एक इकाई में 'Universal 110V AC/DC LED Shunt Signal' की खरीद की निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि इस मद की खरीद आरडीएसओ के स्पेसीफिकेशन के अनुरूप आरडीएसओ के द्वारा अनुमोदित स्त्रोतों से ही की जानी थी लेकिन, मद की खरीद हेतु माँगकर्ता इकाई द्वारा माँगपत्र के साथ संभावित आपूर्तिकर्त्ता के रूप में तीन स्थानीय फर्मों के नाम का प्रस्ताव भेजा गया जो न तो आरडीएसओ द्वारा समान मद के लिए अनुमोदित फर्मों की सूची में थे न ही ऐसे फर्मों के अधिकृत विक्रेता थे। मद को क्रय करनेवाली मंडल इकाई ने टेंडर इन्क्वायरी जारी करते समय उक्त तीन फर्मों के अलावा एक और स्थानीय फर्म को टेंडर इन्क्वायरी जारी किया और यह फर्म भी आरडीएसओ द्वारा उक्त मद हेतु अनुमोदित नहीं था। टेंडर इन्क्वायरी में प्राप्त न्यूनतम प्रस्ताव जो फर्म 'ए' का था, के पक्ष में तकनीकी अनुशंसा एवं दर की उपयुक्तता प्रमाणित करने के उपरांत क्रयादेश जारी किया गया परन्तु इसके पूर्व फर्म से यह सम्पुष्टि कराई गई कि फर्म आरडीएसओ स्त्रोत के द्वारा उत्पादित सामग्री, जिसका आरडीएसओ द्वारा निरीक्षण किया गया हो, की आपूर्ति करेगा। उपरोक्त शर्तें क्रयादेश में समाविष्ट तो की गयी थी परन्तु इन्हें टेंडर इन्क्वायरी में समाविष्ट नहीं किया गया था।

आरडीएसओ प्रतिबंधित मदों की खरीद हेतु नियमानुसार गैर आरडीएसओ स्त्रोतों को टेंडर इन्क्वायरी जारी नहीं की जानी चाहिए। भंडार नियंत्रक, हाजीपुर कार्यालय द्वारा जारी भंडार निर्देश सं. 47 के अंतर्गत पीएसी मदों को पीएसी फर्मों या उनके अधिकृत डीलरों से खरीदने का प्रावधान है। ठीक इसी आधार पर आरडीएसओ मदों को आरडीएसओ स्त्रोतों या उनके अधिकृत डीलरों से खरीदने का प्रावधान बनाने हेतु भंडार नियंत्रक/पूमरे को पत्र लिखा गया है।

STORES, MEDICAL & SECURITY

Irregularities in procurement of items restricted to be purchased from RDSO at divisional level

- Vikash Kumar, *CVI/S*

During a preventive check in a divisional unit, it was noted that for procurement of 'Universal 110V AC/DC LED Shunt Signal' which was to be made from RDSO restricted sources with RDSO's specification, three local sources had been proposed by the indenting unit in the NS demand as likely sources who were neither RDSO approved sources for the item being procured nor their authorized dealer. Divisional purchase office, while calling for tender enquiry, added one more local source which was also a non-RDSO source. One of the firms 'A' who was the lowest offerer and on whom P.O. was placed after TR & PR, confirmation was taken for supply of material manufactured by a RDSO approved source after inspection by RDSO. Though this condition was mentioned in the P.O. but the same was not incorporated in the tender enquiry.

For items restricted to be purchased from RDSO sources, tender enquiry should not be issued to non-RDSO sources. There is a provision for procurement of PAC items from PAC sources or their authorized dealers vide Stores Instruction no. 47 of COS office, HJP. For procurement of items from RDSO approved sources or their authorized dealers, COS/ECR has been requested to issue guideline on the same line as for PAC items.

स्टोर सामग्री का चार्ज दिए बिना पदच्युत हो जाना

– **रणजीत कुमार,** मुख्य सतर्कता निरीक्षक/भंडार

समस्तीपुर मंडल में निवारक जाँच के दौरान यह देखा गया कि एक सेक्शन में गेज परिवर्तन (MG to BG) का कार्य सम्पन्न होने तथा सेक्शन ओपन लाईन को 2010 में हीं हैंडओवर किये जाने के बाद भी अबतक कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा फुट-टु-फुट सर्वे रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में 3237 नग सी.एस. टी. 9 पॉट 60 आर, तथा 29938 नग एम.एस.टाई बार 60 आर वापस नहीं किया गया है। कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा 848.82 मीटर रेल 60 आर भी कम वापस किया गया है।

ओपन लाईन को हैंडओवर किये हुए लगभग पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी कॉन्ट्रेक्टर द्वारा कम लौटाई गई सामग्रियों की मात्रा के लिए तत्कालीन यूनिट प्रभारी द्वारा न तो कॉन्ट्रेक्टर से कभी कोई पत्राचार किया गया और न ही इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। निवारक जाँच के दौरान इसी यूनिट के एलसी गेट 'ए' एवं यार्ड 'बी' में फेंसिंग में रेल 60 आर, लॉग बुक में दर्शायी गई मात्रा से 424.7 मीटर कम पाया गया।

तत्कालीन यूनिट प्रभारी, जनवरी 2013 में हीं पदोन्नत होकर मंडल के अन्य यूनिट में राजपत्रित कार्यालयी का पदभार ग्रहण कर लिए हैं। लेकिन, वर्तमान समय तक उनके द्वारा यूनिट में कार्यरत किसी कार्यालयी को सामग्री का चार्ज नहीं दिया गया। आवश्यकतानुसार स्क्रैप को निष्पादन करने हेतु तत्कालीन यूनिट प्रभारी का ही सहयोग लिया जाता है।

इसी यूनिट से संबंधित लॉट सं. 707100812, स्क्रैप रेल 75 Kg जिसकी ई-ऑक्शन द्वारा बिक्री सितम्बर 2012 में हुई थी, की शेष मात्रा 34.314 मीट्रिक टन के परिदान अवधि विस्तार में विलम्ब किये जाने के परिवाद की जाँच के क्रम में देखा गया कि यदि तत्कालीन यूनिट प्रभारी द्वारा सामग्री का चार्ज समय पर दे दिया गया होता तो परिदान अवधि विस्तार में विलम्ब नहीं होता। तत्कालीन यूनिट प्रभारी की इस अनियमितता के कारण लगभग ढ़ाई वर्षों से भी अधिक समय से शेष सामग्री की सुपुर्दगी क्रेता को लंबित है।

भारी मात्रा में सामग्री की खरीद के पश्चात् अप्रयुक्त रह जाना

– **प्रमोद यादव,** मुसतानि/भंडार

एक दूरसंचार/निर्माण यूनिट में सतर्कता निवारक जाँच के क्रम में निम्न अनियमितताएँ पायी गईं:-

यूनिट में करीब रु 19 करोड़ की सामग्री जो 2007 में खरीदी गई थी, अभी तक बिना उपयोग के पड़ी हुई थी। ये सभी मदें X-Y सेक्शन में जहाँ अमान परिवर्तन 2009 में होना था, उसके लिए खरीदी गई थीं। लेकिन अमान परिवर्तन का कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण सभी सामग्रियाँ अभी तक अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं। इन मदों में एक मद रिले भी था जिसका डिजायन बदल जाने के कारण अब उपयोग नहीं हो सकता है।

7.5 KVA एवं 15 KVA के नए डीजी सेट खुले आकाश में रखे हुए पाए गए जो खरीद के बाद इतने सालों तक उपयोग में नहीं लाए जाने के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुँच चुके थे। यूनिट प्रभारी के द्वारा विभाग के उच्च अधिकारियों को इन सामग्रियों की उपलब्धता तथा इनकी अनुपयुक्तता तथा लंबे समय तक इनके उपयोग न हो पाने की कोई सूचना नहीं दी गयी। इस यूनिट में इन सामग्रियों का उपयोग नहीं होने की अवस्था में किसी अन्य यूनिट/ मंडल को भी उपयोग के लिए नहीं लिखा गया।

इस यूनिट में अनुरक्षण के लिए प्राप्त सामग्री तथा कार्य संविदा के अंतर्गत प्राप्त सामग्री का लेखाकरण एक ही लेजर में किया जा रहा था और इस संदर्भ में लेजर में कोई अभ्युक्ति यथा क्रयादेश सं., करार सं. आदि का संदर्भ भी नहीं दिया गया था, जिसके कारण यह बताना मुश्किल था कि कार्य संविदा के अन्तर्गत कौन-कौन सी सामग्री खरीदी गयी है।

दूरसंचार विभाग को पत्र लिखा गया है कि समय-समय पर खरीद की गई सामग्रियों की उपयुक्तता व समय पर प्रयोग होने/न होने की जाँच की जाए, आवश्यकतानुसार ही सामग्रियों की खरीद की जाए, किसी कारणवश खरीद की जाने वाली सामग्री अगर उपयोग में नहीं लाई जा सकती हो तो उन्हें किसी अन्य यूनिट को ऑफर किया जाए एवं संबंधित कार्यालयी को निर्देश जारी किया जाए कि अनुरक्षण के लिए प्राप्त सामग्री एवं कार्य संविदा के अन्तर्गत प्राप्त सामग्री का लेजर अलग-अलग अनुरक्षित किया जाए।

• लीड एसिड बैट्री के एनएस-11 में लीड की गलत मात्रा का दर्शाया जाना-

मंडल 'क' के सिगनल एवं विद्युत इकाई में स्क्रैप लीड एसीड बैट्री के निस्तारण के संबंध में निवारक जाँच के क्रम में निम्न अनियमितताएँ पायी गई-

मंडल की दोनों इकाइयों द्वारा विभिन्न प्रकार के स्क्रैप लीड एसीड बैट्री में निहित लीड की प्रतिशत मात्रा Return Store Voucher (NS-11) में अनुमानत: अंकित की जा रही थी। एक इकाई के द्वारा विभिन्न प्रकार के लीड एसिड बैट्री में लीड की समान मात्रा NS-11 में दिखाई गई जबकि समान प्रकार की बैट्री के लिए दोनों यूनिट द्वारा अलग-अलग लीड की प्रतिशत मात्रा दिखाई गई।

प्रत्येक प्रकार की बैट्री में लीड की मात्रा साधारणतया अलग-अलग होती है। बैट्री एक अलौह मद है जो काफी महँगा भी है। बैट्री में saleable component lead ही है, और इसी component का गलत percentage अनुमान के आधार पर दिखाना सर्वथा उचित नहीं है। लीड की गलत मात्रा NS-11 में दिखाने से बिक्री की जाने वाली बैट्री का सही मूल्य Auction Sale में प्राप्त नहीं होगा तथा इससे रेल राजस्व की क्षति होगी। नीलामी बिक्री में बेची गई बैट्री के कुछेक लॉट के रिजर्व प्राईस की जाँच करने पर पाया गया कि इन बैट्रियों में लीड की प्रतिशत मात्रा का सही आकलन नहीं कराए जाने के कारण, इनका रिजर्व प्राईस, अन्य जोनल रेलवे में निर्धारित रिजर्व प्राईस से कम निर्धारित किया गया।

समस्तीपुर डिपो में यह मद फेरस की श्रेणी में माना जाता है, इस कारण इसका weighment, stock verifier के साथ witness नहीं होता है, जबकि, लीड एसिड बैट्री एक अलौह मद है तथा अन्य सभी अलौह मद के weighment का witness डिपो कर्मी तथा रेलवे सुरक्षा बल कर्मी के अलावा stock verifier भी करते हैं।

इस कार्यालय के द्वारा लीड की प्रतिशत मात्रा के संबंध में प्रणाली सुधार पत्र : ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट दिनांक 11.08.14 को जारी किया गया है जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी सर्वसंबंधित को अनुस्मारक दिया गया है। साथ ही लीड एसीड बैट्री के weightment को डिपो में stock verifier भी witness करें, ऐसा पत्र भंडार नियंत्रक को लिखा गया है। Auction Sale के लिए बनाए गए जिन lots का रिजर्व प्राईस अन्य क्षेत्रीय रेल की तुलना में काफी कम निर्धारित किया गया था, उसके लिए उचित corrective measures लेने के लिए भी भंडार नियंत्रक को पत्र लिखा गया है।

मंडल रेसुब कर्मियों को शिक्षण भत्ता के भुगतान में अनियमितता

- **के.के. मिश्र,** मुसतानि/सुरक्षा

व.मं.सु. आयुक्त/रेसुब/मंडल 'क' के कार्यालय में रेसुब कर्मियों को भुगतान की गई शिक्षण भत्ता की निवारक जाँच के दौरान निम्न तथ्य सामने आए-

(क) व.मं.सु. आयुक्त/रेसुब/ मंडल 'क' कार्यालय के चार विभिन्न बिल यूनिट जिनके द्वारा शिक्षण भत्ता के भुगतान का बिल process किया गया, के डीलर, शिक्षण भत्ता से संबंधित कोई दस्तावेज जाँच टीम को प्रस्तुत नहीं कर पाए। मुकाधि/हाजीपुर के पत्र सं. ECR/HRD/034/Bill/ch.ED.All. दिनांक 16.12.13 के अनुसार शिक्षण भत्ता के बिल भुगतान से संबंधित एक रजिस्टर बिल क्लर्क के द्वारा maintain किया जाना है तथा records को दस वर्षों तक अनुरक्षित करना है। बिल यूनिट के इन कर्मियों द्वारा न तो रजिस्टर maintain की गई और न हीं शिक्षण भत्ता के दावे से संबंधित records ही अनुरक्षित किए गए।

(ख) व.मं.सु. आयुक्त/रेसुब/ मंडल 'क' कार्यालय के द्वारा वर्ष 2014 में मंडल द्वारा भुगतान किए गए शिक्षण भत्ता के कुल 230 मामलों में से 12 मामले, जिनमें दावा राशि, होस्टल के मामले होने के कारण ज्यादा थीं, को जाँच के लिए चिन्हित किया गया, लेकिन इन 12 में से केवल 02 मामलों के हीं कागजात लेखा विभाग के बिल यूनिट व Post Audit अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा सके। अत: सारे मामलों की जाँच दस्तावेज के अभाव में नहीं की जा सकी।

(ग) लेखा विभाग के स्थापना अनुभाग के कर्मियों द्वारा शिक्षण भत्ता के कागजात लेखा विभाग के books office तथा cash office होते हुए post audit section को दे दिए जाते हैं, के तथ्य रखे गए परन्तु Post Audit section अनुभाग द्वारा इन कागजातों को bundle में प्राप्त करने, गिनकर एवं मिलाकर bills व vouchers को प्राप्त नहीं करने के तथ्य रखे गए। मुकाधि

/हाजीपुर के पत्र सं. ECR/HRD/034/Bill/ch.ED.All. दि. 16.12.13 के तहत बिल से संबंधित रिकार्ड का अनुरक्षण 10 वर्षों तक करना था, परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया गया।

(घ) शिक्षण भत्ता के bill से संबंधित कोई register maintain नहीं करने तथा records/vouchers के अनुरक्षण नहीं करने से गलत भुगतान व नियम संगत भुगतान नहीं होने की संभावना बनेगी।

(ङ) बिल यूनिट द्वारा शिक्षण भत्ता से संबंधित रजिस्टर maintain नहीं करने एवं मुकाधि/हाजीपुर के पत्र सं. ECR/HRD/034/Bill/ch.ED.All. दि. 16.12.13 का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने के लिए उचित कार्रवाई की अनुशंसा की गई। मरेप्र./मंडल 'क' व विसमुलेधि/हाजीपुर के संज्ञान में उपरोक्त अनियमितता को लाया गया तथा संबंधित कर्मियों को रजिस्टर maintain करने व records/vouchers का अनुरक्षण करने का निर्देश देने के लिए अनुरोध किया गया।

- **कारखाना परिक्षेत्र में निविदा आधारित निजी सुरक्षा गार्ड/गन मैन/पर्यवेक्षक की तैनाती में अनियमितता :-**

कारखाना परिक्षेत्र में निविदा के आधार पर निजी सुरक्षा गार्ड/गन मैन/पर्यवेक्षक की तैनाती में निविदा शर्तों के अनुरुप तैनाती नहीं किए जाने एवं गलत तरीके से फर्जी तैनाती दर्शाकर राशि भुगतान किए जाने के परिवाद की जाँच के क्रम में निम्न तथ्य सामने आए-

(क) कारखाना परिक्षेत्र में निजी सुरक्षा गार्ड/गन मैन/पर्यवेक्षक की तैनाती में निविदा करारनामा का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया तथा निजी सुरक्षा कर्मी की तैनाती 08-08 घन्टे की तीन पालियों में करने की बजाए 12-12 घन्टे की दो पालियों में की गई। इस प्रकार तैनात किए जाने वाले निजी सुरक्षा कर्मी से Double duty एवं लगातर ड्यूटी नहीं लिए जाने के करारनामा में निहित निर्देश के बाद भी 04-04 घन्टे की अतिरिक्त ड्युटी ली गई।

(ख) कारखाना परिक्षेत्र में निजी सुरक्षा गार्ड/गन मैन/पर्यवेक्षक की तैनाती में दैनिक पालीवार तैनाती विवरण के अवलोकन पर निजी सुरक्षा कर्मी की तैनाती की संख्या पुनरीक्षित (Revised) आदेश के अनुरूप नहीं पाई गई अपितु पुनरीक्षित आदेश से कम आर्म गार्ड तथा पुनरीक्षित आदेश से अधिक सुरक्षा गार्ड को तैनात किया जाना पाया गया। जाँच की तिथि पर 13 आर्म गार्ड की पुनरीक्षित संख्या से कम तैनाती पाई गई।

(ग) कारखाना परिक्षेत्र में निजी सुरक्षा गार्ड/गन मैन/पर्यवेक्षक की तैनाती में निविदा करारनामा में दिए गए सामान्य शर्त/दिशा-निर्देश निजी सुरक्षा कर्मी की तैनाती की दृष्टिकोण से स्पष्ट एवं विशिष्ट नहीं पाए गए अपितु दिए गए शर्त/दिशा-निर्देश निर्माण कार्य एवं Non Stock Material supply से संबंधित थे।

उपरोक्त स्थिति से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि आर्म गार्ड की जगह अनआर्म्ड गार्ड ड्यूटी पर लगाए गए तथा इस तरह से निजी सुरक्षा कर्मियों की कुल संख्या को करार में वर्णित उनकी कुल संख्या के बराबर रखने का प्रयास किया गया। परन्तु, निविदा के करारनामा एवं पुनरीक्षित (Revised) आदेश में आर्म्ड एवं अनआर्म्ड सुरक्षाकर्मियों की अलग-अलग निश्चत संख्या का प्रावधान कारखाना परिक्षेत्र में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को मानक के अनुरुप रखने के खास उद्देश्य से की गई होगी तथा उसी संख्या में तैनाती नहीं करने से कारखाना परिक्षेत्र की मानक सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है।

कम सुरक्षा कर्मियों के लगाए जाने के कारण रेल राजस्व की करीब रु. 27 लाख हानि का अनुमान लगाया गया है जिसकी कटौती की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है।

विद्युत

विद्युत कार्यों के निविदा के संपादन में अनियमितताएँ

- अशोक कुमार
मुख्य सतर्कता निरीक्षक/विद्युत

पावर सेवर की आपूर्ति एवं संस्थापना की निविदा से संबंधित परिवाद की जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकाश में आई:-

(i) एनआईटी में, पावर सेवर का स्वीकार्य मेक क्लासिक, उषा पावर, पंकज और ग्रीप इंडिया उल्लेखित था। लेकिन निविदा कमिटि मंत्रणा के दौरान निविदा कमिटि ने दो अन्य मेक सर्वोमेक्स तथा छवि जिसे निम्नतम निविदाकर्त्ता में उर्द्धत किया था, को भी अनुमोदित कर दिया।

(ii) इसके अतिरिक्त, निविदा शर्तों के अनुसार, पावर सेवर को आर.डी.एस.ओ. के विनिर्दिष्ट संख्या आर.डी.एस.ओ/पीई/एसपीईसी/पीएस/0098 (पुनरीक्षण 0)-2008 संषो-1 के अनुरूप आपूर्ति करना था। जबकि, स्वीकृत पत्र/करारनामा में आर.डी.एस.ओ. के विनिर्दिष्ट संदर्भ को हटा दिया गया। आ.डी.एस.ओ. इस विनिर्दिष्ट को 2012 में ही वापस ले चुका है।

निविदा खुलने के उपरांत निविदा प्रलेख में किसी प्रकार का बदलाव एवं निविदा कमिटि द्वारा अन्य मेकों की स्वीकृति को उचित एवं नियमानुसार सही नहीं ठहराया जा सकता है। दो अन्य निविदा कमिटि सदस्य यथा वित्त सदस्य एवं तीसरे सदस्य ने भी निविदा खुलने के उपरांत निविदा प्रलेख में बदलाव के लिए किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की।

ELECTRICAL

Irregularities in finalization of tender for electrical works.

- Ashok Kumar
Chief Vigilance Inspector/Elect

During investigation of a complaint case regarding finalization of a tender for supply and installation of power saver. The following irregularities have been observed.

(i) In the NIT, the acceptable make of the power saver were mentioned as "Classic, Usha Power, Pankaj and Grip India. However during tender committee deliberations the TC approved two other make Servomax and Chhabi offered by the lowest tenderer.

(ii) Further, as per tender conditions, the power saver was to be supplied conforming to RDSO specification no. RDSO/PE/SPEC/PS/0098(Rev'0)-2008 Amnt-1. However in the LOA/C.A, reference of RDSO specification was deleted. RDSO has withdrawn this specification in 2012.

Any modification in the tender document after opening of the tender and acceptance of other makes by TC, post tender, are not considered appropriate and as per rule. The other two TC member's i.e. finance member & third member also didn't raise any objection for such post tender modification/consideration.

सी टी एस (क्लीन ट्रेन स्टेशन) कार्य निष्पादन में पाई गई अनियमितताएँ

- कुमार करूणेश
मुख्य सतर्कता निरीक्षक/यांत्रिक

सतर्कता निवारक जाँच के दौरान पूर्व मध्य रेल के एक स्टेशन पर संचालित सी टी एस (क्लीन ट्रेन स्टेशन) संबंधी कार्यों में निम्नवत अनियमितताएं पाई गई:-

(i) संवेदक द्वारा शौचालय उपस्करों की सामान्य सफाई नहीं की गई थी। दर्पण, साबुन खांचों एवं अन्य उपस्करों जिनका पोंछा जाना जरूरी था को बिना साफ किये छोड़ दिया गया था। काफी कोचों के दरवाजे वाले क्षेत्र में बने पानी निकास छिद्र जाम पाए गए एवं सफाई नहीं करने से वहां पानी निकास बाधित था और पानी जमा हुआ था। इन सभी कार्यों को संविदा करार में स्कोप ऑफ वर्क के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है। यह भी पाया गया कि कोच के गलियारा क्षेत्र की सफाई खराब थी और इस क्षेत्र में सफाईयोग्य दिखनेवाले मौजूद धब्बों से प्रतीत होता था कि इनको साफ करने का प्रयास ही नहीं किया गया था।

(ii) सफाई कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे सफाई औजार जैसे सफाई ब्रश, खिड़की कांच हेतु स्कवीज ब्लेड पूरी तरह से घिसा हुआ था। यह सभी औजार संविदा करार में प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत निर्दिष्ट है। लेकिन इनके बदलने की बारंबारता उल्लेखित नहीं है। फिर भी, संबंधित पर्यवेक्षक को कार्य के उचित क्रियान्वयन हेतु इनका समय पर बदलना सुनिश्चित करना चाहिए था।

(iii) सी टी एस (क्लीन ट्रेन स्टेशन) के अंतर्गत नामित प्रत्येक ट्रेन में सफाई हेतु बिना ट्रेनों के संयोजन का विचार किये प्रतिदिन 09 वर्क स्टेशन बनाए जा रहे हैं। जबकि, 21 कोचों की संख्या वाले ट्रेन भी वहां है, जिसमें 11 वर्क स्टेशन की जरूरत है। प्रतिनियुक्त मैनपावर भी केवल 09 वर्क स्टेशन के अनुसार हैं। यह भी देखा गया कि मशीन सेटों की संख्या केवल 07 वर्क स्टेशन के लिए ही उपलब्ध है।

(iv) संविदा करार में कुछ अस्पष्टता है। निर्दिष्ट संसाधन जैसे कार्य हेतु लगने वाले मैनपावर मशीन एवं सामग्री की जरूरत संविदा करार में विस्तृत है लेकिन भुगतान/पेनॉल्टी पर्यवेक्षक द्वारा भरे हुए स्कोरिंग पर आधारित है एवं संविदा करार में संवेदक द्वारा कमतर संसाधन आपूर्ति करने की स्थिति में कोई पेनॉल्टी निर्दिष्ट नहीं है।

Irregularities in CTS (CLEAN TRAIN STATION) execution work

- Kumar Karunesh
Chief Vigilance Inspector/Mech

During preventive vigilance check, for the work related to CTS (Clean train station), conducted at one of the station of ECR. Following irregularities were observed:-

I. General wiping of toilet fittings were not done by contractor. Mirrors, soap cases and other fittings required to be wiped, left unattended. Drain holes in the doorway area in most of the coaches were found jammed and not cleared resulting water logging there. These works has been specified in CA under scope of work. Further, it was also observed that mopping of coach aisle area is poor as visible cleanable stains in the area show no/less effort by cleaning staff.

II. Tools like cleaning brushes, window glass squeeze blades used by cleaning staffs were in worn out condition. These tools are specified under project specification in CA but frequency of their replacement was not detailed but the concerned supervisor should have ensured their replacement for proper execution of the work.

III. 9 nos. of workstation has been maintained daily for cleaning each of the trains under CTS i.e. irrespective of the composition of train. Though there are trains with 21 no. of coaches, which require 11 no. of workstations. The manpower deployed are for 9 workstations only. Further the set of machines available are for 7 workstations only.

IV. There is ambiguity in Contract agreement. The resource specification like requirement of manpower, machines, and materials required for the work have been detailed in the agreement but the payment/penalty is based on the scoring filled by supervisors and there is no penalty clause specified in the agreement for supplying less resources i.e. manpower, machines and material by the contractor.

• पेनॉल्टी लगाने एवं रिकार्ड कीपिंग में पाई मेकेनाईज्ड क्लीनिंग के संविदा कार्य में की गई अनियमितताएँ

मैकेनाइज्ड क्लीनिंग सम्बन्धी कार्य की सतर्कता जाँच में यह देखा गया कि यद्यपि संविदा में संवेदक द्वारा कम मैनपावर एवं कम मशीन आपूर्ति करने पर पेनॉल्टी लगाने का प्रावधान है। लेकिन, जांच के दौरान देखा गया कि संविदा में दिए प्रावधान के अनुसार पेनॉल्टी नहीं लगाया जा रहा है। टेस्ट चेक रजिस्टर में मेकेनाईज्ड क्लीनिंग में मशीनों के प्रयोग नहीं करने की टिप्पणी दर्ज होने के बावजूद कुछ मामलों में पाया गया कि निर्दिष्ट से कमतर पेनॉल्टी लगा है तथा अन्य मामलों में पेनॉल्टी नहीं लगा है। यह भी पाया गया कि पर्यवेक्षकों एवं अधिकारियों द्वारा टेस्ट चेक रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्रंक 95/M©/141/1 vol-ii dtd. 02.08.2013 के निर्देशानुसार नहीं किए जा रहे हैं।

यह भी देखा गया कि डिपो में कोचों के मेकेनाईज्ड क्लींनिंग एवं डिपो क्लीनिंग हेतु करार संविदा में निर्दिष्ट 02 मशीन सेट की जगह मात्र एक मशीन सेट उपलब्ध थे। मशीनों की इस कमी के लिए कोई पेनॉल्टी नहीं लगा था। संविदा में निर्दिष्ट वर्क डायरी रजिस्टर, इंजीनियर निर्देश रजिस्टर, मशीन रजिस्टर भी डिपो कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E (D&A) 2007/GS 1-1 दिनांक 17.06.2009 के आलोक में पे बैंड-2 (₹ 9300-34800) ग्रेड में ₹ 4600/- तथा उसके ऊपर कार्यरत सभी पर्यवेक्षी कर्मचारी-वर्ग के द्वारा अपने अचल सम्पत्ति का वार्षिक ब्यौरा जमा करना जरूरी है।

• Irregularities in penalty imposition and record keeping in contractual work of Mechanized cleaning.

In a preventive vigilance check for the work of mechanised cleaning it was observed that though, there is provision in the contract for imposition of penalty for less manpower and less machines provided by the contractor, however, during check it was noticed that the penalty is not being imposed as per the contract provisions. In some cases the penalty imposed found to be less than specified and in other cases no penalty was imposed despite remarks on test check register regarding non use of machines for the mechanized cleaning. It was further observed that the test checks are not being carried out by the supervisors as well as officers as per the laid down guidelines issued by the Railway Board vide their letter no. 95/M(c)/141/1 vol-ii dated 02.08.2013.

It was further observed that only one set of machine was available in the depot for mechanized cleaning and depot cleaning in place of two sets of machines specified in the CA. No penalty was imposed for this deficiency of machines. Work Diary register, Engineer's Instruction register, Register for machines as specified in Contract Agreement are also not available at depot office.

Cooperation with Vigilance team in discharge of its duty

Preventive checks, carried out by vigilance organization, are mandated in order to monitor the working of the Railway organization. Investigating Inspectors of Vigilance organization are empowered to call for documents, record statements and, if need be, ask any railway official for assistance during the check.

Non-cooperation during the vigilance checks is viewed seriously and may also give rise to suspicion for helping the guilty get away. Hence all concerned officials may be sensitized to extend full cooperation during vigilance checks. It should be explained to them it would be in their interests to disclose the cash and contents of their bags/wallets/pockets, etc as and when required, so that any resistance on this account is not interpreted as non-cooperation.

[Ref. Rly Bd Vigilance Directorate Letter No. 2014/V-1/VP/1/10 dated 27.01.15]

महत्वपूर्ण
प्रणाली सुधार पत्र

Important
System Improvement Letters

पूर्व मध्य रेल

एसआइएल - 01/2015

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. इसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक: 22.01.2015

प्रमुख मुख्य इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषयः- टुकड़ों में मरम्मती कार्यों के क्रियान्वयन के पहले दोषपूर्ण टाइल्स/ग्रेनाइट/कोटा स्टोन आदि की स्थिति को दर्शाते हुए सर्वेशीट का अनुमोदन।

एक निवारक जाँच के दौरान, यह देखा गया है कि जिस जगह पर टाइल्स/ग्रेनाइट/कोटा स्टोन इत्यादि को बदलना है, उस जगह का विस्तृत अभिलेख तैयार किये बिना ही दोषपूर्ण टाइल्स/ग्रेनाइट/कोटा स्टोन इत्यादि को बदलने के लिए टुकड़ों में मरम्मती कार्य किया गया है। अनुवर्ती जाँच के दौरान, पुराने और नये कार्यों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति में, हर अवसर पर गलत भुगतान की संभावना रहती है।

उपरोक्त के आलोक में, एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करने हेतु अनुरोध किया जाता है कि, दोषपूर्ण टाइल्स/ ग्रेनाईट/कोटा स्टोन इत्यादि के टुकड़ों में मरम्मती कार्यों के क्रियान्वयन के पहले, स्थल जहाँ बदलना है दर्शाते हुए एक सर्वेसीट तैयार करना चाहिए एवं सहायक इंजी. से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। अनुमोदित सर्वेशीट की एक प्रति सेक्शनल मण्डल अभियंता/प्रवर मण्डल अभियन्ता को भी सूचनार्थ भेजा जाए।

प्रणाली सुधार हेतु जारी किये गये पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को कृपया सूचनाार्थ भेजें।

(जे.के. वर्मा)
वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL - 01/2015

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated: 22.01.2015

Principal Chief Engineer,
East Central Railway,
Hajipur.

Sub:- Approval of survey sheet before execution of patch repair work showing location of defective tiles/granite/ kota stone etc.

During investigation of a preventive check, it has been observed that, patch repair work for replacement of defective tiles/ granite/kota stone etc. are done without any detailed record, showing locations to be changed. During subsequent check, it becomes difficult to identify the old and new work. In such a situation, there is every chance of false payment.

In view of above, it is requested that, a system improvement letter may be issued stipulating that before execution of patch repair work for replacement of defective tiles/granite/kota stone etc., a survey sheet showing location to be changed should be prepared & got approved by AEN. The copy of approved survey sheet should also be sent to sectional DEN/Sr.DEN for information.

A copy of system improvement letter may please be sent to this office for information.

(J.K.Verma)
Sr. Deputy General Manager

पूर्व मध्य रेल

एसआइएल - 02/2015

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated: 20.02.15

मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय :- रेलवे अस्पताल के अंतरंग रोगियों को प्रदान किए जाने वाले भोजन दर के निर्धारण व आवधिक पुनरीक्षण एवं संबंधित कर्मचारी को प्रदत्त भोजन प्रभार राशि की कटौती।

रेलवे अस्पताल द्वारा अंतरंग रोगियों को प्रदान किए जाने वाले भोजन के दर निर्धारण एवं तीन वर्ष पर उस दर का आवधिक पुनरीक्षण व संबंधित कर्मचारी से प्रदत्त भोजन प्रभार की कटौती के बिन्दु पर रेलवे अस्पताल समस्तीपुर, धनबाद एवं मुगलसराय में की गई सतर्कता जाँच में मुख्यत: निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आईं :-

(i) अंतरंग रोगियों को रेल अस्पताल द्वारा प्रदत्त भोजन के प्रभार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए लगातार निर्देशों एवं IRMM 2000 Para 642 में वर्णित प्रावधान के विपरीत काफी विलंब से दिनांक: 03.02.14 को किया गया। इसके पहले भोजन का प्रभार निर्धारण वर्ष 2002 में किया गया था।

(ii) मुख्यालय स्तर से पुनरीक्षित भोजन प्रभार के निर्धारण के बाद भी समस्तीपुर अस्पताल द्वारा कुछ मामलों में पुराने दर से कटौती किए जाने का आदेश दिया गया।

(iii) संबंधित कर्मचारी के मद से प्रदत्त भोजन प्रभार की राशि की कटौती कर लिए जाने का कोई आँकड़ा/प्रमाण संबंधित स्वास्थ इकाई के पास उपलब्ध नहीं पाया गया।

(iv) कुछ इकाई यथा इन्जीनियरिंग, दूरसंचार, टेलकम एवं डीजल शेड, इत्यादि में बिल उन्हीं इकाइयों द्वारा बनाई जाती है। ऐसे मामलों में भी भोजन प्रभार की कटौती हेतु पत्र कार्मिक विभाग को प्रेषित हैं जबकि कटौती विवरण संबंधित इकाई या मंडल/रेल को प्रेषित किया जाना चाहिए था।

(v) संबंधित कार्मिक विभाग के पास भी भोजन प्रभार की कटौती का कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं पाया गया।

उपरोक्त अनियमितताओं के अवलोकन से यह पूर्णत: स्पष्ट है कि अंतरंग रोगियों को प्रदान किए जाने वाले भोजन प्रभार का निर्धारण व पुनरीक्षण एवं संबंधित कर्मचारी से उसकी कटौती की प्रक्रिया में शामिल कार्यालयी द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है। इसे प्रणाली विफलता के रूप में देखा जा सकता है। अत: उपरोक्त अनियमितता को दूर करने के लिए निम्न ठोस प्रणाली विकसित किया जाना आवश्यक है :-

(क) IRMM 2000 के Para 642 के तहत प्रत्येक तीन वर्षों के अंतराल पर भोजन प्रभार के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सरल करने की आवश्यकता है। इस विन्दु पर अलग-अलग अस्पतालों की भोजन प्रभार पुनरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के स्थान पर मुख्यालय स्तर पर ही एक स्थाई समीक्षा समिति का गठन किया जाय जो प्रत्येक तीन वर्षों पर स्वत: निर्धारित तिथि के पूर्व अपनी समीक्षा रिपोर्ट समर्पित करे जिसके आधार पर संशोधित भोजन प्रभार की कटौती संबंधित रेलकर्मी से की जा सके।

(ख) भोजन प्रभार के संबंधित कर्मचारी से कटौती की प्रक्रिया में एकरूपता एवं सरलता लाए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान प्रक्रिया के तहत कार्मिक विभाग एवं संबंधित इकाई के बिल अनुभाग में अस्पताल द्वारा कटौती विवरण प्रेषित करने से कटौती की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है। इसके मुख्य कारण अस्पताल द्वारा संबंधित बिल यूनिट को समय से कटौती नहीं सुझाए जाने, सुझाई गई कटौती विवरण में सही तथ्य उपलब्ध नहीं कराए जाने तथा इसके अभाव में फिर बिल यूनिट द्वारा संबंधित अस्पताल के साथ कोई भी पत्राचार नहीं कर मामले को लंबित छोड़ देने, आदि हैं। अत: वर्तमान में मुगलसराय मंडल अस्पताल द्वारा भोजन प्रभार की राशि रेलवे रोकड़ में जमा कराकर पावती स्वरूप रेलवे रसीद प्राप्त करने की प्रक्रिया अन्य अस्पतालों द्वारा भी अपनाई जा सकती है।

(ग) भोजन प्रभार के आवधिक दर का निर्धारण, भोजन प्रभार की वसूली एवं इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इत्यादि से संबंधित सभी

विन्दुओं को सम्मिलित करते हुए एक संयुक्त प्रक्रिया आदेश (JPO) निर्गत की जाए। भोजन प्रभार की कटौती की निगरानी HMIS के माध्यम से की जाए तथा संबंधित रेलकर्मी के वेतन से समय पर उसकी पूरी वसूली के लिए इसको PRIME/AFRES से संबद्ध कराया जाए।

इस संबंध में कृपया प्रणाली सुधार का आदेश अपने स्तर से जारी कर इस कार्यालय को सूचित करें। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्र संख्या च/184/1 दिनांक 10.05.12 के अनुसार वर्ष–2002 में भोजन प्रभार का दर निर्धारित किया गया था। इसके बाद जनवरी–2014 में भोजन प्रभार का पुनर्निर्धारण किया गया। इस समयावधि में भोजन प्रभार की दर को हर तीन वर्षों पर पुनरीक्षित कर समस्त बकाया भोजन प्रभार की कटौती की जाए। जनवरी–2014 में भोजन प्रभार के दर निर्धारण के बाद भी जिन इकाइयों में कटौती पुराने दर से की गई है, वहाँ भी नये दर के अनुसार बकाया राशि की कटौती सुनिश्चित की जाए।

कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायी जाए।

(जे.के. वर्मा)
वरिष्ठ उप महाप्रपंधक
कृते महाप्रबन्धक/सतर्कता

हजारों योद्धाओं पर विजय पाना आसान है,
लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है,
वही सच्चा विजयी है।

– बुद्ध

कोई भी लक्ष्य मनुष्य के
साहस से बड़ा नहीं,
हारा वही, जो लड़ा नहीं।

– श्रीकृष्ण

पूर्व मध्य रेल

एसआइएल – 07/2015

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर
दिनांक: 15.09.2015

सं. ई.सी.आर./विज./प्रणाली सुधार /50

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय:- कोयले की नीलामी से संबंधित वाणिज्य विभाग के नीलामी बिक्री की अधिसूचना/ज्ञापन में सुधार।

सतर्कता संगठन द्वारा कतरास स्टेशन पर कोयले की नीलामी बिक्री के निष्पादन से संबंधित एक निवारक जाँच आयोजन के दौरान नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्त्तों के पालन में कमियाँ पायी गयीं। जिसके परिणामस्वरूप, क्रयकर्त्ता द्वारा माल के उठाव में असफल होने पर परिदान अवधि विस्तार, ठेके की समाप्ति इत्यादि का कार्य फंस जाता है जिसके लिये मुख्यालय एवं मंडल के बीच अनावश्यक रूप से पत्राचार होता है। परिदान अवधि विस्तार के मुद्दे पर मुख्यालय से मंडल को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त हुए। अत: मंडल द्वारा ठेके के संचालन से संबंधित नियमों एवं शर्त्तों के नीलामी बिक्री/कागजातों में व्यापक समायोजन के पुनरावलोकन की आवश्यकता है।

स्क्रैप माल के नीलामी के लिए भंडार विभाग द्वारा जारी किये गये नीलामी बिक्री अधिसूचना और नियम एवं शर्त्तों को भी संलग्न किया जा रहा है, जिसका उपयोग वाणिज्य विभाग के नीलामी बिक्री के ज्ञापन और नियम एवं शर्त्तों को जारी करने में उपयोगी होगी। इस प्रक्रिया में कोयला नीलामी से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी किये गये नियमों एवं परिपत्रों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

यह सलाह दी जाती है कि वित्त विभाग के सलाह से मुख्यालय स्तर पर इस प्रलेख को तैयार कर एक समान अंगीकरण हेतु मंडलों को जारी किया जाये।

कोयला नीलामी बिक्री संबंधित कागजातों की प्रति, प्रलेख हेतु इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये।

(जे.के. वर्मा)
व.उ.म.प्र.

पूर्व मध्य रेल

एसआइएल - 03/2015

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं: ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50

भंडार नियंत्रक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

विषय : बॉक्स एन/भंडार डिपो/मुगलसराय में सामग्री के लेखाकरण में विलंब।

अपएंडेड इन्सर्ट एलएनयूएक्स (LNUX) 30 एमएम प्राइस लिस्ट सं. 72987169 के लेखाकरण में विलंब व संदर्भित मद की चक्कों की कटाई की संख्या के सापेक्ष खपत, भंडार नियंत्रक कार्यालय द्वारा इस मद का क्रय एवं भंडारण डिपो द्वारा इस मद की निर्गम पद्धति (इश्यू पैटर्न) के सन्दर्भ में बॉक्सएन डिपो, मुगलसराय में निवारक जाँच की गई। जाँच के दौरान निम्न तथ्य पाए गए :-

i. अपएंडेड इन्सर्ट एलएनयूएक्स (LNUX) 30 एमएम प्राइस लिस्ट सं. 72987169 लगभग 06 माह से बिना लेखाकरण के बॉक्सएन डिपो, मुगलसराय में पड़ा हुआ था। राइट्स/बंगलोर के अर्नंतिम (प्रोवीजनल) जाँच के बाद डिपो में सामग्री प्राप्त किया गया था। लक्ष्य उपयोक्ता (अंतिम उपभोक्ता) के द्वारा सामग्री की व्यावहारिक जाँच के आधार पर राइट्स द्वारा मद का अंतिम निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी किया जाना था। मुगलसराय में लक्ष्य उपयोक्ता के द्वारा की गई निष्पादन (व्यावहारिक) जाँच में सामग्री नाकाम हो गयी। वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/वैगन केयर सेंटर/मुगलसराय के निष्पादन रपट से यह स्पष्ट होता है कि सामग्री की जाँच निश्चित मापदंड के तहत नहीं की गई, बल्कि पूर्व में एक अलग निर्माणकर्त्ता (मेक) के द्वारा आपूर्ति की गई समान सामग्री के साथ तुलना कर की गई।

वरिष्ठ सामग्री प्रबन्धक/बॉक्सएन/मुगलसराय और वरिष्ठ मंडल यॉंत्रिक अभियंता/कैरेज एवं वैगन/मुगलसराय के बीच निष्पादन जाँच के सन्दर्भ में पत्राचार जारी रहते हुए हीं हरनौत रेल कारखना को इस भंडार मद का 400 नग

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL - 03/2015

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig /System Improvement/50 Dtd: 24.02.2015.

Controller of Stores
East Central Railway, Hajipur.

Sub- Delay in accountal of material at BOXN/Store depot/MGS

A Preventive Check was conducted at BOXN depot, MGS on the aspect of delay in accountal of material Upended INSERT LNUX 30 mm to PL No. 72987169, consumption of the item vis- a-vis the number of wheels turned, procurement of the item by COS office and issue pattern by stocking depots. Following points were noted during investigation -

i. The item INSERT LNUX 30 mm to PL No. 72987169 had been lying at BOXN/MGS depot unaccounted for about 6 months. Material was received in the depot after provisional inspection by RITES/Bangalore. Final IC by RITES for the item was to be issued on the basis of performance test of the material by the end user. The material failed in performance test at the user's end at MGS. From the performance report of SSE/WCC/MGS (copy enclosed), it is evident that the material was not tested w.r.t. certain defined parameters but a comparison was made with material supplied earlier of a different make.

Though the correspondence between SMM/BOXN/MGS and Sr DME/C&W/MGS was still going on regarding performance test of the material, 400 nos of the item was issued by the Depot to HRK

निर्गत किया गया तथा हरनौत रेल कारखाना के द्वारा सामग्री को पास भी कर दिया गया। हरनौत रेल कारखाना के द्वारा केवल इस तथ्य का कि 'व्हील लेथ पर भण्डार का प्रदर्शन (निष्पादन) संतोषप्रद है', का उल्लेख किया गया तथा निष्पादन परीक्षण के लिए किसी निर्धारित मापदंड का उल्लेख नहीं किया (रपट की प्रति संलग्न)।

समान क्रयादेश के तहत गढ़हरा डिपो के लिए भी इस सामग्री का क्रय किया गया था। गढ़हरा डिपो के द्वारा सामग्री के संतोषप्रद प्रदर्शन के बारे में राइट्स को सलाह दी गई और राइट्स के द्वारा अंतिम निरीक्षण प्रमाणपत्र भी जारी किया गया। वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/बरबाडीह द्वारा जारी की गई निष्पादन जाँच रपट के आधार पर गढ़हरा डिपो ने यह कार्रवाई की। बरबाडीह द्वारा न तो कोई जाँच (परीक्षण) माणदंड का उल्लेख किया गया और न ही निष्पादन जाँच रपट किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराया गया (जाँच की प्रति सलंग्न)।

ii. मुगलसराय और बरबाडीह के द्वारा सामग्री की खपत का विश्लेषण किया गया। यह तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों स्थानों पर प्रति इंसर्ट टर्न्ड व्हील की संख्या 5 से 18 के बीच है। जब मद का स्टॉक अधिक उपलब्ध था तब खपत बहुत अधिक थी और अनुमानित वार्षिक खपत की तुलना में डिपो से बहुत अधिक मात्रा में सामग्री निर्गत की गई (अनुमानित वार्षिक खपत से 2 से 7 गुणा अधिक)। भंडार की खपत का स्वरूप (पैटर्न) वर्ष 2009-10 से सलंग्न है।

iii. भंडार मद के लिए जारी क्रयादेश सं. 3005121256112558 दिनांक 12.03.14 से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व मध्य रेल में अनकोटेड सामग्री खरीदी जाती है जबकि दूसरे रेलवे में कोटेड सामग्री का प्रयोग किया जाता है। गुणवत्ता के लिहाज से कोटेड सामग्रियाँ बेहतर और अनकोटेड सस्ती होनी चाहिए।

iv. क्रयादेश सं. 3005121256112558 दिनांक12.03.14 के तहत गढ़हरा के लिए अनुमानित वार्षिक खपत 840 नग के विरुद्ध 3285 नग, मूल्य रु. 28,81,569/- का क्रय किया गया जो लगभग 4 वर्षों की आवश्यकता के बराबर था। उसी प्रकार से मुगलसराय के लिए अनुमानित वार्षिक खपत 1800 नग के विरुद्ध 3600 नग, मूल्य रु. 31,57,844/-का क्रय किया गया। जाँच के दौरान यह पाया गया कि मुगलसराय की जरूरत को भी शामिल करते हुए गढ़हरा डिपो के लिए मात्रा का क्रय किया गया, जबकि

and the material was passed by HRK. HRK workshop simply mentioned that the performance of the item on wheel lathe was satisfactory and did not mention any parameter for performance test (copy of report attached).

Against the same PO, material for GHZ depot was also purchased. GHZ Depot advised RITES about the satisfactory performance of the material and finally IC was issued by RITES. GHZ depot acted on the basis of Performance Test report furnished by SSE/BRWD. No test parameter was either mentioned by BRWD and the performance test report was not countersigned by any officer (copy of report attached).

ii. An analysis of consumption of the material by MGS and BRWD was made. It was noted that number of wheels turned per INSERT varied from 5 to 18 at both places. Consumption was very high when stock available was more and issue from the depot was very large in comparison to EAC (say 2 to 7 times the EAC). Consumption pattern of the item since 2009-10 is enclosed.

iii. From the PO No. 3005121256112558 dated 12.03.14 of the item, it is noted that ECR uses uncoated material where as in other Rlys coated material is used. Quality wise coated materials should be better and uncoated should be cheaper.

iv. Against EAC of 840 nos for GHZ, 3285 nos valuing Rs 28, 81, 569.00 was purchased against the PO No 3005121256112558 dated 12.03.14 i.e. about 4 years requirement. Similarly for EAC of 1800 nos for MGS, 3600 nos valuing Rs 31, 57, 844 was purchased. During investigation, it was noted that quantity purchased for GHZ included the requirement of MGS also

मुगलसराय डिपो के द्वारा अलग से भी माँगपत्र बनाया गया तथा मुख्यालय में क्रय किया गया।

यह भी पाया गया कि बॉक्सएन/मुगलसराय के लिए सामग्री की अनुमानित वार्षिक खपत वर्ष 2011-12 में 360 नग से बढ़ाकर वर्ष 2012-13 में 1800 नग तथा बाद में रिवाइज कर वर्ष 2015-16 में 2400 नग कर दिया गया। अनुमानित वार्षिक खपत में इस प्रकार की उच्च वृद्धि के लिए कोई वास्तविक कारण नहीं दिया गया। अनुमानित वार्षिक खपत में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी के लिए मुख्य याँत्रिक अभियंता के द्वारा अनुमोदन दिया गया लेकिन 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी को गलत ढंग से मुख्यालय द्वारा सूचित किया गया। मुख्य याँत्रिक अभियंता का अनुमोदन एवं वरिष्ठ याँत्रिक अभियंता/फ्रैट द्वारा मुख्य याँत्रिक अभियंता के अनुमोदन की सूचना जो सर्वसंबंधित को दी गई, संलग्न की जाती है।

उक्त वर्णित अनियमतताओं के लिए, सिस्टम इम्प्रूवमेंट पत्र में निम्न बिन्दुओं को निहित किया जा सकता है :-

(क) एक कंसाइनी के द्वारा सामग्री को अस्वीकृत करने के बाद सामान्यतया दूसरे कंसाइनी को जाँच/निष्पादन परीक्षण के लिए उसी सामग्री को जारी करने की पद्धति नहीं अपनायी जानी चाहिए। याँत्रिक विभाग, सामग्री के निष्पादन परीक्षण के लिए मापदंड परिभाषित करे।

(ख) यह उच्च मूल्य का मद है। उक्त पैरा (ii) में उल्लिखित अनियमित खपत पद्धति के आलोक में सामग्री के गबन व पुनः परिसंचरण की संभावना बनती है। याँत्रिक विभाग के द्वारा मद की वास्तविक खपत को निर्धारित करने की आवश्यकता है। भंडार डिपो से भी सामग्री का निर्गम आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए।

(ग) उक्त क्रयादेश में सामग्री पर विनिर्माण के माह एवं वर्ष के समुद्भरण का शर्त समाविष्ट नहीं किया गया है। क्रयादेश में समुद्भरण का शर्त समाविष्ट करने से आपूर्तित सामग्री के पुनःपरिसंचरण की सम्भावना कम हो जायेगी।

(घ) मुगलसराय और गढ़हरा डिपो के द्वारा अनकोटेड के बदले कोटेड सामग्री के प्रयोग की सम्भावना के बारे में विचार किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों (कोटेड एवं अनकोटेड) के दरों में अंतर को ध्यान में रखते हुए क्रयादेश जारी करना चाहिए।

where as MGS's requirement was purchased through separate demand of BOXN/MGS depot.

It was also noted that EAC of the item was increased for BOXN/MGS from 360 nos in 2011-12 to 1800 nos. in 2012-13 which was subsequently revised to 2400 nos in 2015-16. No factual justification for such high increase in EAC was furnished. Approval for increase of 10% in EAC was accorded by CME but it was wrongly communicated for more than 10% increase. Approval of CME and communication of CME's approval by SME/Frt is enclosed.

For the irregularities mentioned above, system improvement letter covering following points may be issued-

(a) The practice of issue of material to other consignee for inspection/performance test after it has been rejected by one consignee should normally not be resorted to. Mechanical department may define parameters for performance test of the material.

(b) This is high value item. In view of irregular consumption pattern as brought out above at para (ii), there may be possibility of misuse and misappropriation of material/recirculation. Actual requirement of the item is required to be assessed by Mechanical department. Issue of material from Stores depots should be made as per requirement.

(c) Clause of embossing Month and Year of manufacturing has not been incorporated in the above PO. Incorporation of embossing clause in PO will lessen the possibility of recirculation of the supplied material.

(d) Possibility of use of coated material instead of uncoated one by both MGS & GHZ depot may be explored. While ordering, the aspect of price difference of different types of materials (coated and uncoated ones) needs to be kept in view.

(ड) क्रयादेश सं.3005121256112558 दिनांक12.03.14, मूल्य रु. 31,57,844/- के द्वारा बॉक्सएन डिपो/मुगलसराय के लिए मद का दो बार क्रय किया गया। अंतिम क्रय के समय माँग की समीक्षा करने की पद्धति अपनायी जानी चाहिए। मुगलसराय एवं गढ़हरा डिपो के लिए समान सामग्रियों की द्वय क्रय की समीक्षा की जानी चाहिए।

(च) किसी मद की अनुमानित वार्षिक खपत में वृद्धि के लिए पूर्ण वास्तविक औचित्य के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद फील्ड यूनिट को सही सूचना दी जानी चाहिए।

उक्त वर्णित तथ्यों के संबंध में जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति, इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए उपलब्ध करायी जाए।

संलग्नक-यथोक्त/

(जे.के.वर्मा)

वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक

The Burning Desire

A young man asked Socrates the secret to success. Socrates told the young man to meet him near the river the next morning. They met. Socrates asked the young man to walk with him toward the river. When the water got up to their neck, Socrates took the young man by surprise and ducked him into the water. The boy struggled to get out but Socrates was strong and kept him there until the boy started turning blue. Socrates pulled his head out of the water and the first thing the young man did was to gasp and take a deep breath of air. Socrates asked, 'What did you want the most when you were there?" The boy replied, "Air." Socrates said, "That is the secret to success. When you want success as badly as you wanted the air, then you will get it." There is no other secret.

(e) Dual procurement for the item has been made against PO No 3005121256112558 dated 12.03.14 for BOXN Depot/MGS amounting to Rs 31, 57, 844. System of Demand Review should be introduced at the time of deciding the final procurement quantity. Such dual procurement for the same materials by 2 depots in general & MGS & GHZ depots in particulars to be reviewed.

(f) Increase in EAC of any item should be proposed with factual justification and communicated correctly to the field units after approval of competent authority.

A copy of instructions issued on points mentioned above may please be made available to this office for record.

DA: As stated above

(J K Verma)

Sr. Dy. General Manager

Single Object of Faith

"A man began to sink a well, but having dug down to the depth of twenty cubits he could not find the least trace of the water-spring which was to feed his well. So he desisted from the work and selected another place for the purpose. There he dug deeper than before, but even then he could not find any water. So again he selected another spot and dug still deeper than before, but it was also of no avail. At last in utter disgust he gave up the task altogether. The sum total of the depths of these three wells was little short of a hundred cubits. Had he had the patience to devote even a half of the whole of this labour to his first well, without shifting the site of the well from place to place, he would surely have been successful in getting water. Such is the case with men who continually shift their positions in regard to faith. In order to meet with success we should devote ourselves entirely to a single object of faith, without being doubtful as to its efficacy."

- Sri Ramakrishna Paramhamsa

पूर्व मध्य रेल

एसआइएल - 04/2015

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

कार्यालय,
महाप्रबंधाक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. : ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रुवमेंट/50 दि. 03/03/2015

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

मुख्य कार्मिक अधिकारी,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषयः फर्जी पास/पीटीओ/एलपीटीओ के आधार पर रियायती जेसीआरटी (JCRT) जारी करना।

ज्ञात सूचना के आधार पर किए गए औचक निवारक जांच में फर्जी पास/पीटीओ/एलपीटीओ के आधार पर रियायती जेसीआरटी(JCRT) जारी करने का मामला ट्रेन सं. 12359/12360 (कोलकता गरीब रथ) में आरक्षण पर्यवेक्षक/किऊल के द्वारा प्रकाश में आया। उक्त निवारक जांच में दिनांक 20.06.14 को उपरोक्त ट्रेन में 24 बर्थ के आरक्षण का कुल टिकट मूल्य शुन्य था तथा सभी यात्रियों के द्वारा बिना टिकट/पास के ही टीटीई के मिलीभगत से यात्रा करते हुये पाया गया।

इस मामले के अनुसंधान में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए हैं:-

- 45 दिनों के रिकॉर्डों की जांच करने पर यह पाया गया कि आरक्षण कर्मचारियों के द्वारा 27 दिन ट्रेन सं. 12359/12360 (कोलकता गरीब रथ) में सुविधा पास के विरुद्ध प्रति जेसीआरटी (JCRT) 6 यात्री के हिसाब से टिकट जारी किया, जिसमें टिकट का मूल्य शून्य था।
- इस मामले में यह भी पाया गया कि इस अवधि में 56 जेसीआरटी (JCRT) को 28 सुविधाा पास के विरुद्ध जारी किया गया, जिसमें 13 को दानापुर से तथा 15 को सियालदाह से जारी किया गया दिखाया गया।
- डाटा वेयर हाउस रिपोर्ट से लंबी अवधि तक उपरोक्त दो पासों के अनुसंधान में यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक वर्ष के अंदर सिर्फ दो पास

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL - 04/2015

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 03.03.15.

Chief Commercial Manager,
East Central Railway,
Hajipur.

Chief Personnel Officer
East Central Railway,
Hajipur.

Sub: Generation of concessional JCRT with fake privilege pass/PTO/LPTO.

During a PC based on source information, generation of JCRT by Reservation Supervision/Kiul with fake privilege pass/PTO/LPTO for train no. 12359/60 (Kolkata Garib Rath) was detected. Reservation of 24 berths in the above train was found on zero value ticket during check on 20.06.14. All the passengers were found travelling without ticket/pass in connivance with TTEs.

Further investigation revealed following :-

- Out of the 45 days period, records of which were checked, Reservation staff has generated JCRTs for 6 passengers per ticket on 27 days for train 12360/59 under zero value privilege pass.
- 56 JCRTs were issued during the period against 28 passes of which 13 were shown issued from DNR and 15 from SDAH.
- From detailed long term history of 2 of these passes from data ware house report, as many as 50 & 112 JCRTs were found to have been issued within a period of one year from the same staff

सं. के विरुद्ध 50 तथा 112 जेसीआरटी (JCRT) जारी किया गया, जिसमें एक कर्मचारी के आई.डी पर ही प्रति टिकट 6 यात्रियों के लिये जारी किया। इस प्रकार 972 यात्रियों के टिकट को सिर्फ दो फर्जी पास के विरुद्ध ही एक वर्ष के अंदर जारी किए गए।

- सियालदाह तथा दानापुर से उपरोक्त पास की वैधता की जांच करने पर यह पाया गया कि सभी पास फर्जी हैं (वे या तो पीटीओ या एलपीटीओ थे या जिसकी वैधता की अवधि समाप्त हो गयी थी)।
- कुछ दिनों के ट्रेन वर्किंग चार्ट को जब्त करने पर यह पाया गया कि टिकट चेकिंग कर्मचारियों के द्वारा उसमें यात्रियों के सामने टिक/टर्न अप के निशान लगाये गये थे, जो यह सिद्ध करता है कि इसमें टिकट चेकिंग कर्मचारियों, पूर्व रेल की भी मिलीभगत है, क्योंकि इस ट्रेन की पूरी यात्रा यथा हावड़ा से पटना और वापसी का संचालन उन्ही के द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त मामला यह प्रदर्शित करता है कि फर्जी पास के विरुद्ध रियायती जेसीआरटी (JCRT) जारी करना संभव है, क्योंकि कर्मचारियों को कब पास जारी किया, उसकी वैधता इत्यादि का डिजिटल रिकार्ड उपलब्ध नहीं रहता है और न ही उसे पी.आर.एस. सिस्टम से लिंक किया जाता है। वर्तमान में कोई भी पी.आर.एस. कर्मचारी 6 अंकों वाली नम्बर को दर्ज करके रियायती जेसीआरटी (JCRT) जारी कर सकता है। इस प्रकार अनैतिक कर्मचारी के पास शुन्य मूल्य के टिकट का दूर-उपयोग तथा जारी करने की संभवना का अवसर वर्तमान प्रणाली में संभव है।

इस प्रकार के वृहत पैमाने पर की जा रही फर्जीवाडे की रोक-थाम के लिये यह आवश्यक है कि कर्मचारियों के लिये जारी किये गये सुविधा पास/पीटीओ का डिजिटिलाइजेशन किया जाए तथा उसे पीआरएस सिस्टम से लिंक किया जाए, ताकि टिकट के बुकिंग से समय उसकी सत्यता का मिलान आसानी से किया जा सके।

कृपया इस मामले में उचित स्तर से ऐसा तंत्र स्थापित किया जाए ताकि फर्जी पास/पीटीओ के विरुद्ध रियायती जेसीआरटी (JCRT) को रोका जा सके।

(जे. के. वर्मा)
वरि. उप महाप्रबंधक

ID for 6 passengers per ticket. Tickets for 972 passengers were generated with only 2 fake pass no. within a period of one year.

- Genuineness of privilege passes were checked from SDAH & DNR division & found to be false (were either PTO, LPTO or with lapsed validity period).
- The train working charts which were seized for some of the dates showed tick/turn up of passengers indicates involvement of Ticket checking staff of E. Railway who were manning the train for the round trip i.e. from HWH to PNBE and back, in the nexus.

The case is being further investigated.

The above case indicates that generation of concessional JCRTs on fake passes is possible as there is no record of passes issued to employees, their validity etc. in digital form and its inter linking with PRS system. Today, any booking clerk can generate concessional JCRT by giving any 6 digit numbers. There is so much scope for misuse & generation of zero value tickets by unscrupulous booking staff.

Digitalization of issue of privilege pass/PTO to Rly. employees and linking of this data with PRS system to verify pass details at the time of booking of ticket, therefore, is need of the hour to prevent such large scale fraud.

It is requested that matter may be taken up at appropriate level for establishing the system to prevent generation of concessional JCRT on privilege pass/PTO in fraudulent manner.

(J.K.Verma)
Sr. Dy. General Manager

पूर्व मध्य रेल

एसआइएल - 05/2015

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

संख्या ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूमेंट/50 दिनांक 17.03.2015

मुख्य विद्युत इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषयः- कार्य संविदा के माध्यम से उच्च दरों पर स्टोर सामग्री की खरीद।

मुगलसराय मंडल के एक कार्य संविदा के परिवाद की जांच के दौरान यह देखा गया कि विद्युत विभाग के 25 केवी सिंगल पोल वैक्यूम/एसएफ6 इन्टरपटर 5,50,638/- रुपये प्रति की दर से खरीद की गई जबकि स्टोर संविदा में इस सामग्री की दर 3,04,595/- रुपये प्रति है। अतः यह सामग्री कार्य संविदा द्वारा 81% अधिक दर से खरीदी गई। फर्म को इस सामग्री के लिये प्रत्युत्तर प्रस्ताव अद्यतन उच्चतम अंतिम स्वीकृत दर से दिया गया। यह भी देखा गया कि आरडीएसओ अनुमोदित फर्म ने रेलवे को भंडार निविदा में भी 64% अधिक दर से सामग्री आपूर्ति किया। जबकि प्राप्त प्रलेखों से उद्धृत होता है कि उसी आपूर्तिकर्ता ने यह सामग्री 1,85,635/- रूपये प्रति की दर से संवेदक को बेचा है।

आपूर्ति सामग्री की दर की तर्कसंगतता पर निर्णय लेने के दौरान निविदा कमिटि ने स्टोर संविदा के स्वीकृत दर को संज्ञान में नहीं लिया जो कि रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2008/Elect (G)/180/Misc dated 19.05.2010 का उल्लंघन है। आपूर्ति, संस्थापना एवं प्रतिस्थापना का समेकित दर कार्य संविदा में एक साथ मांगे जा रहे हैं जिससे इस सामग्रियों की दर का स्टोर संविदा के स्वीकृत दर से तुलना करना कठिन हो जाता है।

वर्तमान में प्रचलित, कार्य संविदा में अद्यतन दरों का आकलन, 5-10% प्रतिवर्ष औसत दरों में वृद्धि की प्रक्रिया विशेषकर इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों के लिये उचित नहीं है, जहां दरें या तो स्थिर है या कम हो रही है। यह देखा गया कि है कि आर.डी.एस.ओ. के द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ता रेलवे की निविदा में

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL - 05/2015

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 17.03.15.

Chief Electrical Engineer,
East Central Railway,
Hajipur.

Sub: Procurement of stores item through works contract at high rate.

During a complaint investigation of a works contract of MGS division, it was observed that "25 KV Single Pole Vacuum/SF6 interrupter" of Electrical deptt has been purchased @ Rs.5,50,638/- each, whereas, the rate of stores contract for this item is Rs. 3,04,595/- each. The material has, therefore, been purchased at 81 % high rate in the works contract. Counter offer to the firm was given for this item at updated highest LAR. It was further observed that the firm who was RDSO approved supplied the material to Railway at 64 % high rate even in stores contract as documents reveal that same supplier sold the material to contractor @ Rs. 1,85,635/- each.

While adjudging reasonableness of rates for the supply item, TC didn't consider accepted rate of the stores contract which is violation of Rly. Board letter no. 2008/Elect. (G)/180/Misc dt.19.05.2010. Further a composite rate of supply, installation and commissioning are being asked for in works tender which makes rate for this item not easily comparable with accepted rate of stores contract.

Present practice of updating works contract rates by average yearly escalation of 5-10% is not considered proper particularly for electronic equipments where rates are generally stable or falling. Further, practice by suppliers who are generally RDSO approved firms to quote substantially high rate against Railway tender but

उंचे दर पर सामानों की आपूर्ति करते हैं जबकि संवेदकों को कम दर पर सामान की आपूर्ति करते हैं जो इनके भेदभावपूर्ण दरों को दर्शाता है।

कार्य संविदाओं में आपूर्ति सामग्रियों का विवेकहीन समावेश किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, इन सामग्रियों की मांगपत्र तैयार कर एवं उनकी खरीद की निगरानी की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता है जैसा कि एक स्टोर खरीद के केस में यह देखा गया कि निविदा को बारम्बार निविदा कमिटि के स्तर पर उचित स्पेसिफिकेशन न होने के कारण खारिज किया गया।

अत: निम्नलिखित सुझाव दिये जा रहे हैं :

(क) कार्य संविदा में आपूर्ति सामग्रियों का समावेश अपवादस्वरूप होना चाहिए एवं मंडल में मंडल रेल प्रबंधक द्वारा एवं मुख्यालय में प्रधान विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

(ख) आपूर्ति सामग्रियों की दर अनुसूची में अलग से होनी चाहिए ताकि स्टोर संविदा के एलपीआर से तुलना कर दर की तर्कसंगतता पर निर्णय किया जा सके। रेलवे बोर्ड का यह आवश्यक निर्देश फिल्ड इकाईयों को पुन: बताना चाहिए।

(ग) आपूर्ति सामग्री के लिए स्टोर संविदा की स्वीकृत दरों को कार्य संविदा के संपादन में संदर्भ हेतु मंडलों/फिल्ड इकाईयों को समय-समय पर संचारित किया जाना चाहिए।

(घ) आरडीएसओ अनुमोदित फर्म द्वारा विभेदपूर्ण उच्च दरों पर पैनी नजर रखनी चाहिए एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इस केस में मेसर्स द अल्यूमीनियम इंडस्ट्री लिमिटेड, कविनपुरम, विलाप्पिसाला, त्रिवेद्रम, केरल के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

(ड.) समय से मांग की उत्पत्ति एवं उसकी खरीद की निगरानी हेतु मजबूत प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

अत: यह अनुरोध है कि उपरोक्त मामलों पर तत्काल कार्रवाई की जाए जिसे परियोजना के संचालन एवं परिसंपत्ति के अनुरक्षण के लागत में किफायत की जा सके। कृपया की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को भी सूचना एवं रिकार्ड हेतु अवगत कराया जाए।

(जे.के. वर्मा)

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

supply the same to works contractor at much lower rate amount to discriminatory price quoting.

There is also indiscriminate inclusion of supply items in works contracts. As a result, preparation of requisition for these items and monitoring of their procurement has taken a back seat as has been observed in one case of stores procurement that the tender was repeatedly getting discharged at TC stage for want of proper specification.

Following are, therefore, suggested:-

(a) Inclusion of supply items in works tender should be by exception and with approval of DRM in the Division and PHOD in the HQ.

(b) Supply items should be kept as a separate schedule for rate comparison with LPRs of stores contract while adjudging the reasonableness of rates. This mandatory instruction of Board should be re-iterated to field units.

(c) Accepted rates of stores contract for supply items should be periodically circulated to Divisions/field units for their reference, while finalising works contract.

(d) Discriminatory quoting of higher prices by RDSO approved firm should be kept under watch & punitive action initiated. In the instant case action may be initiated against M/s The Aluminium Industries Limited, Kavinpuram, Vilappilsala, Trivendrum, Kerala.

(e) Robust system for timely generation of indent and monitoring of their procurement should be put in place.

It is requested that urgent action on the above issues may please be taken which will bring economy in cost of project execution & assets maintenance. Action taken may please also be advised to this office for information and record.

(J.K.Verma)

Sr. Dy. General Manager

पूर्व मध्य रेल

एसआइएल - 06/2015

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 20.08.15

मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूमरे/हाजीपुर।

विषय :- मुद्रा-मूल्य/अन्य महत्वपूर्ण फार्म और लेखन सामग्री का रख-रखाव।

पूर्व रेल, जमालपुर के द्वारा श्री राज कुमार, टिकट-बाबू, उत्तर मध्य रेल, कानपुर को नकली रुग्ण-आरोग्य चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित परिवाद की जाँच इस कार्यालय द्वारा की गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त प्रमाण पत्र क्रम सं. एच 073660 रुग्ण-आरोग्य चिकित्सा प्रमाण पत्र की पुस्तिका (क्रम सं. एच 073600 से एच 073699) का भाग था। यह पुस्तिका सहायक प्रबंधक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, हावड़ा के कार्यालय से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/दानापुर के प्रतिनिधि के द्वारा मँगाया गया था।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/दानापुर के कार्यालय द्वारा मंडल के विभिन्न यूनिट को रुग्ण-आरोग्य चिकित्सा प्रमाण पत्र पुस्तिका तथा अन्य महत्वपूर्ण फार्म व लेखन सामग्री निर्गत करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रजिस्टर में उपरोक्त पुस्तिका (क्रम सं. एच 073600 से एच 073699) के सामने (क्षतिग्रस्त) लिखा हुआ पाया गया। इसी प्रकार के अन्य दो रुग्ण-आरोग्य चिकित्सा प्रमाण पत्र पुस्तिका के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ था। यूनिट के संबंधित कर्मी ने कहा कि ये सभी तीनों पुस्तिकायें क्षतिग्रस्त स्थिति में सहायक प्रबंधक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हावड़ा से प्राप्त की गई थीं जिसके कारण इन्हें किसी क्षेत्रीय इकाई को निर्गत नहीं किया जा सका परन्तु इन क्षतिग्रस्त पुस्तिकाओं को वह कर्मी प्रस्तुत नहीं कर सका न ही उनके निष्पादन से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध करा सका।

उपरोक्त वर्णित उत्तर मध्य रेल के कर्मचारी को जारी नकली रुग्ण-आरोग्य चिकित्सा प्रमाण पत्र स्पष्टतया इंगित करता है कि तथाकथित क्षतिग्रस्त पुस्तिकाएँ वास्तव में क्षतिग्रस्त नहीं थीं, बल्कि अभिरक्षक के द्वारा इन

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL - 06/2015

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig /System Improvement/50 Dated:- 20.08.2015

Chief Medical Director
East Central Railway
Hajipur.

Sub: Maintenance of Records of money value/other important forms and stationery.

A complaint pertaining to issue of forged medical sick-fit certificate by JMP/E.Rly to Sri Raj Kumar, BC/CNB/N.C. Railway was investigated by this office. During investigation, it was revealed that the above certificate bearing sl no.H073660 belonged to the booklet of sick-fit certificate bearing sl no. H073600 to sl no. H073699. This booklet was collected by the representative of CMS/ DNR from AMPS/HWH.

In the sick-fit issue register maintained by CMS office DNR for issue of sick-fit certificate booklet and other forms & stationery to field unit users, 'damage' was written in front of the above booklet sl no.H073600-H073699 and for other two sick-fit booklets nothing was written. The concerned dealer of the unit told that all these three booklets were received in damaged condition from AMPS/ HWH and hence could not be issued to any field unit but he could not produce the damaged booklets nor could provide any detail about their disposal.

Forged medical sick fit certificate of staff of N.C. Railway mentioned above clearly indicates that the so called 'damaged' booklets were actually not damaged but misappropriated by the

पुस्तिकाओं का दुर्विनियोजन किया गया। प्राप्ति, लेखाकरण एवं निर्गम से संबंधित कागजातों के अभिलेखों का उचित तरीके से इकाई के द्वारा रख-रखाव नहीं किया गया। इन कागजातों की प्राप्ति, लेखाकरण और निर्गम की जाँच के लिए किसी भी स्तर पर कोई प्रणाली कार्यालय में प्रचलन में नहीं थी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मुद्रा मूल्य/अन्य महत्वपूर्ण फार्म और लेखन सामग्री की प्राप्ति, लेखाकरण एवं निर्गम से संबंधित अभिलेखों के उचित रखरखाव के लिए संबंधित इकाई को एक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया जाए। इन अभिलेखों की नियमित जाँच के तरीके प्रयोग में लाए जाएँ। केवल मंडल मुख्यालय के द्वारा ही इन फार्मों की माँग सहायक प्रबंधक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, हावड़ा या गोरखपुर से की जाए। अलग अलग इकाइयों के द्वारा इन फार्मों/लेखन सामगियों के माँगपत्र सीधे निर्गतकर्त्ता अधिकारी को प्रेषित न किए जाएँ।

कृत कारवाई से इस कार्यालय को सूचित करें।

(जे.के वर्मा)
उप महाप्रबंधक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

जिसने अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया है और अकड़ कर सदा सिर को उठाए रखा है, ऐसे लोगों से सदा दूर रहो। ऐसे लोग स्वयं पर भी बोझ होते हैं, इन्हें शांति कहीं नहीं मिलती।

– चाणक्य

custodian. Record for receipt, accountal and issue of these documents was not maintained properly by the unit. There was no system of check of these document and their records for receipt, accountal & issue at any level.

In view of the above, an SIL may be issued for appropriate maintenance of record for receipt, accountal & issue of money value/ other important forms & stationery by concerned units. System of regular check of such records may be put in place. System of placing indent of forms & stationery on issuing authority like AMPS/HWH or GKP may be from Nodal office only say the Divisional Hospital who in turn will issue these forms/stationeries to field units of the division. Individual Health Units will not place indent for forms & stationery on issuing authority.

Action taken in this regard may be intimated to this office.

(J.K. Verma)
Sr. Dy. General Manager

Ups and Downs in life are very important to keep us going, because a straight line even in an ECG means, we are not alive.

- Ratan Tata

पूर्व मध्य रेल

एसआइएल - 08/2015

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 24.09.15

मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूमरे/हाजीपुर।

विषय :- दवाओं के लेखा-जोखा व माँगपत्र का कम्प्यूटरीकरण एवं इनकी अग्रदाय खरीद के दौरान दर की उपयुक्तता (reasona-bility) सुनिश्चित करना।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/गया की इकाई में निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2014-15 के लिए दवाओं का गलत वार्षिक खपत दिखाते हुए उनके गलत माँगपत्र तैयार किए गए। परिणामस्वरूप इकाई द्वारा दो दवाओं- टैब ओफ्लॉक्सासीन आईपी 200 मिलीग्राम एवं टैब पायोग्लिटाजोन की भारी मात्रा का माँगपत्र बनाया गया एवं खरीद की गई।

इकाई द्वारा वर्ष 01.01.13 से 31.12.13 के दौरान उपरोक्त दोनों दवाओं की वार्षिक खपत माँगपत्र में क्रमशः 24000 अदद एवं 7200 अदद दर्शाई गई जबकि इनकी वास्तविक वार्षिक खपत क्रमशः 6600 अदद एवं 1000 अदद थी। फलतः वर्ष 2014-15 के दौरान गलत वार्षिक खपत के आधार पर उपरोक्त दोनों दवाओं के लिए क्रमशः 15000 अदद एवं 3000 अदद का माँगपत्र बनाया गया जबकि वास्तविक वार्षिक खपत के आधार पर इनका माँगपत्र क्रमशः 1350 अदद एवं शून्य के लिए बनाया जाना चाहिए था। गलत वार्षिक खपत दर्शाकर भारी मात्रा का माँगपत्र बनाना एवं तदनुसार भारी मात्रा की खरीद करने की वजह से सतर्कता जाँच की तिथि अर्थात 23.12.14 को इकाई में उपरोक्त दोनों दवाओं का वृहत भंडार क्रमशः 35800 अदद एवं 5000 अदद पाया गया।

उपरोक्त दोनों दवाओं के माँगपत्र की विधिक्षा करनेवाले व.अनु.अधि./लेखा ने कहा कि चूँकि माँगपत्र पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का हस्ताक्षर था इसलिए माँगपत्र पर दर्शाए गए खपत के आँकड़ों एवं अन्य विवरणों की सत्यता की जाँच उनके द्वारा नहीं की गई। यहाँ यह विचार करने योग्य है कि दवाओं की एक निश्चित जीवनावधि (शेल्फ लाईफ) होती है एवं इनकी अत्यधिक

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL - 08/2015

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig /System Improvement/50 Dated:- 24.09.2015

Chief Medical Director
East Central Railway
Hajipur

Sub- Computerisation of accountal and indenting of medicines and ensuring reasonability of rates of medicines purchased through imprest.

During a preventive check in the unit of CMS/GYA, it was noted that the unit prepared incorrect annual indents of medicines for the year 2014-15 by furnishing wrong figures of annual consumption. As a result, huge quantities of medicines Tab Ofloxacin IP 200 mg & Tab Pioglitazone IP 15 mg were indented and procured.

Annual consumption of above two medicines during 1st Jan'13 to 31st Dec'13 was shown in the indents for 2014-15 as 24000 nos & 7200 nos respectively against the actual annual consumption of 6600 nos & 1000 nos. Consequently, 15000 nos & 3000 nos of above two medicines were indented for the year 2014-15 whereas on the basis of actual consumption figure, the indented quantity should have been 1350 nos & NIL. Due to the over indenting and over procurement of medicines by furnishing wrong figures of annual consumption, huge stock of above two medicines accumulated in the unit which was found to be 35,800 nos & 5000 nos as on the date of vigilance check on 23.12.14.

SSO/Accounts who vetted the indents of these medicines stated that he did not enquire about the correctness of consumption figures or any other detail furnished in the indents as they were signed by ACMS of the unit. Here, it is noteworthy that medicines

मात्रा का माँगपत्र बनाने व क्रय करने से रेल राजस्व की हानि की संभावना बनेगी।

जाँच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि इकाई द्वारा एक से दो महीने के सूक्ष्म समय अंतराल में दवा टैब टेलमीर्साटन 40 मिलिग्राम की भिन्न-भिन्न दरों पर अग्रदाय खरीद की गई। यह दवा दिनांक 08.05.14 को रु. 7.50 प्रति गोली (छूट-6%) की दर से खरीदी गई जबकि दिनांक 10.07.14 को रु. 2.50 प्रति गोली (छूट-6%) की दर से खरीदी गई। इसी प्रकार दूसरी दवा सर्जिकल स्प्रीट 400 मिलीग्राम की बोतल दिनांक 08.05.14 को रु. 60.00 प्रति बोतल (छूट-20%) की दर से खरीदी गई जबकि दिनांक 03.06.14 को रु. 98.00 प्रति बोतल (छूट-20%) की दर से खरीदी गई। इकाई द्वारा एक छोटे समयांतराल में दवाओं की अलग-अलग दरों पर खरीद को, वह भी अनुमोदित मेडिकल स्टोरों से उचित नहीं ठहराया जा सकता। क्रय करनेवाले कार्यालयी को प्राप्त होनेवाली दवाओं के वाउचरों/कैश मेमो पर अधिक दर पर दवाओं के क्रय का कारण स्वत: परिलक्षित होना चाहिए।

यद्यपि इकाई द्वारा काफी अधिक मात्रा में दवाओं की अग्रदाय खरीद नहीं की गई थी परन्तु क्रय के दर का उचित होना आवश्यक है क्योंकि यह रेल राजस्व के व्यय से सीधा सम्बंधित है और ऐसी आशंका भी बनी रहती है कि अधिक दर पर किसी दवा की अग्रदाय खरीद भविष्य में समान/दूसरी इकाई द्वारा उसी दवा की थोक खरीद के दौरान दर की उपयुक्तता का कहीं संदर्भ न बन जाए।

उपरोक्त के मद्देनजर दवाओं की प्राप्ति, लेखाकरण, निर्गम एवं माँगपत्र बनाने के लिए केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर आधारित प्रणाली को उपयोग में लाया जाना चाहिए जैसा कि भंडार विभाग में प्रचलित है ताकि लेखाकरण एवं माँग में होनेवाली अनियमितताओं को दूर किया जा सके और साथ ही क्रय प्रक्रिया को पारदर्शी भी बनाया जा सके। मंडलीय अस्पतालों एवं दूसरी इकाइयों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि दवाओं की अग्रदाय खरीद करते समय बिल/कैश मेमो में दवाओं का सम्पूर्ण व्यौरा दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें जिससे कि बाद में किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर संबंधित दवा के बाजार दर का पता चल सके।

कृत कारवाई से इस कार्यालय को सूचित करें।

(महेश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

have got shelf life and over indenting/over procurement may result in loss of Railway Revenue.

It was also noted during check that imprest purchase of the medicine Tab Telmisartan 40 mg was made at much different rates within a very short period of time of 01 to 02 months. It was purchased @ Rs. 7.50 per tablet (less 6%) on 08.05.14 whereas on 10.07.14, it was purchased @ Rs. 2.50 per tablet (less 6%). Another item Surgical Sprit 400 ml bottle also was purchased @Rs. 60.00 per bottle (less 20%) on 08.05.14 whereas the same item was purchased @ Rs.98.00 per bottle (less 20%) on 03.06.14. Purchasing medicines by the unit at such varying rates within a short period of time, that too from approved medical stores is not considered proper. Reasons for purchase at higher rates should be apparent in the details of the vouchers/cash memos as received by purchasing officials.

Though the bulk of imprest purchase of medicine by the unit is not large but reasonability of purchase is important as it is directly related to expenditure of railway revenue and it is also very likely that higher rate of medicine purchased through imprest may be referred for reasonability of rates for making bulk purchase of same medicine in future by the same unit/other units.

In view of the above, it is requested that centralized computer based system for receipt, accountal, issue and indenting of medicines should be implemented in Medical Department as in Stores Department to avoid irregularities in accounting & indenting and to make the system transparent as well. Divisional hospitals/ other units should be advised to ensure that while making procurement of medicines through imprest, complete details of the medicines should be mentioned in the cash memos/vouchers so that market rates can be ascertained, anytime later if considered necessary.

Action taken in this regard may be intimated to this office.

(Mahesh Kumar)
Dy. Chief Vigilance Officer(S)
for GM/Vigilance

पूर्व मध्य रेल

एसआइएल - 38/2014

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज./सिस्टम इंप्रूवमेंट पत्र/50 दिनांक: 15. 09.2014

अध्यक्ष,
रेलवे भर्त्ती बोर्ड,
मुजफ्फरपुर।

विषय:- प्रमाण-पत्रों के सत्यापन (VOC) के संबंध में।

रेलवे भर्त्ती बोर्ड/मुज. द्वारा डीएमएस पद के पैनल को फाइनल करने में अनियमितता से संबंधित एक परिवाद इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। इस परिवाद की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि VOC के दौरान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु रेलवे भर्त्ती बोर्ड, मुज. द्वारा अतिरिक्त समय दिये जाने की प्रथा है। इसके अनुसार, यदि कोई अभ्यर्थी अपना प्रमाण-पत्र/दस्तावेज VOC के दौरान प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे इसके लिये अतिरिक्त समय दिया जाता है। परन्तु, किन-किन अभ्यर्थियों को समय दिया गया एवं उनके द्वारा कब अपना प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जमा किया गया, इसका कोई रिकॉर्ड रेलवे भर्त्ती बोर्ड/मुज. द्वारा नहीं रखा जाता है। इससे शिकायत एवं उत्पीड़न की गुंजाइश को बल मिलता है। यह भी पाया गया कि सत्यापन पत्रक में कटिंग अभिप्रमाणित नहीं किया गया था एवं अध्यक्ष का हस्ताक्षर भी बिना तिथि का पाया गया।

अत:, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये, VOC प्रणाली में सुधार हेतु विशेषकर अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जमा करने के संबंध में एक रजिस्टर रखने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सत्यापन पत्रक पर तिथि सहित हस्ताक्षर हो तथा कटिंग आदि अभिप्रमाणित हो।

कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराया जाये।

(जे. के. वर्मा)
व.उ.म.प्र.

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL - 38/2014

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig./System improvement Letter/50 Dated 15.09.2014

Chairman,
Railway Recruitment Board
Muzaffarpur.

Sub: Regarding verification of certificates (VOC)

A complaint regarding irregularity in finalization of panel of DMS by RRB/MFP was received in this office. During investigation of the same, it was found that a practice of allowing time for submission of documents not produced during VOC is being followed at RRB/MFP. As per present practice candidates are being allowed additional time for submission of relevant documents/certificates if any which could not be produced by the candidates during VOC. But, no record for time allowed to different candidates and when the documents were resubmitted by the candidates at RRB/MFP is maintained. This leaves scope for complaint and harassment. It was also found that verification sheet had unattested cuttings and signature of Chairman too were without dates.

Hence, in view of the above, you are advised to maintain a register and systemise the VOC process especially the document submission/resubmission by the candidates and it should also be ensured that verification sheets are signed with date and proper attestation of cuttings. Action taken may please be intimated to this office.

(J.K. Verma)
SDGM/ECR

पूर्व मध्य रेल

एसआइएल - 39/2014

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 01.10.14

भंडार नियंत्रक
पूमरे/हाजीपुर।

विषय :- स्क्रैप ट्रनिंग एवं बोरिंग का उत्पादन स्थल से नियमित निष्पादन।

प्लांट डिपो, मुगलसराय के संरचना अनुभाग में सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि 70 मैट्रिक टन स्क्रैप ट्रनिंग एवं बोरिंग बिना निष्पादन के यूनिट परिसर में पड़ा हुआ था।

स्क्रैप ट्रनिंग एवं बोरिंग का उत्पादन दैनिक कार्य के दौरान होता है तथा यह काफी मात्रा में यूनिट परिसर में संचित होता है। पर्याप्त मात्रा (बिक्री की जाने के लायक) में स्क्रैप के इकट्ठा हो जाने के उपरान्त इसे विक्रय हेतु ऑफर किया जाता है। लम्बी अवधि तक स्क्रैप के पड़े रहने के कारण इसकी गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है।

अत: स्क्रैप ट्रनिंग एवं बोरिंग का निष्पादन उत्पादन स्थल से ही नियमित रूप से किया जाए, जिसके लिए पूर्व मध्य रेल के ऐसे सभी स्थानों से उत्पन्न इस स्क्रैप सामग्री का आंकलन करने के उपरान्त एक नियत अवधि के लिए विक्रय ठेका निश्चित किया जाए। यह सामग्री के त्वरित निष्पादन में मदद करेगा और सामग्री की गुणवत्ता में कम ह्रास होने के कारण इसके अच्छे मूल्य भी प्राप्त होंगे। स्क्रैप ट्रनिंग एवं बोरिंग का उत्पादन स्थल से ही नियमित रूप से निष्पादन किया जाए ताकि सामग्री की गुणवत्ता में ह्रास होने से बचाया जा सके। कृत कारवाई से इस कार्यालय को सूचित करें।

(महेश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL - 39/2014

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig /System Improvement/50 Dated:- 01.10.2014

Controller of Stores
East Central Railway
Hajipur.

Sub: Regular disposal of scrap Turning & Boring from the point of generation.

During a preventive check conducted in Structural Section of PD/MGS, it was noted that approx 70 MT scrap Turning & Boring was lying un-disposed off in the unit premises.

Scrap Turning & Boring is generated during day to day work and gets accumulated in the unit premises. After considerable amount (saleable amount) of the scrap is accumulated, the same is offered for sale. Due to prolonged storage of the scrap its quality gets deteriorated.

It is, therefore, advised that Scrap T&B may be disposed off regularly at the point of generation, for which, a Sale contract for a particular period may be finalized after assessing the quantum of scrap generated from all such points over E.C Railway. This will help prompt disposal of this scrap and may also fetch better price due to less deterioration. Turning & Boring scrap may be disposed off regularly from the point of generation to avoid deterioration in quality of scrap.

Action taken in this regard may please be intimated to this office.

(Mahesh Kumar)
Dy. Chief Vigilance Officer(S)
for GM/Vigilance

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

No. ECR/VIG/System Improvement/50 July 8, 2015.

Chief Electrical Engineer,
E.C.Railway, Hajipur.

Sub: Irregularities in finalization of tender for electrical works

A works tender No. MGS/EL/G/WC/E/Open/13-14/26 was awarded by MGS Division at a cost of Rs. 26,36,000/-. The schedule of items included supply and installation of power saver.

During investigation of a complaint, following irregularities have been observed:

(i) As per the schedule, power saver was to be supplied conforming to RDSO specification no. RDSO/PE/SPEC/PS/0098 (Rev'0)-2008 Amdt-1. In the acceptance letter/agreement, reference of RDSO specification, however, was dropped.

(ii) While calling the tender, power saver of make, "Classic, Usha Power, Pankaj and Grip India" was specified in the schedule of item. One of the firm offered 2 more make i.e. "Servomax and Chhabi" for the equipment which was accepted by the TC.

(iii) The lowest tenderer whose offer has been accepted, has quoted break-up of rates as labour and material componants for the power saver. Instructions exist in the tender document for tenderers to quote strictly as per the schedule.

Any modification in the tender document after opening of the tender and acceptance of other makes by TC, post tender, are not considered appropriate and as per rule. It is also surprising to note that other two TC members i.e. ADFM-I/MGS and DSTE/MGS didn't raise any objection for such post tender modification/consideration.

The above irregularities being committed by TC member may be due to lack of knowledge about rules/procedures of tender finalisation. There appears, therefore, a need for sensitizing the officers working as TC members on these issues so that they don't repeat such mistakes which invites complaint and vigilance cases.

You are requsted to look into the matter and issue suitable instructions to Division so that such irreugularities are not committed by them in future.

(J.K.Verma)
Sr. Dy. General Manager

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

संख्या ईसीआर/विज/सिस्टम इम्ब्रूमेंट/50 दिनांक जुलाई 8, 2015

मुख्य विद्युत इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषयः- विद्युत कार्यों के निविदा को संपादन में अनियमितताएँ।

मुगलसराय मंडल द्वारा एक कार्य निविदा संख्या एमजीएस/ ईएल/ डब्ल्यूसी/ ई/ ऑपन/ 13-14/26 को रूपये 26,36,000/- पर प्रदान किया गया था। अधिसूचित मदों में पावर सेवर की आपूर्ति एवं संस्थापना सम्मिलित था।

परिवाद की जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकाश में आईः-

(i) अनुसूची के अनुसार, पावर सेवर को आर.डी.एस.ओ. के विनिर्दिष्ट संख्या आर. डी.एस.ओ/पीई/एसपीईसी/पीएस/0098 (पुनरीक्षण 0)-.2008 संषो-1 के अनुरूप आपूर्ति करना था। हालांकि, स्वीकृति पत्र/करारनामा में आर डी एस ओ के विनिर्दिष्टि संदर्भ को हटा दिया गया।

(ii) निविदा आमंत्रण के समय पावर सेवर का मेक क्लासिक, उषापावर, पंकज एवं ग्रीप इंडिया अनुसूची में विनिर्दिष्ट था। एक फर्म द्वारा उपकरण हेतु दो अधिक मेक सर्वोमैक्स और छवि का प्रस्ताव दिया गया जिसे निविदा कमिटि द्वारा स्वीकार किया गया था।

(iii) निम्नतम निविदाकर्ता ने जिसका प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था पावर सेवर हेतु मजदूरी दर एवं सामग्री घटकों के दर को विलगित कर उद्धृत किया गया था, जबकि निविदाकर्ता हेतु निविदा प्रलेख में केवल अनुसूची के अनुसार दर उद्धृत करने का निर्देश दिया गया था।

निविदा खुलने के उपरांत निविदा प्रलेख में किसी प्रकार का बदलाव एवं निविदा कमिटि द्वारा अन्य मेकों की स्वीकृति को उचित एवं नियमानुसार सही नहीं ठहराया जा सकता है। यह भी आश्चर्यजनक है कि दो अन्य निविदा कमिटि सदस्य यथा एडीएफएम-। एवं डीएसटीई/मुगल. ने भी निविदा खुलने के उपरांत निविदा प्रलेख में बदलाव के लिए किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की।

संभवतः निविदा संपादन के नियमों/प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव के कारण निविदा कमिटि के सदस्यों द्वारा उपरोक्त अनियमितताएँ की गई हो। इसलिए यह प्रतीत होता है कि निविदा कमिटि के सदस्यों के रूप में कार्यरत अधिकारियों को इन मुद्दों पर जागरूक करना आवश्यक है ताकि वे इस प्रकार की गलतियां न दोहराएं जो परिवाद एवं सतर्कता केसों को आमंत्रित करें।

आपसे अनुरोध है कि मामले को दृष्टांत करते हुए मंडलों को उचित दिशा-निर्देश जारी करें ताकि भविष्य में उनसे इस प्रकार की अनियमितताएँ न हो।

(जे.के. वर्मा)
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

प्रतिज्ञा

हम भारत के लोक सेवक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्त्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे।

PLEDGE

We, the public servants of India, do hereby solemnly pledge that we shall continuously strive to bring about integrity and transparency in all spheres of our activities. We also pledge that we shall work unstintingly for eradication of corruption in all spheres of life. We shall remain vigilant and work towards the growth and reputation of our organisation. Through our collective efforts, we shall bring pride to our organisations and provide value based service to our countrymen. We shall do our duty conscientiously and act without fear or favour.

The power of concentration and the power of dedication

There are some devotees who want to show off. For hours they meditate, for hours they chant, for hours they repeat the name of Lord Krishna. They look down upon others who do not spend so much time meditating and chanting. Arjuna happened to be one of these. He used to pray to this god and that god; he had to please all the gods on earth. For two hours daily Arjuna used to collect hundreds of flowers and offer them to Lord Shiva one by one. Each time while offering the flowers he used to utter the name of Lord Shiva. Then pride entered.

Bhima never, never prayed to any god. He was a voracious eater and at the same time a great fighter. What he did was very simple. He would put his fingers on his forehead and concentrate for a couple of minutes before each meal. Then he would eat voraciously. This was his meditation!

Once Sri Krishna said to Arjuna, "Come, let us go for a walk." As they were walking, they saw a man drawing a cart. The cart was loaded with all kinds of flowers. Arjuna said to the man, "What are you doing with these flowers? And where are you going?" The man had no time to respond to Arjuna. Sri Krishna said, "Arjuna, let us follow him."

When the man reached his destination, there were many more carts of flowers. Arjuna inquired, "what are you going to do with all these thousands and millions of flowers?". The man replied, "I have no time to speak to you. I am now in serious concentration. I can speak only to one person on earth, and that is Bhima, the second Pandava. He is the greatest spiritual seeker. When he meditates before his meals just for a minute or two, saying 'O mighty Lord Shiva,' thousands of flowers are offered by him to Lord Shiva. His concentration is most intense. His meditation is most sincere. Arjuna only throws flowers at Lord Shiva. He just shows off."

Poor Arjuna went back with Lord Krishna and was extremely angry with him for subjecting him to this humiliation. Lord Krishna said to Arjuna, "I wanted to teach you that it is not the number of hours, it is not the number of flowers, but it is the power of concentration, it is the power of dedication that counts.